FOR REFERENCE ONLY

संशोधित प्रति
28.7.2001

# सर्व शिक्षा अभियान

## दीर्घ कालीन योजना
## (2001–2010)

*तथा*

## वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
## (2001–2002)

## जनपद - हाथरस

NIEPA DC
D11492

-5422
372
HAT-D

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ..... D-11492
Date ..... 09-07-2002.

हाथरस

# अनुक्रमणिका


| क्र0 सं0 | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | जिले की पृष्ठभूमि | 1–4 |
| 2. | शैक्षिक परिदृश्य | 5–15 |
| 3. | नियोजन प्रक्रिया | 16–28 |
| 4. | सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य | 29–31 |
| 5. | समस्याएं एवं रणनीतियाँ | 32–34 |
| 6. | शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय) | 35–41 |
| 7. | शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0) | 42–49 |
| 8. | ठहराव में वृद्धि | 50–70 |
| 9. | प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन | 71–109 |
| 10. | परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण | 110–133 |
| 11. | परियोजना लागत | 134 – 147 |
| 12. | वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट | 148 – 157 |
| | परिशिष्ट | |
| | महत्वपूर्ण शासनादेश | |

# अध्याय–1

## जनपद की पृष्ठभूमि

अप्रैल 1997 में जनपद अलीगढ़ के 06 विकास खण्ड हाथरस, मुरसान, सासनी, इगलास, सिकन्दराराऊ एवं हसायन तथा जनपद मथुरा के विकास खण्ड सादाबाद सहपऊ को पृथक करके 'महामाया नगर' नाम से जनपद का सृजन हुआ। कुछ दिन पश्चात् शासन ने इगलास ब्लाक को पृथक कर पुनः जनपद अलीगढ़ में सम्मिलित कर दिया। बाद में उ0 प्र0 शासन ने जिला मुख्यालय के नाम पर जनपद का नाम परिवर्तित कर हाथरस कर दिया। हाथरस के अन्तिम राजा दयाराम के किले के पीछे एक हाथरसी देवी का मन्दिर है, इसी के नाम पर नगर का नाम हाथरस पड़ना बताया जाता है। जनपद की सीमायें उत्तर में अलीगढ़ पूर्व में एटा दक्षिण में आगरा एवं पश्चिम में मथुरा जनपद से मिली हुयी है। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद का क्षेत्रफल 1800.1 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 1129.73 हजार है। जिसमें 617.41 हजार पुरुष एवं 12.32 हजार महिलायें हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक हाथरस ब्लाक में 30.5 प्रतिशत तथा सबसे कम सादाबाद ब्लाक में 20.3 प्रतिशत है। यातायात के साधनों के रूप में जनपद से उत्तर रेलवे–उत्तर पूर्व रेलवे तथा दिल्ली आगरा एवं जी. टी रोड राजमार्ग प्रमुख हैं। जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ सारणी 01 के अनुसार है।

### 1.1 भौगोलिक परिदृश्य

हाथरस जनपद गंगा यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण धरातल का स्वरुप दोआब प्रदेश के धरातल के ही समान है। ऊष्ण मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ ग्रीष्म, वर्षाकाल के अलावा शीतऋतु में भी वर्षा हो जाती है। जनपद में कृषि योग्य भूमि 81.5 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्र शत प्रतिशत है। सामान्यतः दोमट बलुई उपजाऊ भूमि है तथा खरीफ रवी एवं जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं किन्तु मुख्य फसलें रवी एवं खरीफ ही है। हसायन, सिकन्दराराऊ एवं सासनी विकास खण्ड के कुछ भागों में 4.83 प्रतिशत ऊसर भूमि भी है। ऊसर भूमि सुधार के प्रयासों के अन्तर्गत भी आशातीत सफलता प्राप्त हुयी है। जनपद के सासनी क्षेत्र में आम, अमरूद बेर तथा ब्लाक हाथरस में सब्जियों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। हसायन बरवान क्षेत्रों में गुलाब की खेती भी की जाती है।

### 1.2 आर्थिक परिदृश्य

उद्योग की दृष्टि से जनपद उन्नत है। हसायन क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त गुलाब जल, खस एवं इत्र का उत्पादन होता है। गलीचा, दरी, कालीन आसन बनाने का कार्य भी उच्च स्तर का है। नगर में हींग की प्रसिद्ध मण्डी है जहाँ से राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों को हींग भेजी जाती है। चाकू एवं कैंची बनाने के कार्य में भी जनपद का अच्छा स्थान है। वर्तमान में जनपद में नील, गुलाल, एवं रंग बनाने का कार्य उच्च स्तर का हो रहा है।

नगर का अतीत अत्यन्त गौरव पूर्ण रहा है। प्राचीन काल में सूत के धागे बनाने के कारखाने, दाल के कारखाने कपास की गांठ बनाने के कारखानों से नगर का व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ था। साहित्य कला एवं संगीत के क्षेत्र में जनपद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हास्य कवि काका हाथरसी लोक साहित्य स्वांग मण्डली के अभिनयकर्ता पं. नथाराम गौड़ के नाम इन क्षेत्रों में एक कीर्तिमान रहे हैं।

## *1.3 साक्षरता*

यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत जनगणना 1991 के अनुसार 46.4 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता 62.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की 26.8 प्रतिशत है। जनपद के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ पूर्व में संचालित वी.ई.पी./डी.पी.ई.पी. योजनाओं से आच्छादित न होने के कारण इन विकास खण्डों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधायें अपेक्षाकृत कम हैं। शैक्षिक परिदृश्य सम्बन्धी सूचना एवं विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया जा रहा है।

## *1.4 प्रशासनिक ढाचा*

जनपद हाथरस 4 तहसील व 7 विकास खण्डों में बंटा हुआ है। जनपद में 2 नगर पालिकायें, 7 टाउन एरिया, 64 न्याय पंचायत तथा कुल 673 राजस्व ग्राम है। जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ सारणी 1.1 में उल्लखित हैं।

## सारणी 1.1

## जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

| | |
|---|---|
| तहसील | 4 |
| विकास खण्ड | 7 |
| न्याय पंचायत | 64 |
| ग्राम सभायें | 430 |
| राजस्व ग्राम | आवाद 657 गैर आवाद 16 योग 673 |
| वस्तियों की संख्या | 1150 |
| नगरीय क्षेत्र | – |
| नगर निगम | – |
| नगर महापालिका | – |
| नगर पालिका | 2 |
| टाउन एरिया | 7 |
| वार्ड | 128 |

## 1.5 जनांकिकीय विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर हाथरस जनपद की कुल जनसंख्या 11.29 लाख है जिसमें 6.17 लाख पुरुष तथा 5.12 लाख महिलाएँ हैं।

जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। नगरीय क्षेत्र के आधार पर कुल जनसंख्या के 19.4 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।

जनगणना के आधार पर जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की गत 10 वर्षों की वृद्धि दर 20.82 प्रतिशत थी जो विकास क्षेत्रों के अनुसार सासनी विकास खण्ड की वृद्धि दर सबसे अधिक 24.13 प्रतिशत तथा सहपऊ विकास खण्ड की वृद्धि दर सबसे कम 17.89 प्रतिशत थी।

जनपद का लिंग अनुपात 830 महिलायें प्रति हजार पुरुष तथा जनसंख्या धनत्व 628 प्रति वर्ग किमी है। जनपद की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार तथा 2001 की अनुमानित जनसंख्या विकास खण्डवार व नगर पंचायत/नगर क्षेत्रवार तालिका संख्या 1.2 में अंकित है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1333372 है। जिसमें से पुरूष 718288 तथा महिलाओं की संख्या 615084 है। जनपद में 0–6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 245107 है। जो कुल जनसंख्या का 18.4 प्रतिशत है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

विकास खण्ड वार / नगर क्षेत्र वार जनसंख्या

| क्र.सं. | विकास खण्ड का नाम | जनगणना 1991 | | | | | | 2001 अनुमानित | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल जनसंख्या | | | अनु0जा0की जनसंख्या | | | कुल जनसंख्या | | | अनु0जा0की जनसंख्या | | |
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | सासनी | 84789 | 70850 | 155639 | 25553 | 21052 | 44606 | 103442 | 86437 | 189879 | 31174 | 25684 | 56858 |
| 2 | हाथरस | 71731 | 58992 | 130723 | 21943 | 17887 | 39830 | 87511 | 71520 | 159081 | 26570 | 21422 | 47992 |
| 3 | मुरसान | 74601 | 60680 | 135281 | 22422 | 18064 | 40486 | 91013 | 74029 | 165042 | 26954 | 21638 | 48592 |
| 4 | सि0 राऊ | 62437 | 52284 | 114721 | 13849 | 11619 | 25468 | 76163 | 63786 | 139949 | 17495 | 14175 | 31670 |
| 5 | हसायन | 66192 | 54634 | 120826 | 18590 | 15311 | 33901 | 80754 | 67253 | 148007 | 22679 | 18679 | 41358 |
| 6 | सादाबाद | 89430 | 72835 | 166265 | 18177 | 14774 | 32951 | 109104 | 88858 | 197962 | 21715 | 18024 | 39799 |
| 7 | सहपऊ | 50737 | 40854 | 91591 | 12921 | 10162 | 23083 | 61899 | 49441 | 111340 | 15573 | 12397 | 27970 |
| | योग | 499917 | 411129 | 915046 | 133455 | 108869 | 240325 | 609886 | 501324 | 1111260 | 162160 | 132019 | 294239 |
| क्र.सं. | नगर क्षेत्र का नाम | | | | | | | | | | | | |
| 1 | सि0 राऊ नं0 पा0 पंचायत | 15315 | 14008 | 29823 | 3128 | 2791 | 5919 | 18684 | 17684 | 36373 | 3936 | 3285 | 7221 |
| 2 | सादाबाद नगर पंचायत | 12142 | 10205 | 22347 | 2068 | 1716 | 3784 | 14813 | 12450 | 27263 | 2514 | 2102 | 4616 |
| 3 | सासनी नं0 पं0 | 6083 | 5411 | 11494 | 1348 | 1120 | 2468 | 7421 | 6601 | 14022 | 1644 | 1367 | 3011 |
| 4 | पुरदिलपुर नं0 पं0 | 5546 | 4759 | 10305 | 917 | 761 | 1678 | 6766 | 5803 | 12569 | 1116 | 931 | 2047 |
| 5 | मुरसान नं0 पं0 | 5187 | 4489 | 9676 | 1066 | 888 | 1954 | 6328 | 5477 | 11805 | 1302 | 1082 | 2384 |
| 6 | मैंडू नगर पं0 | 5450 | 4648 | 10098 | 2196 | 1830 | 4026 | 6649 | 5620 | 12319 | 2844 | 2067 | 4911 |
| 7 | सहपऊ नं0 पं0 | 3960 | 3181 | 7145 | 942 | 785 | 1727 | 4831 | 3880 | 8711 | 1146 | 961 | 2107 |
| 8 | हसायन नं0 पं0 | 2440 | 2074 | 4514 | 444 | 368 | 812 | 2976 | 2530 | 1506 | 540 | 450 | 990 |
| 9 | हाथरस नं0 पा0 | 60871 | 52414 | 113285 | 13332 | 11115 | 24447 | 74287 | 63945 | 138207 | 16266 | 12559 | 29825 |
| | योग | 116994 | 101189 | 218687 | 25441 | 21374 | 46815 | 142755 | 123990 | 262775 | 31308 | 24804 | 57112 |
| ग्रामीण + नगरीय | | 612411 | 512318 | 1129729 | 158896 | 130244 | 289140 | 752616 | 625419 | 1378035 | 193528 | 157823 | 351351 |

श्रोत - जनगणना 1991

नोट - जनगणना 2001 की क्षेत्र वार जनसंख्या अभी उपलब्ध नहीं है

# अध्याय 2

## शैक्षिक परिदृश्य

हाथरस जनपद में वर्ष 1993–94 से वर्ष 1999–2000 तक बेसिक शिक्षा परियोजना क्रियान्वित रही है जिसके अन्तर्गत बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गयी तथा समय–समय पर इनके माध्यम से अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। साथ ही विद्यालयों के साज–सज्जा एवं रख–रखाव हेतु धन तथा अध्यापकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। तथा ठहराव व गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। जनपद का शैक्षिक परिदृश्य निम्न प्रकार है।

*2.1 साक्षरता दर*

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 46.4 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 62.3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 26.8 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत काफी कम है। जनपद के साक्षरता सम्बन्धी आंकडे सारणी 2.1 में दिये गये है।

सारणी 2.1

साक्षरता दर

| | जनपद की साक्षरता दर 1991 | राज्य की साक्षरता दर 1991 |
|---|---|---|
| कुल साक्षरता | 46.4 | 41.6 |
| ग्रामीण साक्षरता | 44.4 | 36.66 |
| नगरीय साक्षरता | 54.6 | 61.03 |
| कुल पुरुष साक्षरता | 62.3 | 55.73 |
| कुल महिला साक्षरता | 26.8 | 25.31 |
| **अनु0 जा0 साक्षरता दर 1991** | | |
| ग्रामीण पुरुष साक्षरता | 61.8 | 52.05 |
| ग्रामीण महिला साक्षरता | 22.8 | 19.02 |
| नगरीय पुरुष साक्षरता | 64.6 | 69.68 |
| नगरीय महिला साक्षरता | 42.9 | 50.38 |

श्रोत जनगणना 1991

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 63.38 प्रतिशत हो गई है। पुरूष साक्षरता 77.17 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 47.16 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

*2.2 विकास खण्डवार साक्षरता*

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों नें साक्षरता दर में काफी विषमतायें है।

विकास खण्डों की दृष्टि से सबसे अधेक साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 48.6 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षरता दर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ की 38.2 प्रतिशत है. विकास खण्डवार साक्षरता दर सारणी 2.2 के अनुसार है।

सारणी 2.2

## विकास खण्डवार साक्षरता

| क्र0 सं0 | विकास खण्ड का नाम | साक्षरता दर (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | हाथरस | 64.7 | 28.8 | 48.6 |
| 2 | मुरसान | 61.7 | 21.1 | 43.7 |
| 3 | सासनी | 61.5 | 26.9 | 46.00 |
| 4 | सि0 राऊ | 54.5 | 18.6 | 38.2 |
| 5 | हसायन | 56.3 | 20.8 | 40.4 |
| 6 | सादाबाद | 68.7 | 20.9 | 47.6 |
| 7 | सहपऊ | 62.5 | 20.6 | 44.1 |
| | नगर क्षेत्र | 64.6 | 42.9 | 54.6 |
| | योग जनपद | 62.3 | 26.8 | 46.4 |

श्रोत जनगणना वर्ष 1991

विकास खण्डों की दष्टि से सबसे अधिक साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 48.6 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षरता दर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ की 38.2 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर की दष्टि से भी विकास खण्ड सिकन्द्राराऊ की महिला साक्षरता दर सबसे कम 18.6 है तथा सबसे अधिक महिला साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 28.8 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषो और महिलाओं के साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पायी गयी एवं उ0प्र0 में पुरुषों की साक्षरता 55.73 तथा महिला साक्षरता 25.31 प्रतिशत रही है। अतः जनपद की महिला साक्षरता दर उ0 प्र0 की महिला साक्षरता दर से अधिक तथा राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है।

जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्ड वार/नगर क्षेत्र वार साक्षरता दर उपलब्ध नही है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गई है।

## *2.3 शैक्षिक संस्थायें*

जनपद में विगत वर्षो में अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गयी है। वर्तमान में जनपद में स्थित शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारिणी संख्या 2.3 के अनुसार है।

सारणी 2.3

## शैक्षिक संस्थाऐं

| | | परिषदीय / शासकीय | | | मान्यता प्राप्त | | | कुल | | | गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | प्राथमिक विद्यालय | 674 | 57 | 731 | 203 | 130 | 333 | 877 | 187 | 1064 | 64 | 34 | 98 |
| 2 | माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग | – | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 15 | – | – | – |
| 3 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 145 | 7 | 152 | 73 | 31 | 104 | 218 | 38 | 256 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग | – | 1 | 1 | 18 | 23 | 41 | 18 | 24 | 42 | – | – | – |
| 5 | केन्द्रीय विद्यालय | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | नवोदय विद्यालय | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 7 | हाईस्कूल | – | – | | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | – | – | – |
| 8 | इण्टरमीडिएट | – | 1 | 1 | 30 | 28 | 58 | 30 | 29 | 59 | – | – | – |
| 9 | डिग्री कालेज | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | – | | – |
| 10 | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – |
| 11 | विश्वविद्यालय | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | तकनीकि संस्थान | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| 13 | कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाए | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 14 | आगन बाडी केन्द्रो की संख्या | 608 | – | 608 | – | – | – | 608 | – | 608 | – | – | – |
| 15 | मकतब / मदरसे | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | संस्कृत पाठशालाए | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | विकलांगो के लिए | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | |

स्रोत – विभागीय आकड़े

उपरोक्त सारणी के अनुसार जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 731 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 152 है अतः प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4.8 : 1 है जबकि राष्ट्रीय मानके के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2 : 1 होना चाहिए। जनपद में कोई भी शासकीय तकनीकि संस्थान, कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है।

## 2.4 शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 2351 पद सृजित हैं जिनमें कुल 2115 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 236 स्थान रिक्त हैं इनके अतिरिक्त बी ई पी योजना अन्तर्गत 112 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत हैं। इसी प्रकार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के कुल 730 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 653 कार्यरत हैं तथा 77 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की उपलब्धता का श्रेणीवार विवरण सारिणी संख्या 2.4 के अनुसार है।

सारणी 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परीषदीय विद्यालय) (दिनांक 21.12.2000 की स्थिति)

| | सृजित | | | कार्यरत | | | रिक्त | | | स्वीकृत शिक्षामित्रों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्र0 अ0 | स0 अ0 | योग | प्र0 अ0 | स0अ 0 | योग | प्र0 अ0 | स0 अ0 | योग | |
| परिषदीय प्राथमिक विद्यालय | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण | 656 | 1496 | 2152 | 593 | 1434 | 2027 | 63 | 62 | 125 | 112 |
| नगरीय | 42 | 157 | 199 | 31 | 57 | 88 | 11 | 100 | 111 | – |
| योग | 698 | 1653 | 2351 | 624 | 1491 | 2115 | 74 | 162 | 236 | 112 |
| परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण | 145 | 580 | 725 | 74 | 575 | 649 | 71 | 5 | 76 | – |
| नगरीय | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| योग | 146 | 584 | 730 | 75 | 578 | 653 | 71 | 6 | 77 | – |

श्रोत – विभागीय ऑकडे

## 2.5 परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में 300 से अधिक आवादी वाले 560 ग्राम व 297 वस्तियॉ ऐसी हैं जिनसे 1 किमी से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 300 से अधिक आवादी वाले

35 ग्राम तथा 75 बस्तियॉ ऐसी हैं जिनसे निकटतम प्राथमिक विद्यालय 1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध है। 300 से अधिक आवादी वाले 44 गाम तथा 80 बस्तियॉ ऐसी है जिनके लिए 1.5 किमी की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार जनपद मे 800 आबादी से अधिक वाले 341 ग्राम तथा 199 बस्तियॉ ऐसी है जिनसे निकटतम उच्च प्रा0 वि0 3 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध है। 800 आबादी से अधिक वाले 43 ग्राम तथा 10 बस्तियॉ ऐसी हैं जिनके लिए 3 किमी की दूरी तक कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय की कोई व्यवस्था नही है। यदि जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के मध्य 1 : 2 का अनुपात स्थापित किया जाये तो 214 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

जनपद में दो विकास खण्ड सादाबाद तथा सहपऊ ऐसे है जो जनपद गठन के समय वर्ष 1997 में मथुरा से प्रथक होकर इस जनपद में सम्मिलित हुए हैं। इस कारण से बी ई पी अथवा डी पी ई पी किसी भी प्रोजेक्ट द्वारा आच्छादित नहीं हुए हैं फलस्वरूप इन दो ब्लाकों में काफी संख्या में असेवित ग्राम/बस्तियॉ रह गयी हैं शेष पॉच विकास क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ ग्रामों तथा नजरे प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों की असेवित सूची में आ जाने के कारण असेवित क्षेत्रों की सख्या निकल कर आयी है।

सेवित एवम् असेवित क्षेत्रों की संख्या का विवरण तालिका 2.5 के अनुसार है।

## सारणी 2.5

### परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

| | 1 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध |
|---|---|---|---|
| ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है | 560 | 35 | 44 |
| ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है। | 297 | 75 | 80 |
| योग | 857 | 110 | 124 |

परिषदीय अथवामान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

| | 3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय व मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध | 3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध | उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या |
|---|---|---|---|
| ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है | 341 | 43 | 214 |
| ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है। | 199 | 10 | |
| योग | 540 | 53 | 214 |

श्रोत – विभागीय आंकडे

## *2.7 परिषदीय विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (1.1.2001 की स्थिति)*

जनपद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 731 तथा कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 151 संचालित है। इन विद्यालयों मे से बहुत से विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है परन्तु अभी अनेक विद्यालय जर्जर, एक कक्षीय, शौचालय विहीन तथा चाहरदीवारी विहीन है। जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सारणी संख्या 2.7 के अनुसार है –

सारणी 2.7

# विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | भवनयुक्त विद्यालय | 1कक्षीय विद्यालय | | | 2कक्षीय विद्यालय | | | 3कक्षीय विद्यालय | | | 4कक्षीय विद्यालय | | | पांच कक्षीय विद्यालय | | | पांच से अधिक कक्षा वाले विद्यालय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रामीण | नगर | योग | ग्रामीण | नगर | योग | ग्रामीण | नगर | योग | ग्रामीण | नगर | योग | ग्रामीण | नगर | योग | ग्रामीण | नगर | योग |
| 1 | हाथरस | 90 | – | – | – | 13 | – | 13 | 58 | – | 58 | 16 | 1 | 17 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| 2 | मुरसान | 96 | – | – | – | 18 | – | 18 | 62 | 1 | 63 | 9 | – | 9 | 5 | – | 5 | – | – | 1 |
| 3 | सासनी | 101 | 1 | – | 1 | 17 | 1 | 18 | 63 | 1 | 64 | 12 | 1 | 13 | 4 | – | 4 | 1 | – | – |
| 4 | सिन्दराराऊ | 85 | – | – | – | 34 | – | 34 | 47 | – | 47 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | हसायन | 96 | 2 | – | 2 | 29 | 1 | 30 | 57 | 1 | 58 | 4 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | सादाबाद | 113 | 14 | – | 14 | 84 | 2 | 86 | 9 | – | 9 | 3 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 7 | सहपऊ | 75 | 22 | – | 22 | 42 | – | 42 | 7 | – | 7 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | नगर क्षेत्र हाथरस | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | | – | – | – | – | – | – |
| 9 | नगर क्षेत्र रि0 राऊ | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | योग | 663 | 39 | – | 39 | 237 | 5 | 242 | 303 | 6 | 309 | 51 | 7 | 58 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मरम्मत योग्य विद्यालय | 156 | लघु मरम्मत योग | 104 | वृहत मरम्मत योग | 52 | शौचालय की आवश्यकता | 249 |
| शौचालय | | शौचालय युक्त विद्यालय | 447 | शौचालय विहीन विद्यालर | 249 | हैण्डपम्प की आवश्यकता | – |
| हैण्डपम्प | | हैण्डपम्प युक्त | 681 | हैण्डपम्प विहीन | 15 | चाहरदीवारी की आवश्यकता | 471 |
| चहारदीवारी | | चाहरदीवारी युक्त | 225 | चाहरदीवारी विहीन | 471 | | |

श्रोत – विभागीय आंकडे

## उच्च प्राथमिक स्तर

| क्रसं. | विकास खण्ड का नाम | कुल विद्यालय संख्या | भवनयुक्त विद्यालय | भवनहीन विद्यालय | जर्जर पुर्ननिर्माण | एककक्षीय विद्यालय संख्या | दो कक्षीय विद्यालय संख्या | तीनकक्षीय विद्यालय संख्या | चारकक्षीय विद्यालय संख्या | पांचकक्षीय विद्यालय संख्या | पांच से अधिक कक्षीय विद्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाथरस | 23 | 20 | 1 | 2 | – | – | 20 | – | – | – |
| 2 | मुरसान | 21 | 21 | – | – | – | 1 | 5 | 15 | – | – |
| 3 | सासनी | 29 | 29 | – | – | – | 4 | 19 | 5 | – | 1 |
| 4 | सिकन्दराराऊ | 22 | 18 | – | 4 | – | – | 14 | 3 | – | 1 |
| 5 | हसायन | 26 | 26 | – | – | – | – | 3 | 22 | – | 1 |
| 6 | सादावाद | 18 | 16 | – | 2 | – | 2 | 6 | 6 | 2 | – |
| 7 | सहपऊ | 11 | 11 | – | – | – | 3 | 1 | 6 | 1 | – |
| 8 | नगर क्षेत्र हाथ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | नगर क्षेत्र सिक | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | योग | 151 | 141 | 2 | 8 | – | 10 | 68 | 57 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मरम्मत योग्य विद्यालय 38 | लघु मरम्मत योग 19 | वृहत मरम्मत योग | 19 | | |
| शौचालय | शौचालय युक्त विद्यालय 97 | शौचालय विहीन विद्यालय | 53 | शौचालय की आवश्यकता | 53 |
| हैण्डपम्प | हैण्डपम्प युक्त 144 | हैण्डपम्प विहीन | 6 | हैण्डपम्प की आवश्यकता | 0.0 |
| चहारदीवारी | चाहरदीवारी युक्त 47 | चाहरदीवारी विहीन | 103 | चाहरदीवारी की आवश्यकत | 103 |

स्रोत – विभागीय आंकडे

## 2.8 वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

जनपद के दो विकास खण्ड–सादाबाद तथा सहपऊ, किसी भी परियोजना से आच्छादित न होने के कारण अभी प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु असेवित क्षेत्रों की संख्या अधिक है। इनमें विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनपद के जर्जर/ध्वस्त विद्यालयों के पुर्ननिर्माण, छात्र नामांकन के अनुपात में कक्षा कक्षों की कमी वाले विद्यालयों नें अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय तथा चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता है। वर्तमान में जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता सारणी संख्या – 2.8 के अनुसार है।

सारणी 2.8

### वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

| क्रम संख्या | आइटम/ सुविधा का नाम | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कमी असेवित क्षेत्र | डीपीईपी–11/11वें वित्त आयोग प्राविधान/जिला योजना या अन्य स्रोत | नांग | कमी | डीपीईपी–11/11 वें वित्त आयोग प्राविधान | नांग |
| 1 | नवीन विद्यालय | 124 | – | 124 | 53 | – | 53 |
| 2 | विद्यालय पुनर्निर्माण | 38 | 1 | 37 | 7 | – | 7 |
| 3 | अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रतिशिक्षक/प्रतिकक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्वि के आधार पर) | 388 | – | 388 | 118 | – | 118 |
| 4 | पेयजल सुविधा | 15 | 15 | – | 6 | 6 | – |
| 5 | शौचालय | 249 | – | 249 | 53 | – | 53 |
| 6 | चाहरदीवारी | 471 | – | 471 | 103 | – | 103 |

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं को वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद हाथरस में 01 विद्यालय भवन, 01 शौचालय, 01 हैण्ड पम्प तथा 01 चहार दीवारी का निर्माण कराया गया।

# प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

## जनपद – ( हाथरस + अलीगढ़ )

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया है तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की गयी है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया गया।

**ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –**

| प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन | 1998–99 | 1999–2000 | 2000–2001 |
|---|---|---|---|
| कक्षा 1 | 65896 | 56156 | 96251 |
| कक्षा 2 | 60325 | 54014 | 84805 |
| कक्षा 3 | 51354 | 53797 | 72825 |
| कक्षा 4 | 45511 | 52648 | 61036 |
| कक्षा 5 | 42241 | 50330 | 49159 |
| योग | 265327 | 266345 | 364076 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

| जी0ई0आर0 | | | |
|---|---|---|---|
| कुल | 92 | 94 | 100 |
| बालिका | 81 | 84 | 92 |

स्रोत : सीमेट की सैम्पुल स्टडी ।

| एन0ई0आर0 | | | |
|---|---|---|---|
| कुल | 75.7 | 78.3 | 82.8 |

स्रोत : सीमेट की सैम्पुल स्टडी

जनपद के नामांकन में औसतन 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के

जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है। बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

| | परियोजना के पूर्व | 2000 की स्थिति | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय) | 610 | 731 | 19.8 |
| प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय) | 1809 | 2351 | 30 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े। – जनपद हाथरस हेतु

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 3 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

**ड्राप आउट दर**

| वर्ष | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| 1998 | 44.8 | 46.4 | 45.4 |
| 1999 | 35 | 34.5 | 34.8 |

स्रोत : सीमेट द्वारा सैम्पुल स्टडी वर्ष 1999

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत 2 वर्ष में ड्राप आउट दर 45 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

**रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या**

| वर्ष | रिपीटीशन दर | 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या |
|---|---|---|
| 1998 | 4.82 | - |
| 1999 | 6.44 | - |

स्रोत : सीमेट द्वारा सैम्पुल स्टडी वर्ष 1999

रिपीटीशन दर मात्र 6.44 हैं तथा प्राथमिक स्तर को 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

| | | |
|---|---|---|
| अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 | – | 1 : 55 |
| एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 | – | 5.6 % |

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:55 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा।

# उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

( स्रोत : विभागीय आंकड़े )

## जनपद– हाथरस

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

| वर्ष | कक्षा 6 | कक्षा 7 | कक्षा 8 | योग | गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 15085 | 13729 | 12329 | 41143 | - |
| 1999-2000 | 15417 | 14031 | 12600 | 42048 | 2.2 |
| 2000-2001 | 15756 | 14340 | 12877 | 42973 | 2.2 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर मांग पैदा हुयी है।

**ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)**

| वर्ष | कक्षा 5 | कक्षा 6 | ट्रांजिशन दर |
|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 19059 | 7954 | - |
| 1999-2000 | 19500 | 8140 | 42.7 |
| 2000-2001 | 19939 | 8316 | 42.6 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

## उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

| | संख्या 1993 | संख्या 2000 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 104 | 152 | 46 |
| उच्च प्राथमिक शिक्षक | 490 | 730 | 49 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

## प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

| | परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था | परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था | उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0 | योग (3+4) | प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 1230 | 287 | 13 | 300 | 4 :1 |
| नगर क्षेत्र | 120 | 03 | 07 | 10 | 12 :1 |
| योग | 1350 | 290 | 20 | 310 | 4.3 : 1 |

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1 : 4.3 है।

अध्याय 3

# नियोजन प्रक्रिया

**स्कूल चलो अभियान –**

जनपद में 1 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक स्कूल चलों अभियान का प्रथम चरण तथा 16 जुलाई 2000 से 25 जुलाई 2000 तक द्वितीय चरण सघन रूप से चलाया गया। इसके अन्तर्गत यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक (6–11 वर्ष) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (11–14 वर्ष) के सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेंगे। प्रत्येक विद्यालय नें बाल गणना पंजिकाएं तैयार की गयीं तथा ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, तथा जनपद स्तर पर गोष्ठियां की गयीं और बच्चों की प्रभात फेरियां निकाल कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गयी। जिसके कारण शिक्षा के प्रति लोगों में रूचि जाग्रत हुई तथा नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। इस स्कूल चलों अभियान का लाभ सर्व शिक्षा अभियान की सहभागिता में मिला है। इस अभियान का विस्तृत विवरण निम्न प्रस्तरों में दिया गया है –

स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित तिथियों में ब्लाकवार गोष्ठियाँ/रैलियों का आयोजन किया गया जो निम्नवत है। इन गोष्ठियों/रैलियों में सम्माननीय जन प्रतिनिधियों/मान0 विधायकों/सांसदों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रथम चरण

| क्रमांक | क्षेत्र | तिथियाँ |
|---|---|---|
| 1. | जनपद मुख्यालय | 6 जुलाई 2000 |
| 2. | हाथरस | 7, 9 जुलाई 2000 |
| 3. | सासनी | 7,9, तथा 12 जुलाई 2000 |
| 4. | मुरसान | 7,9, तथा 12 जुलाई 2000 |
| 5. | सिकन्दरा राऊ | 7,9, तथा 12 जुलाई 2000 |
| 6. | हसायन | 7,9 जुलाई 2000 |
| 7. | सादाबाद | 7,9 जुलाई 2000 |
| 8. | सहपऊ | 7,9, तथा 21 जुलाई 2000 |
| 9. | नगर क्षेत्र हाथरस | 6,7,8,9 जुलाई 2000 |
| 10. | नगर क्षेत्र सिकन्दरा राऊ | 6,7,8,9 जुलाई 2000 |
| 11. | विद्यालयों स्तर पर | 6,7,8,9 जुलाई 2000 |

## द्वितीय चरण

दि० 10.7.2000 से 15.7.2000 तक छात्र नामांकन, जनसम्पर्क, अभिभाव सम्पर्क, स्कूल न जाने वाले बच्चों की समीक्षा तथा दिनांक 16.7.2000 से 25.7.2000 तक पुन: छात्र नामांकन हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले की सभी 430 ग्राम सभाओं को आच्छादित किया गया।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत माननीय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपना समय समय पर योगदान दिया।

## प्रभारी मंत्री द्वारा किये गये कार्यक्रम

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत जनपदीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री मण्डलेश्वर सिंह जी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास मंत्री, उ० प्र० शासन के कर कमलों द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2000 से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण विकास क्षेत्र मुरसाय से शुभारम्भ किया गया, जिसमें माननीय विधायक/सांसदों एवं सम्मानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें लाभार्थी छात्र/छात्राओं में वितरित करायी गयी।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत

नामांकन का लक्ष्य

| वर्ग | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 11570 | 11141 | 22711 |
| 11-14 | 3381 | 3816 | 7197 |
| योग | **14951** | **14957** | **29908** |

नामांकित बच्चे

| वर्ग | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 11523 | 10929 | 22452 |
| 11-14 | 3214 | 3499 | 6713 |
| योग | **14737** | **14423** | **29165** |

स्कूल चलो अभियान में स्कूल न जाने वाले अवशेष चिन्हित बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं।

| वर्ग | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 47 | 212 | 259 |
| 11-14 | 167 | 317 | 484 |
| योग | 214 | 529 | 743 |

नामांकन हेतु उपरोक्त अवशेष चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में ब्लाकवार नामांकन हेतु पुनः अभियान चलाया गया तथा सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है और तदनुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है, जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा। ताकि नामांकित बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

# सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन को प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकडों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव है?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

## शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को रांकलित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका, फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गावं स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी हैं, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर हैं। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

जनपद के पर्सपेक्टिव प्लान में एवं वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 3.2.2001 को समस्त ग्राम प्रधानों एवं ग्राम से प्रवुद्व लोगों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के उद्वेश्यों से परिचय करानें, बालगणना कर स्कूल न जाने वाले वच्चों को चिन्हीकरण करने, आपसी विचार विमर्श कर ग्राम के विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने, सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने हेतु ग्राम योजना तैयार करने तथा विद्यालय हेतु कुछ न कुछ अंशदान हेतु प्रेरित करने के लिए पत्र लिखा गया। तदुपरान्त दिनांक 5.2.2001 को समस्त ABSA/SDI, व्लाक समन्वयको, न्याय पंचायत समन्वयकों की एक कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। कार्याशाल में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रतिभागियों को सर्व शिक्षा अभियान के उद्वेश्यों एवं विशेषताओं से परिचय कराते हुए ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक एवं व्लाक समन्वयक Focus Group Discusion किस तरह करेंगें इसका अभ्यास कराया गया। इसके बाद ग्राम स्तर पर होने वाली योजना निर्माण समिति की बैठक में ग्राम वासियों की सहायता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत समन्वयक ने अपने न्याय पंचायत में पड़ने वाले गाँवों की बैठकों में प्रतिभाग किया और ग्राम योजना निर्माण कराकर न्याय पंचायत स्तर पर संकलन किया गया। न्याय पंचायत से व्लाक स्तर पर संकलन कर जिले स्तर पर संकलन कर प्लान तैयार किया गया। इसके बाद दिनांक 24.2.2001 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समस्त सांसदों विधायकों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी और प्राप्त सुझावों को प्लान में समाहित किया गया। दिनांक 2.3.2001 को जिले स्तर पर पुनः एक योजना निर्माण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा दिनांक 3.3.2001 को सादावाद तहसील पर तथा 4.3.2001 को सिकन्दराराऊ तहसील पर समस्त ग्राम प्रधानों व्लाक प्रमुखों तथा गणमान्य व्यक्तियों की कार्यशाला कर महत्वपूर्ण सुझावों को अभिलेखीकरण किया गया। विभिन्न वैठकों में विचार विमर्श के फलस्वरूप जनपद के सादावाद सहपऊ ब्लाकों में काफी संख्या मे असंवित वस्तियों की समस्या, जर्जर विद्यालयों का पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय, चाहरदीवारी ECCE केन्द्रों तथा छात्र अनुपात में अध्यापकों की माँग मुख्य रूप से उभर कर आयी है जनपद की कुछ प्रमुख वैठकों का संक्षिप्त विवरण सारणी में दिया जा रहा है।

## नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

| क्रमांक | तिथि | स्थान | प्रतिभागियों का विवरण व संख्या | बैठक, विचार विमर्श में जो विन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,31 जनवरी<br>1 फरवरी 2001 | सीमेट इलाहाबाद | 1. प्राचार्य<br>2. जि.वे.शि.अ.<br>3. उप वे.शि.अ.<br>4. स.वे.शि.अ.<br>5. प्रवक्ता डायट | सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्वेश्य कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा नियोजन प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्वेश्य को दृष्टिगत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2001 | | 4. स.वे.शि.अ.<br>5. प्रवक्ता डायट<br>6. परि. अधि. अ. शि.<br>(6) | आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए जनपद का प्लान समयान्तर्गत प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया। |
| 2 | 5–2001 | डायट हाथरस | 1. प्राचार्य<br>2. जि.वे.शि.अ.<br>3. उप वे.शि.अ.<br>4. स.वे.शि.अ.<br>5. प्रति उ0 वि0 नि0<br>6. समस्त बी. आर. सी. समन्वयक<br>7. समस्त एन. पी. आर. सी. समन्वयक<br>8. ब्लाक के प्र0 अ0<br>9. समस्त उ. के. अ.<br>10. स्वयं सेवी संगठन / युवक मंगलदल<br>(45) | सीमेट इलाहाबाद में प्राप्त प्रशिक्षण एवं प्रदत्त साहित्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रन की संकल्पना एवं उद्देश्यों पर प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। विचार विमर्श के पश्चात् यह विन्दु उभरकर आया कि कार्यक्रम की नियोजन प्रक्रिया ग्राम बस्ती स्तर से प्रारंभ की जाये तथा क्षेत्र विशेष की भौतिक समस्याओं, आवश्यकताओं की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके आयोजित की जायें तथा बैठकों में प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्यक्रम गतिविधियों नियोजन में रक्खी जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा, उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु एवं समस्त ग्राम प्रधानों तथा ग्रामीण जनों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बनाया गया। |
| 3. | 6.2.2001 | सकल मीतई<br>संकुल अर्जुनपुर<br>उच्च प्रा. वि. कथरिया | स. वे. शि. अ. मुरसान<br>व. प्र.उ.वि. नि. मुरसान<br>समन्वयक वी. आर. सी., ग्राम प्रधान, वी. डी.सी. सदस्य, प्रधान अध्यापक एवं अभिभावक<br>(30) | इन बैठकों में अध्यापकों का स्कूलों में अभाव, अध्यापकों का शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य क्रियापों में लगाया जाना, विद्यालयों में टाटपट्टी, शिक्षण सामग्री, कुर्सी मेज का अभाव, विद्यालयों की साजसज्जा आकर्षक न होना आदि समस्याये बतायी गयी।<br>महमूदपुर ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव आया कि जो बच्चे मध्यसत्र में रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए वे जितने समय वहाँ रहते है, उतने ही समय के लिए यहाँ उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। महमूदपुर जाटान व नगला विहारी की अनु0 जाति की लडकियाँ घरेलू कार्यमें मातापिता की सहायता में लगे रहने तथा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | उनके साथ मजदूरी पर चले जाने के कारण विद्यालय में नही पहुँच पाती हैं। इनके लिए विद्यालय समय से भिन्न उनकी सुविधा के समयानुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाये।<br><br>संकुल मीतई की बैठक में अभिभावकों द्वारा बताया गया कि पू0 मा0 वि0 मीतई में बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम चलाया गया था जिससे अभिभावकों ने प्रभावित होकर बालिकाओं को विद्यालय भेजने तथा नियमित उपस्थित रहने में विशेष रूचि दिखाई, इसी प्रकार का कोई जीवनपयोगी व्यावसायिक कार्य बालकों के लिए भी चलाया जाये जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन–निरमा बनाना, टाटपट्टी, फर्श गलीचा बनाना आदि। |
| 4. | 7.2.2001 | पू0 मा0 वि0 सादाबाद | 1. स.वे.शि.अ. सादाबाद<br>2. ज्येष्ठ उप प्रमुख<br>3. सभासद सादाबाद<br>4. ग्राम प्रधान<br>5. उपकेन्द्र अध्यापक<br>6. प्रधान अध्यापक<br>7. अभिभावक 45 | इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकासखण्ड सादाबाद के पूर्व से संचालित बी0 ई0 पी0, डी0 पी0 ई0 पी परियोजनाओं से आच्छादित न होने के कारण अभी अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा इस विकास खन्ड में ऐसे अनेक ग्राम वस्तियॉ है जहॉ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की अनुभूत आवश्यकता है ऐसे ग्राम/मजरों की सूचियॉ भी दी गई। |
| 5 | 7.2.2001 | पू. मा. वि. सहपऊ | 1. स. बे. शि. अ. सहपऊ<br>2. प्र. अ. पू.मा. वि0 सहपऊ<br>3. समस्त उपकेन्द्र अध्याय<br>4. ग्राम प्रधान (76) | 1. क्षेत्र में प्रथक से बालिका उच्च प्रा. वि. खोलने तथा जलेसर रोड पर ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र खोलने की मांग की गयी।<br>2. ग्राम प्रधानों ने शिक्षा की गुणवत्ता एवं बच्चों के उचच सम्प्राप्ति स्तर पर बल दिया।<br>3. 6 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए स्कूल पूर्व व्यवस्था हेतु भी सुझव आये। |
| 6. | 8.2.2001 | बी. आर. सी. सि0 राऊ | 1. स. वे. शि. अ.<br>2. समन्वयक बी. आर. सी.<br>3. समन्वयक एन. पी. | ईट भट्टों पर रहकर मजदूरी करने वाले परिवारों के शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की मांग की गई। आलू की खेती वाले क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चे आलू |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आर. सी.<br>4. ग्राम प्रधान (29) | बीनने के कार्य में लग जाते हैं. इनके लिए यह प्रस्ताव आया कि इनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय। |
| 7. | 9.2.2001 | वी. आर. सी. हसायन | 1. स. वे. शि. अ.<br>2. समन्वयक वी. आर. सी.<br>3. समन्वयक एन. पी. आर. सी.<br>4. ग्राम प्रधान (32) | विकास खण्ड के सीमान्त ग्रामों/मजरों विशेष रूप से अलहदीनपुर, हैदलपुर तथा रामपुर में प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा ए. आई. ई केन्द्र खोलने की मांग की गयी। |
| 8. | 24.2. 2001 | जिलाधिकारी हाथरस का समीकक्ष | 1. जिलाधिकारी हाथरस<br>2. प्राचार्य डायट<br>3. जि. वे. शि. अ.<br>4. मान. विधायक श्री रामवीर उप0<br>5. सांसद प्रतिनिधि हाथरस<br>6. भाजपा जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि<br>7. जिला अर्थ एवं संस्था अधिकारी हाथरस<br>8. जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस<br>9. उप वे. शि. अ. हाथरस<br>10. से. के. शि. अ.<br>11. अन्य सम्भ्रान्त नागरिक व समाज सेवी<br>12. स्वैच्छिक सेवी संगठन | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में उक्त तिथि तक की गई कार्यवाही पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पुनः 2,3,4, मार्च को बैठकें कर ग्राम प्रधानों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों में योजना का व्यापक प्रचार/प्रसार करने का निर्णय लिया गया। जिले में एक ब्रिज कोर्स खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिएकहा गया। असेवित क्षेत्रों की सूचियाँ जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने हेतु किया गया जिससे किसी भूल की आशंका न रहे।<br>बैठक में विशेष रुप से यह बिन्दु उभर कर आया कि जिन उच्च प्रा0 वि0 में छात्रा संख्या अधिक है उनमें कार्यानुभव कार्यक्रम संचालित किया जाय।<br>अत्यन्त गरीब परिवारों की बच्चियाँ घरेलू काम तथा बच्चों की देखभाल में लगी रहती हैं इनकी शिक्षा हेतु नवाचार बालिका शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा बच्चों को गृहकार्य देने हेतु सुझाव आया और गृह कार्य देने एवं उसकी नियमित जांच कर अभिभावकों के अवलोकनार्थ भेजने का निर्णय लिया। |
| 9 | 26.2. 2001 | राष्ट्रीजन सहयोग एवं बाल विकास | 1. प्राचार्य डायट<br>2. नि0 बे0 शि0 अ0<br>3. उप बे0 शि0 अ0 | गोष्ठी में विशेष रूप से इन तथ्यों पर बल दिया गया कि निड डे मील व छात्रवृत्ति का विवरण समय से हो। शिक्षक समय से स्कूल आवें एवं स्कूल |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. प्रवक्ता डायट<br>5. ए. बी. एस. ए.<br>6. परियोजना अधिकारी | के पास ही शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायें। स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था हो तथा स्कूलों में पुस्तकालय बनायें जायें। डायर की प्राचार्य ने सुझाव दिया कि बालिकाओं को नियमित स्कूलों में भेजने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाय तथा उन्हें बालिका शिक्षा के महत्व को समझाया जाय। |

## सोशल एसेसमेंट स्टडी

स्कूल से बाहर बच्चों तथा ऐसे वर्गों की समस्याये जानने के उद्देश्य से जो अपने बच्चों को विद्यालय नही भेज पाते है। जनपद अलीगढ मे सोशल एसेसमेंट स्टडी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा की गयी। अलीगढ तथा हाथरस के सामाजिक परिवेश में बहुत अधिक भिन्नता नही है और यह जिला पूर्व में अलीगढ जनपद का ही भाग था इसलिए सन्दर्भित अध्ययन के अधिकांश निष्कर्ष इस जिले के लिए भी लागू होंगें। उक्त अध्ययन द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट समस्याओ और उनके समाधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

1. विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा–कक्षों का न होना, अध्यापकों की अनुपस्थिति तथा शिक्षण सामग्री के अभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पडता है और बच्चों के ठहराव में बाधा आती है।
2. विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ।
3. सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों को समेकित करके प्रभावी कदम उठाये जायें।

उपरोक्त सभी सुझावों को सर्वशिक्षा अभियान में अपनायी गयी रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

## प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

### (A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

### (B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

### (C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

### (D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

### (E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।



Co-ordination with various deptt.

# अध्याय – 4

## सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

# नामांकन के लक्ष्य

## बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.7 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेंथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – हाथरस

| वर्ष | 6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या | | | नामाकंन | | | जी०ई०आर० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | |
| 2000-01 | 105296 | 93376 | 198672 | 95819 | 84972 | 180792 | 91 |
| 2001-02 | 108139 | 95897 | 204036 | 104895 | 93020 | 197915 | 97 |
| 2002-03 | 111059 | 98486 | 209545 | 114391 | 101441 | 215831 | 103 |
| 2003-04 | 114057 | 101146 | 215203 | 123182 | 109237 | 232419 | 108 |
| 2004-05 | 117137 | 103876 | 221013 | 131193 | 116342 | 247535 | 112 |
| 2005-06 | 120300 | 106681 | 226981 | 138345 | 122683 | 261028 | 115 |
| 2006-07 | 123548 | 109561 | 233109 | 144551 | 128187 | 272738 | 117 |
| 2007-08 | 126883 | 112520 | 239403 | 149722 | 132773 | 282496 | 118 |
| 2008-09 | 130309 | 115558 | 245867 | 155068 | 137514 | 292582 | 119 |
| 2009-10 | 133828 | 118678 | 252505 | 160593 | 142413 | 303006 | 120 |

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – हाथरस

| वर्ष | 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या | | | नामाकंन | | | जी०ई०आर० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | |
| 2000-01 | 43815 | 38854 | 82669 | 37681 | 31472 | 66962 | 86 |
| 2001-02 | 44998 | 39903 | 84901 | 40498 | 34317 | 73015 | 90 |
| 2002-03 | 46213 | 40980 | 87193 | 43440 | 37292 | 79346 | 94 |
| 2003-04 | 47461 | 42087 | 89548 | 46511 | 39983 | 85070 | 98 |
| 2004-05 | 48742 | 43223 | 91965 | 49230 | 42791 | 91046 | 101 |
| 2005-06 | 50058 | 44390 | 94448 | 52061 | 45722 | 97282 | 104 |
| 2006-07 | 51410 | 45589 | 96999 | 54494 | 48324 | 102818 | 106 |
| 2007-08 | 52798 | 46820 | 99618 | 57022 | 50565 | 107587 | 108 |
| 2008-09 | 54223 | 48084 | 102307 | 59103 | 52411 | 111515 | 109 |
| 2009-10 | 55687 | 49382 | 105070 | 61256 | 54320 | 115576 | 110 |

## ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

| वर्ष | प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर |
|---|---|
| 2000-01 | 35 |
| 2001-02 | 31 |
| 2002-03 | 26 |
| 2003-04 | 21 |
| 2004-05 | 15 |
| 2005-06 | 9 |
| 2006-07 | 4 |
| 2007-08 | 0 |
| 2008-09 | 0 |
| 2009-10 | 0 |

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

# अध्याय 5

## समस्याऐं एवं रणनीति

जनपद में न्यून साक्षरता का मुख्य कारण रोजगार परक शिक्षा न होना, मजदूर परिवारों में पढ़ने योग्य बच्चों का अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लगा रहना, मजदूरों का अपने परिवार सहित ईंट भट्टों पर रहकर मजदूरी करना, आलू की खुदाई के समय बच्चों द्वारा आलू बीनने का कार्य करना, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, पर्याप्त कक्षा–कक्षों की कमी, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का अभाव, अध्यापक–अभिभावक सम्पर्क का अभाव, तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी का होना है। जनपद में व्यापक स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों, ग्राम शिक्षा समितियों आदि से विचार विमर्श किये गये जिनकी फलस्वरुप जनपद की समस्याए तथा उनके समाधान हेतु रणनीतियॉ जो उभर कर आयी उनका विवरण निम्न लिखित सारिणी में दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी बैठकों में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्कूल कि स्कूल के बाहर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जाये। और उन्हें कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

| समस्या का प्रकार | समस्याये | रणनीतियॉ |
|---|---|---|
| पहुँच सम्बन्धी | 1. जनपद में प्राथमिक विद्यालय के निर्धारित मानक के अनुसार 124 असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की कमी | 124 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। |
| | 2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्धारित मानक के अनुसार 53 असेवित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी | 53 नवीन उच्च प्रा0 विद्यालय खोले जायेंगे। |
| | 3. जनपद की 79 बस्तियों में 1 किमी0 की परिधि में विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण छोटे बच्चे विद्यालय नही जा पाते हैं। | 79 बस्तियों के छोटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 79 विद्या केन्द्र (ई0जी0 एस0) खोले जायेंगें। |
| | 4. जनपद की 29 बस्तिया ऐसी हैं जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के 20 या 20 से अधिक ऐसे बच्चे उपलब्ध हैं जो कभी विद्यालय नहीं गये या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। | स्कूल न जाने वाले अथवा बीच में पढाई छोड़ देने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। |
| | 5. ईट भट्टों पर रहकर मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं | भट्टों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| धारग सम्बन्धी | –आलू की खेती वाले क्षेत्रों में आलू की खुदाई के समय गरीब परिवारों के अधिकांश बच्चे आलू बीनने के कार्य में लग जाते हैं जिसके कारण एक से दो माह तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। | इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिये अंशकालिक शिक्षा मित्र नियुक्त कर उचित व्यवस्था की जाएगी तथा ग्रीष्मकालीन कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। |
| | अनेक बस्तियों में यह प्रश्न उठाया गया है कि पढाई करने के बाद सभी को नौकरी तो मिलती नही है पढाई में लगे रहने के कारण उन्हें काम धन्धों का ज्ञान भी नहीं हो पाता जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है इस कारण अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर किसी काम धन्धे में लगाना पसन्द करते हैं। | उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढाई के साथ–साथ कार्यानुभव की कक्षायें भी संचालित की जायेगी जिससे उनको रोजगार परक शिक्षा दी जा सके। |
| | मजदूर परिवारों में पढ़ने योग्य बच्चों द्वारा उनके छोटे भाई बहिनों की देखरेख करने के कारण विद्यालय को पढने नहीं जाते हैं। | जिन क्षेत्रों में ECCE केन्द्र नही हैं वहा पर नवीन ECCE केन्द्र खोले जायेंगें तथा पूर्व से संचालित ECCE केन्द्रो को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। |
| | अध्यापक अभिभावक सम्पर्क न होने के कारण बच्चों की गतिविधि एवं प्रगति से अनभिज्ञ रहते हैं जिससे अभिभावकों में विद्यालय के प्रति लगाव का अभाव रहता है। | विद्यालयों में मासिक परीक्षायें कराकर प्रगति कार्ड उपलब्ध कराये जायेगें तथा मासिक परीक्षा के बाद अध्यापक – अभिभावकों की बैठक बुलाकर बच्चे की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा। |
| | विद्यालयों में मनोरंजन का अभाव होने के कारण बच्चों का विद्यालय में कम ठहराव रहता है | परियोजना के प्रथम वर्ष में न्याय पंचायतवार एक–एक विद्यालय में झूला तथा फिसल पट्टी की उपलब्धता कराई जायेगी। शेष विद्यालयों के परिणाम को देखकर अगले बर्षों में कार्ययोजना बनाई जायेगी। |
| | विद्यालयों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था का समुचित अभाव रहने के कारण विद्यालय में ठहराव कम रहता है। | प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति न्याय पंचायत की दर से प्रति एक–एक विद्यालय में छात्रों की बैठने की व्यवस्था हेतु फर्नीचर की उचित व्यवस्था की |

| | | |
|---|---|---|
| | | जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक/पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी। |
| | विद्यालयों में निर्धनता के कारण बच्चों के अभिभावक पाठ्यपुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों के अभाव में बच्चों का विद्यालयों में ठहराव कम हो जाता है। | प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्र एव छात्राओं, अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं तथा निर्धन वर्ग के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जायेंगी। |
| संस्थागत क्षमता का विकास | जनपद में दो विकास क्षेत्रों (सादाबाद, सहपऊ) में BEP अथवा DPEP प्रोजेक्ट द्वारा आच्छादित न होने के कारण बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0 का निर्माण तथा संचालन नहीं हो पाया है। | दोनों विकास क्षेत्रों में एक–एक बी0 आर0 सी0 तथा प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक–एक एन0पी0आर0 सी0 का निर्माण कराया जायेगा। |
| गुणवत्ता सम्बन्धी | ग्रामवासियों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु बल दिया जिसमें छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर में सुधार हो सके। | इस विषय में विस्तृत रणनीति अध्याय 9 में दी गई है। |

# अध्याय 6

## *शिक्षा की पहुंच का विस्तार*

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि हाथरस में वर्ष 1993 से 2000 तक बेसिक शिक्षा परियोजना क्रियान्वित की गयी जिसमें शिक्षा की पहुँच में विस्तार हेतु कुल 64 प्राथमिक विद्यालय तथा 31 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी इसके बावजूद कुछ बस्तियां ऐसी रह गयी जिनमें मानक के अनुसार प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए था। ऐसी सभी असेवित बस्तियों को सर्वशिक्षा अभियान में उपर्युक्त सुविधा से आच्छादित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

### *6.1 नवीन प्रा0 विद्यालयों की स्थापना :*

जनपद हाथरस में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 731 तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 333 है. इस प्रकार कुल प्राथमिक विद्यालय 1064 हैं

जनपद में सादाबाद तथा सहपऊ दो विकास खण्ड जो नवीन जनपद गठन के समय मथुरा जनपद से पृथक होकर इस जनपद में सम्मिलित हुए हैं अतः बी0ई0पी0 से आच्छादित नहीं हो पाये थे, इस कारण इन दोनो विकास खण्डों में 61 संख्या में असेवित ग्राम/बस्तियाँ रह गयी हैं शेष पाँच विकास खण्ड बी0 ई0 पी0 द्वारा आच्छादित हो चुके हैं जिनके अन्तर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर असेवित बस्तियों में विद्यालय खोले जा चुके है परन्तु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ ग्राम/मजरे भी असेवित क्षेत्र की परिधि में आ गये हैं। इस प्रकार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु 124 ग्राम/बस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से अधिक तथा निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1.5 किमी0 से अधिक है।

### *6.2 नवीन उच्च प्रा. विद्यालयों की स्थापना :*

जनपद में कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 151 तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 104 है। इस प्रकार कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय 255 हैं। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु 53 ग्राम/बस्तियाँ जिनकी आबादी 800 से अधिक तथा निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 3 किमी से अधिक है असेवित निकल कर आयी हैं परन्तु सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक है। वर्तमान में तथा असेवित क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या के आधार पर 53 के अतिरिक्त 161 अथवा कुल 214 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

असेवित ग्राम/मजरों का विवरण विकास खण्डवार सूची निम्न प्रकार है।

### असेवित क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सूची

| क्रम संख्या | विकास खण्ड | असेवित क्षेत्र | |
|---|---|---|---|
| | | क्रम सं0 | ग्राम/मगर का नाम |
| 1 | हाथरस | 1 | नगला तजना |
| | | 2 | करार |

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ..... D-11492
09-02-2002

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | खेड़ा चतुर्भुज |
| | | 4 | दरकई |
| | | 5 | न0 मान |
| | | 6 | गढ़ी सिंधा |
| | | 7 | रतनगढ़ी |
| | | 8 | न0 फारस |
| | | 9 | न0 मल्हू |
| | | 10 | न0 करन |
| 2 | मुरसान | 11 | नगला बांस |
| | | 12 | नया बांस |
| | | 13 | मूंगसा |
| | | 14 | नगला मौंठा |
| | | 15 | गिलोंदपुर |
| | | 16 | केसरगढ़ी |
| | | 17 | अहरई |
| | | 18 | मथु |
| | | 19 | न0 धन सिंह |
| 3 | सासनी | 20 | अकवरपुर |
| | | 21 | नौजरपुर |
| | | 22 | नहलोई |
| | | 23 | नगला भीका |
| | | 24 | भोपतपुर |
| | | 25 | गढी नन्दराम |
| | | 26 | नगला हरिया |
| | | 27 | कटैलिया |
| | | 28 | वत्तीसा |
| | | 29 | गोपालपुर |
| | | 30 | मदारगड्ढा |
| | | 31 | नगला वांग |
| | | 32 | नगला वीरवल |
| | | 33 | नगला मिश्रिया |
| | | 34 | नगला भम्भूजाट |
| | | 35 | नगला नया |
| | | 36 | नगला रतना |
| | | 37 | नगरिया चैन |
| | | 38 | जलालपुर |
| | | 39 | जरैया गढाखेड़ा |
| 4 | सिकन्दराराऊ | 40 | पहाड़पुर |
| | | 41 | लश्करगंज |
| | | 42 | लच्छिमपुर |
| | | 43 | नण्गंगी |
| | | 44 | न0 अडू |
| | | 45 | खेमगढी |
| | | 46 | चडरपुरा |
| | | 47 | वारमऊ |
| | | 48 | भुडिया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | हसायन | 49 | हैदलपुर |
| | | 50 | रामपुर (ढहौली) |
| | | 51 | सुलतानपुर |
| | | 52 | मानपुर |
| | | 53 | शीतलवाड़ा |
| | | 54 | नवावपुर |
| | | 55 | अमौसी |
| | | 56 | कमालपुर |
| | | 57 | उल्दापुर |
| | | 58 | नगला विहारी |
| | | 59 | नूरपुर |
| | | 60 | डेरावजारा |
| | | 61 | असोई |
| | | 62 | नं0 ब्राहमण |
| | | 63 | अभयपुर |
| 6 | सहपऊ | 64 | नं0 परशु |
| | | 65 | गढी भूपचन्द्र |
| | | 66 | नं0 रतिया |
| | | 67 | नं0 रमजू |
| | | 68 | भूत नगरिया |
| | | 69 | नं0 बैनी |
| | | 70 | नं0 महासुख |
| | | 71 | नं0 प्रेमसिंह |
| 7 | सादाबाद | 72 | नं0 सरूपा |
| | | 73 | नं0 चौधरी |
| | | 74 | नं0 नत्थू |
| | | 75 | नं0 बाग |
| | | 76 | नं0 सकत सिंह |
| | | 77 | नं0 गरीबा |
| | | 78 | नं0 जाटव |
| | | 79 | नं0 भूरा |
| | | 80 | गठवै |
| | | 81 | वासमोहन |
| | | 82 | वासपुरम |
| | | 83 | नं0 कंचन |
| | | 84 | कल्हू |
| | | 85 | श्रीनगर |
| | | 86 | नं0 वशिया |
| | | 87 | जजरिया |
| | | 88 | नं0 वीरवल |
| | | 89 | गढी हरबल |
| | | 90 | नं0 केहरी |
| | | 91 | नं0 छिददा |
| | | 92 | नं0 शीशिया |
| | | 93 | नं0 हरी |
| | | 94 | पट्टी शक्ति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 95 | कुकरई |
| | | 96 | लालगढी |
| | | 97 | नं0 छीतर |
| | | 98 | सरमस्तपुर |
| | | 99 | नं0 मदारी |
| | | 100 | नं0 भंगडी |
| | | 101 | नं0 राजा |
| | | 102 | गढी रत्ती |
| | | 103 | नं0 धोकला |
| | | 104 | सूमरा |
| | | 105 | नं0 मौहकम |
| | | 106 | गढी भगता |
| | | 107 | मेंडोरा |
| | | 108 | सिदूरा |
| | | 109 | वनगढ |
| | | 110 | गढ़ |
| | | 111 | नं0 गिजौली |
| | | 112 | गढी राधे |
| | | 113 | गढी हरिया |
| | | 114 | निवारी |
| | | 115 | नं0 हीरालाल |
| | | 116 | नं0 संधारी |
| | | 117 | नं0 दयाल |
| | | 118 | नं0 मानधात |
| | | 119 | मोतीगढी |
| | | 120 | नं0 काठ |
| | | 121 | नं0 मिठास |
| | | 122 | नं0 धांधू |
| | | 123 | नं0 जागराम |
| | | 124 | छाबा |

# असेवित क्षेत्रों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सूची

| क्रम संख्या | विकास खण्ड | असेवित क्षेत्र | |
|---|---|---|---|
| | | क्रम सं0 | ग्राम/मगरे का नाम |
| 1 | हाथरस | 1 | हाजीपुर |
| | ,, | 2 | तेहरा |
| 2 | मुरसान | 3 | कूँवरपुर |
| | ,, | 4 | झीगुरा |
| | ,, | 5 | कौरना चमरूआ |
| | ,, | 6 | खरगू |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | .. | 7 | अठरई |
| | .. | 8 | पैंठगाँव |
| | .. | 9 | दाऊदा |
| 3 | सासनी | 10 | किंदौली |
| | .. | 11 | असवा |
| | .. | 12 | अमरपुर घना |
| | .. | 13 | वीरनगर |
| | .. | 14 | विर्रा |
| 4 | सि0 राऊ | 15 | न0 जलाल |
| | .. | 16 | बढानू |
| | .. | 17 | नरहस्पुर |
| | .. | 18 | गुरैठा |
| | .. | 19 | बरगबाँ |
| | .. | 20 | गोकुलपुर |
| | .. | 21 | कदमपुर |
| | .. | 22 | रतिभानपुर |
| 5 | हसायन | 23 | नगरयिा प0 देवरी |
| | .. | 24 | भुर्रका |
| | .. | 25 | घुबई |
| | .. | 26 | गंगापुर |
| 6 | सादाबाद | 27 | न0 छीतर |
| | .. | 28 | कूपा कलां |
| | .. | 29 | करकौली |
| | .. | 30 | मढनई |
| | .. | 31 | कजरौठी |
| | .. | 32 | बहादुरपुर |
| | .. | 33 | करसौटा |
| | .. | 34 | सुसाइन |
| | .. | 35 | घनौटी |
| | .. | 36 | कूरसंडा |
| | .. | 37 | गुरसौटी |
| | .. | 38 | कंजौली |
| | .. | 39 | सरौठ |
| | .. | 40 | नानऊ |
| | .. | 41 | अरौठा |
| | .. | 42 | न0 चौधरी |
| | .. | 43 | ताजपुर |
| | .. | 44 | तसींगा |
| | .. | 745 | विल्हू चहत्तर |
| | .. | 46 | न0 प0 सादाबाद उर्दूभा0 |
| 7. | सहपऊ | 47 | रामपुर |
| | .. | 48 | सलेहपुर चन्दवारा |
| | .. | 49 | उद्यैना |
| | .. | 50 | घरौरा |
| | .. | 51 | कुकर गँवा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | .. | 52 | कोंकना कला |
| | .. | 53 | चौवारा |

## 6.3 शिक्षकों की व्यवस्था

असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने से उनके संचालन हेतु अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए 124 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक नियमित अध्यापक तथा एक शिक्षामित्र प्रति विद्यालय की दर से कुल 124 अध्यापक तथा 124 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी। 53 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु एक प्रधान अध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक प्रति विद्यालय की दर से कुल 53 प्रधान अध्यापक तथा 212 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त मानक के अनुसार 161 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 161 प्रधानाध्यापक एवं 644 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। नवीन विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है।

| विद्यालय प्रकार | नवीन विद्यालयों की संख्या | अध्यापकों की आवश्यकता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अध्यापक | शिक्षा मित्र | स0 अध्यापक |
| नवीन परिषदीय प्रा0 विद्यालय | 124 | 124 | 124 | – |
| नवीन परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय (राज्य सरकार के मानक के अनुसार) | 53 | 53 | – | 212 |
| नवीन परिषदीय उच्च प्रा. वि. (एस एस ए के मानक के अनुसार) | 214 | 214 | – | 856 |

### 6.4 विद्यालय साज–सज्जा

**प्राथमिक स्तर –**

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग बी.ई.पी. की भांति ग्राम शिक्षा समति के माध्यम से कराया जायेगा इस धनराशि से निम्न धनराशि को क्रय किया जायेगा – मेज, कुर्सी, बालटी, घंटा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी आलमारी, सन्दूक, श्याम पट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेंट (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, हवा भरने की पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) क्लास रूम टीचिंग मेटिरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोक, शब्द कोष, ज्ञान कोष,

खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम सामग्री के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गयी थी। इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है – मेज, कुर्सी, बाल्टी, घंण्टा लोटा, गिलास, कूड़ादान म्युजिकल इक्यूपमेंट, (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, स्कीपिंग रोप, हवा भरने का पम्प) क्लास रूम टीचिंग मेटिरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्यूपमेंट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

6.5 पेयजन, शौचालय, चहारदीवारी –

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिका के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सब की लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनिट लागत में शामिल किया गया है।

6.6 निर्माण कार्यवाही संस्था –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौंपा गया है।

## नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

## शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

## विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

# अध्याय 7

## शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना (ई.जी.एस./ए.आई.ई.)

### 7.1 शिक्षा की पहुँच

जनपद हाथरस में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार 24 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति के रहते हैं। पिछड़ी जाति के 30 प्रतिशत अल्पसंख्याक समुदाय के 8 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 38 प्रतिशत व्यक्ति इस जनपद में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या इन जनपद में नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से जनपद हाथरस का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित हैं जो खेती करते है अथवा खेतिहर मजदूर हैं। कुल भूमि की 4.83 प्रतिशत भूमि ऊसर है जिसका अधिकांश क्षेत्रफल हसायन तथा सिकन्द्राराऊ विकास खण्ड में आता है। खेती में गेहू, बाजरा, अरहर तथा आलू की प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है। आलू की खेती लगभग पूरे जनपद में होती है। परन्तु विकास खण्ड सादाबाद, सहपऊ, मुरसान, सासनी तथा हाथरस में प्रमुख रूप से आलू की खेती होती है। जिसके कारण आलू खुदाई के समय लगभग 2 माह तक अधिकांश कृषक, मजदूर तथा बच्चे इस कार्य में लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर होने के कारण उन्हें पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तथा वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मजदूरों का कुछ भाग वर्ष के लगभग 8 माह तक ईंट के भट्टों पर मजदूरी का कार्य करते हैं। इस अवधि में वे अपने बच्चों तथा परिवार को लेकर भट्टों परनिवास करते हैं इस कारण उनके बच्चे शिक्षा से बंचित रहते हैं अथवा थोड़े समय ही विद्यालयों में जाते हैं शेष 7–8 माह के लिए विद्यालयों से अलग हो जाते हैं।

नगर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र के समीप वाले क्षेत्रों के मजदूर विभिन्न उद्योगों में मजदूरी करते हैं। इ जनपद के हाथरस नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में गलीचा उद्योग तथा पीतल उद्योग, पुरदिल नगर के क्षेत्र में मोतियों का उद्योग तथा हसायन नगर क्षेत्र में गुलाब, इत्र का उद्योग प्रमुख हैं।

जनपद के 7 विकास क्षेत्रों में से 5 विकास खण्डों–सहपऊ, सादाबाद, सिकन्द्राराऊ, मुरसान तथा हसायन विकास खण्डो में अनौपचारिक शिक्षा संचालित रही है जिसके अन्तर्गत पूरे जनपद में कुल 497 केन्द्र संचालित रहे हैं। पिछला अनुभव यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम कतिपय कारणों वश अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है।

## 7.2 माइक्रोप्लानिंग

वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत स्तर प्रत्येक ग्राम/नगर की बालगणना करायी गयी जिसमें ग्राम/मजरे कुल जनसंख्या6–11 वर्ष के लिंग तथा वर्गवार बच्चों की संख्या, पढ़ने वाले तथा न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा चिन्हीकरण कराया गया। तदुपरान्त पुनः 6–9 फरवरी 2001 को एक अभियान के रुप में ग्राम/मजरे वार सर्वेक्षण कराकर विद्यालय न जो वाले बच्चों को विद्यालय न जाने के कारण सहित चिन्हित किया गया। यह कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर उस पंचायत में स्थित प्राथनिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य अध्यापकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से किया गया। प्राप्त आँकडे ग्राम पंचायत स्तर से संकुल स्तर प एन0 पी0 आर0 सी0 के प्रभारी द्वारा संकलित किये गये तथा संकुल स्तर से विकास क्षेत्र स्तर पर एकत्रित किये गये तदुउपरान्त जिला स्तर पर आंकडों का एकत्रीकरण किया गया। जिला स्तर पर एकत्रित आंकड़ों द्वारा आु एवं वर्गवार कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या, विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात की गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों के वाहुल्य क्षेत्रों का पता लगाया गया। उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा जनपद में कुल बच्चों की संख्या विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्न सारणी 7.1 के अनुसार है।

सा ी 7.1

### विद्यालय न जाने वाले बालकों का विवरण

| आयु वर्ग | कुल बच्चो की संख्या | | | विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या | | | विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| 6–11 वर्ष | 93141 | 82728 | 175869 | 89064 | 79018 | 168682 | 4077 | 3710 | 7787 |
| 11–14 वर्ष | 55582 | 45765 | 101347 | 54378 | 43846 | 38224 | 1204 | 1919 | 3123 |

आंकडों का श्रोत – अध्यापकों द्वारा बालगणना मई 2000

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001–02 में माइक्रोप्लानिंग एक्सरसाइज पुनः की जायेगी और भविष्य में ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों की संख्या इसी के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

## 7.3 ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 से 9 फरवरी 2001 के मध्य में ग्राम शिक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के अतिरक्ति अन्य जनप्रतिनिधि तथा अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। बैठक में सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी, अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों की जानकारी दी गयी। बैठकों में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण तथा उनके लिए शिक्षा की सम्भावाओ की समीक्षा की गयी।

ग्राम स्तर पर ग्राम योजना समिति का गठन कराकर ग्राम योजना तैयार करवायी गयी। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रस्ताव तथा सम्भावनाये ब्लाक स्तर पर संकलित करके जिला स्तर पर संकलित की गयी। जिसके अनुसार निम्नानुसार कार्यक्रम प्रस्तावित हैं –

## कार्यक्रम

### *7.4 शिक्षा गारन्टी योजना (ई0 जी0 एस)*

जनपद में अनेक ऐसे ग्राम/मजरों की जानकारी हुई जिनसे1 किमी की परिधि में कोई भी विद्यालय अथवा शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इन ग्राम मजरों के 6 से 8 वर्ष के छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जाते अथवा उनको जाने में कठिनाई होती है अथवा नियमित विद्यालय नहीं जाते, ऐसे क्षेत्र जहाँ 6–8 वर्ष की आयु के 30 अथवा 30 से अधिक बच्चे उपलब्ध हैं का विवरण विकास खण्डवार निम्न तालिका के अनुसार है।

## E.G.S. (शिक्षा गारन्टी योजना) हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की सूची

| विकास खण्ड का नाम | क्रम संख्या | E.G.S. केन्द्र हेतु ग्राम/मजरे का नाम | आवादी | निकटतम प्रा0 वि0 की दूरी | 6–8 वर्ष के उपलब्ध बच्चों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| हाथरस | 1 | मेवली | 475 | 01 कि0मी0 से अधिक | 36 |
| | 2 | नं0 खुशाली | 415 | " " | 40 |
| | 3 | नं0 खिरनी | 450 | " " | 38 |
| | 4 | गल्हा | 350 | " " | 35 |
| | 5 | हिम्मतपुर | 533 | " " | 39 |
| | 6 | नवलगढ़ी | 280 | " " | 45 |
| | 7 | नकटपुरा | 500 | " " | 40 |
| | 8 | नं0 जायस | 275 | " " | 36 |
| | 9 | दादनपुर | 550 | " " | 45 |
| | 10 | धौराकूँआ | 490 | " " | 45 |
| | 11 | नं0 चौखा | 325 | " " | 34 |
| | 12 | नं0 अलगर्जी | 1000 | " " | 35 |
| | 13 | बघना | 385 | " " | 40 |
| | 14 | शहजादपुर | 777 | " " | 50 |
| मुरसान | 15 | पट्टी सामन्त | 282 | 1.5 कि0मी0 | 21 |
| | 16 | न0 बीच | 347 | 1 कि0मी0 | 35 |
| | 17 | लखुपुरा | 484 | " " | 40 |
| | 18 | नं0 रामराय | 443 | " " | 37 |
| | 19 | रतभानगढी | 850 | 1.5 कि0मी0 | 69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | भोलम | 558 | 1 किमी0 | 55 |
| | 21 | न0 नया | 421 | ,, ,, | 51 |
| | 22 | न0 अनी | 1556 | ,, ,, | 155 |
| | 23 | न0 कृपा | 632 | ,, ,, | 75 |
| सारनी | 24 | न0 प्रीतम | 591 | ,, ,, | 36 |
| | 25 | न0 नन्नी | 544 | ,, ,, | 32 |
| | 26 | न0 माधौ | 631 | ,, ,, | 41 |
| | 27 | न0 सद्दा | 664 | ,, ,, | 39 |
| | 28 | जैतपुर | 581 | ,, ,, | 38 |
| | 29 | न0 महमूदपुर | 528 | ,, ,, | 32 |
| | 30 | न0 सुक्खा | 574 | ,, ,, | 37 |
| | 31 | अलीपुर | 793 | ,, ,, | 43 |
| | 32 | गदाखडा | 609 | ,, ,, | 40 |
| | 33 | हासिमपुर | 598 | ,, ,, | 41 |
| | 34 | न0 रूँद | 542 | ,, ,, | 43 |
| | 35 | मगौताखुर्द | 629 | ,, ,, | 47 |
| | 36 | गढौआ | 614 | ,, ,, | 47 |
| | 37 | मुकन्दखेडा | 523 | ,, ,, | 33 |
| | 38 | न0 बल्देव | 647 | ,, ,, | 35 |
| | 39 | ऊसरी | 514 | ,, ,, | 33 |
| सि0 राऊ | 40 | अल्हैपुर | 317 | 1.5 किमी0 | 32 |
| | 41 | गठिया | 734 | ,, ,, | 41 |
| | 42 | नगरयिा | 300 | ,, ,, | 33 |
| | 43 | न0 छऊआ | 300 | ,, ,, | 32 |
| | 44 | न0 भूड | 979 | ,, ,, | 44 |
| | 45 | रायपुर | 377 | ,, ,, | 32 |
| | 46 | गठिया | 689 | ,, ,, | 35 |
| | 47 | न0 कोठी | 448 | ,, ,, | 32 |
| | 48 | उम्मेदपुर | 425 | ,, ,, | 32 |
| | 49 | जुल्हापुर | 1029 | ,, ,, | 65 |
| | 50 | गडिया | 724 | ,, ,, | 43 |
| | 51 | न0 शकर | 343 | ,, ,, | 32 |
| | 52 | राजपुर | 442 | ,, ,, | 33 |
| | 53 | हीरापुर | 384 | ,, ,, | 33 |
| | 54 | कुन्दनपुर | 504 | ,, ,, | 35 |
| | 55 | देवीपुर | 528 | ,, ,, | 36 |
| हरायन | 56 | अमौरी | 655 | ,, ,, | 43 |
| | 57 | कमालपुर | 575 | ,, ,, | 35 |
| | 58 | नबाबपुर | 637 | ,, ,, | 40 |
| | 59 | न0 बिहारी | 527 | ,, ,, | 40 |
| | 60 | रायपुर टप्पा | 696 | 1.2 किमी0 | 38 |
| | 61 | कमसारा गढी | 330 | 1.5 किमी0 | 32 |
| | 62 | अल्हैदीनपुर | 313 | 1 किमी0 | 35 |
| | 63 | गढा हररुप | 375 | 1 किमी0 | 37 |
| | 64 | न0 कुशल | 361 | ,, ,, | 28 |
| | 65 | अतुर्रा | 359 | ,, ,, | 34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | गढ़ी जयमल | 291 | .. .. | 34 |
| | 67 | नं0 बहादुर | 312 | .. .. | 37 |
| | 68 | दत्त गढ़ी | 380 | .. .. | 38 |
| | 69 | गढ़ी नीलकठ | 410 | .. .. | 39 |
| | 70 | पालरा | 390 | .. .. | 41 |
| | 71 | गठीअँचा | 370 | .. .. | 35 |
| | 72 | पांदा | 312 | .. .. | 32 |
| | 73 | नं0 हरनाम | 275 | .. .. | 28 |
| सहपऊ | 74 | नं0 रायसिंह | 375 | .. .. | 30 |
| | 75 | लाला भौलू | 37[illegible] | .. .. | 30 |
| | 76 | नं0 मंशाराम | 303 | .. .. | 30 |
| | 77 | नं0 जसुआ | 240 | .. .. | 30 |
| | 78 | नं0 कंजड/नं0 बंजारा | 517 | .. .. | 30 |
| | 79 | गढ़ी बलजीत | 524 | .. .. | 30 |

श्रोत विभागीय आंकडे

उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपद में कुल 79 ई जी एस केन्द्रो के माध्यम से 3155 बच्चों को कक्षा 1 तथा 2 की शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी अत: इन केन्द्रो के संचालन हेतु 79 अनुदेशकों की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त अनुदेशकों को माह का प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा खोले गये ई जी एस केन्द्रो के संचालन तथा पठन–पाठन हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

## *7.5 वैकल्पिक शिक्षा – (ए. आई. ई.)*

ग्राम पंचायत स्तर पर किये गये एफ. जी. डी. के आधार पर तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद में लगभग 1025 बच्चे ऐसे है जो विद्यालय समय में कार्यो में सलग्न रहने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं तथा वे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इन कामकाजी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएगें, जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार समय निर्धारित करते हुए 4 घण्टे संचालित किए जाएगें। खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण विकास खण्ड वार सूची निम्न प्रकार है

# ए. आई. ई. (वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र) हेतु प्रस्तावित सूची

| क्रम सं0 | विकास खण्ड का नाम | क्रम सं0 | ए. आई. केन्द्र हेतु केन्द्र का नाम | 9–14 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हाथरस | – | – | – |
| 2 | मुरसान | 1 | खरगू | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | दुकसान | 20 |
| 3 | सासनी | | – | – |
| 4 | सिकन्दराराऊ | 3 | न0 जलाल | 21 |
| | | 4 | टोली | 41 |
| 5 | हसायन | 5 | नवावपुर | 19 |
| | | 6 | मढी | 21 |
| | | 7 | मोहनपुर | 17 |
| | | 8 | जरीनपुर | 20 |
| 6 | सादाबाद | 9 | न0 कला | 19 |
| | | 10 | न0 छेरा | 29 |
| | | 11 | जतोई | 17 |
| | | 12 | गढी बैरी | 17 |
| | | 13 | ताजपुर | 28 |
| | | 14 | बनारसीपुर | 18 |
| | | 15 | कुरसन्डा | 21 |
| | | 16 | नगरिया | 16 |
| | | 17 | पुसौनी | 25 |
| | | 18 | कनौली | 16 |
| | | 19 | गोविन्दपुर | 28 |
| | | 20 | घूचा | 20 |
| | | 21 | कुम्हर्रा | 18 |
| | | 22 | सादाबाद I | 474 |
| | | 23 | सादाबाद II | |
| | | 24 | सादाबाद III | |
| | | 25 | सादाबाद IV | |
| 7 | सहपऊ | 26 | राजनगर | 23 |
| | | 27 | मुतहरा | 30 |
| | | 28 | तकिया | 17 |
| | | 29 | कोकनाकलाँ | 20 |

श्रोत – विभागीय आंकडे

उपरोक्तानुसार जनपद में कुल 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें जिनमें लगभग 1025 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन केन्द्रों के संचालन हेतु प्राथमिक स्तर के एक अनुदेशक प्रति केन्द्र की दर से कुल 58 अनुदेशक नियुक्त किये जाएगें। अनुदेशकों को 30–30 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा जो डी. आई. ई. टी. के माध्यम से सम्पन्न होगा।

ए. आई. ई. केन्द्रों के संचालन हेतु छात्रों के शिक्षण हेतु सामग्री, केन्द्रों के लिए शिक्षण–सामग्री तथा केन्द्र कन्टीजेन्सी उपलब्ध करायी जायेगी।

## 7.6 ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर

जनपद में सर्वेक्षण तथा वालगणना के आधार पर ऐसे ग्राम/मजरे बहुत कम हैं जहॉ 20 या 20 से अधिक संख्या में विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध हों। अधिकांश ग्राम/मजरों में 2 से 8 बच्चे ही ऐसे हैं जो किन्हीं कारणोंवश विद्यालय नहीं जाते है। विकास खण्ड वार विद्यालय न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या निम्न तालिका के अनुसार है।

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | हाथरस | 1641 |
| 2 | मुरसान | 1767 |
| 3 | सासनी | 1589 |
| 4 | सिकन्द्राराऊ | 764 |
| 5 | हसायन | 485 |
| 6 | सादाबाद | 2350 |
| 7 | सहपऊ | 1022 |
| 8 | नगर क्षेत्र हाथरस | 750 |
| 9 | नगर क्षेत्र सिकन्द्राराऊ | 542 |
| | योग | 10910 |

**श्रोत–बालगणना**

उपरोक्त तालिका के अनुसार विकास खण्ड सादाबाद में सबसे अधिक न पढ़ने वाले बच्चे निकलकर आये हैं अतः विकास खण्ड सादाबाद में ऐसे सभी न पढ़ने वाले बालक/बालिकाएँ, जो वालश्रमिक, घुमन्तू, स्ट्रीट चाइल्ड अथवा मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, की शिक्षा के लिए एक ब्रिज कोर्स खोला जाएगा जिसमें 100 बच्चों को अलग–2 क्षेत्रों से लाकर प्रवेश कराया जायेगा। यह कोर्स आवासीय होगा जो लगभग 6 माह तक संचालित किया जायेगा। इस शिविर के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया जायेगा। इस शिविर के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया जायेगा। शिविर में बच्चों को रहने, खाने–पीने एवम् शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशपुल्क होगी। व्यवस्था के लिये एक केयर टेकर, दो वैरा टीचर, एक कुक तथा एक चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी।

## 7.7 पर्यवेक्षण की व्यवस्था

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नियमित पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। पर्यवेक्षण कार्य ग्राम शिक्षा समिति, एन0 पी0 आर0 सी0 के प्रभारियों, वी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उनके अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) तथा राज्यस्तरीय अधिकारियों डाटा भी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यपाक नियमित रूप से प्रदिन, एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी माह में 10 दिन तथा अन्य अधिकारी समय–समय पर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

## 7.8 अनुश्रवण

एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी/वी0 आर0 सी0 समन्वयकों द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक वैठकें आयोजित की जाएगी तथा संचालित सभी केन्द्रों के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। वैकल्पिक केन्द्रों से सम्बन्धित समस्त आकड़ों का एककीकरण व संकलन किया जाएगा।

ऑकड़ों में मुख्य रूप से वच्चों का इन केन्द्रों में आना तथा मुख्य धारा में जाने का विवरण होगा। ऑकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन किया जाएगा।

ऑकड़ों ने मुख्य रूप से वच्चों का इन केन्द्रों में आना तथा मुख्य धारा में जाने का विवरण होगा। ऑकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन तथा मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक होगा जिसका समय–समय पर सत्यापन कराया जायेगा।

## परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 3123 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

## अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

# ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

# अध्याय–8

## ठहराव में वृद्धि

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जनपद की मुख्य समस्या बच्चों के विद्यालय में ठहराव की है बच्चों के ठहराव में वृद्धि हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993–94 से वर्ष 1999–2000 तक कुल नौ प्राथमिक विद्यालयों तथा आठ उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण व 77 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण हुआ है जिससे नामांकन, ठहराव व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है किन्तु इसके बावजूद भी दो विकास खण्ड – सादाबाद तथा सहपऊ में बेसिक शिक्षा परियोजना के आच्छादित न होने तथा छात्र संख्या में वृद्धि के कारण अभी भी अनेक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय तथा चहारदीवारी की आवश्यकता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

### *8.1 निर्माण कार्य*

### *(अ) पुर्ननिर्माण*

जनपद में 38 विद्यालय जर्जर/ध्वस्त हैं जिनमें छात्रों को नहीं पढाया जा सकता। अतः इन 38 प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराना आवश्यक है। इन विद्यालयों में से 01 विद्यालय जिला योजना द्वारा स्वीकृत हो चुका है। अतः शेष 37 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया जाएगा।

इसी प्रकार जनपद में कुल 141 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में से 10 विद्यालय भवन जीर्ण/ध्वस्त हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाएगा। विकास क्षेत्रवार पुर्ननिर्माण कराये जाने वाले विद्यालयों का विवरण निम्न सारणी में अंकित है।

सारणी 8.1

ब्लाक/न0 क्षेत्रवार पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालयों का विवरण

| क्रम सं0 | नाम विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र | पुर्ननिर्माण हेतु विद्यालयों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | प्राथमिक विद्यालय | उच्च प्राथमिक विद्यालय |
| 1 | हाथरस | 04 | 03 |
| 2 | मुरसान | 02 | – |
| 3 | सासनी | 05 | – |
| 4 | सि0 राऊ | 04 | 04 |
| 5 | हसायन | 03 | – |
| 6 | सादाबाद | 12 | 02 |
| 7 | सहपऊ | – | – |
| 8 | नगर क्षेत्र हाथरस | 04 | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | नगर क्षेत्र सिकन्दराराऊ | 03 | 01 |
| | योग | 38 | 10 |

श्रोत – विभागीय आंकडे

## *(ब) अतिरिक्त कक्षा कक्ष*

छात्र संख्या के अनुपात में सभी विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध न होने के कारण बच्चों को विद्यालय में बैठने में असुविधा रहती है जिसके कारण बच्चों का विद्यालय में ठहराव कम हो जाता है। जनपद में 39 प्राथमिक विद्यालयों के भवन एक कक्षीय हैं तथा 237 विद्यालय दो कक्षीय हैं इन विद्यालयों में न्यूनतम तीन कक्ष का मानक मानते हुए एक कक्षीय विद्यालय में दो–दो तथा दो कक्षीय विद्यालय में एक–एक अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त जनपद में 73 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्र नामांकन 200 से अधिक हैं परन्तु इन विद्यालय भवनों में तीन कक्ष से अधिक कक्ष नहीं हैं अतः ऐसे भवनों में एक–एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण की आवश्यकता है इस जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 388 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति देखी जाए तो दस उच्च प्राथमिक विद्यालय दो कक्षीय हैं तथा 68 उच्च प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय हैं इन विद्यालयों में न्यूनतम चार कक्षा कक्ष विद्यालय के मानक के अनुसार 10 दो कक्षीय विद्यालयो में दो–दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 68 तीन कक्षीय विद्यालयों में एक–एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी इनके अतिरिक्त 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या अधिक होने के कारण तीन अनुभाग से अधिक अनुभाग हैं अतः ऐसे विद्यालयों में एक–एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी इस प्रकार जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 118 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का विवरण निम्न सारणी के अनुसार है

सारणी 8.2

अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता का विवरण

| क्र.स. | भवन का प्रकार | प्राथमिक विद्यालय | | उच्च प्राथमिक विद्यालय | | कुल आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता | संख्या | अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता | |
| 1. | एक कक्षीय विद्यालय | 39 | 78 | – | – | 78 |
| 2. | दो कक्षीय विद्यालय | 237 | 237 | 10 | 20 | 257 |
| 3. | तीन कक्षीय विद्यालय | 73 | 73 | 68 | 68 | 141 |
| 4. | चार कक्षीय विद्यालय | – | – | 30 | 30 | 30 |
| | योग: | | 388 | | 118 | 506 |

स्रोत: विभागीय आँकड़े

सारणी 8.2 अ

## प्राथमिक परिषदीय विद्यालयें में अध्यापकों की आवश्यकता

| वर्ष | परिषदीय वि0 में छात्र नामांकन | ड्राप आउट दर | वास्तविक नामांकन | 40:1 के अनुपात से वांछित अध्या0 संख्या | अति0 अध्या0 की आवश्यकता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अध्यापक | शिक्षा मित्र | योग |
| 2000–2001 | 126784 | 40 प्रतिशत | 76070 | 1901 | -- | -- | -- |
| 2001–2002 | 129623 | 35 प्रतिशत | 84254 | 2106 | -5 | -- | -- |
| 2002–2003 | 132526 | 25 प्रतिशत | 99394 | 2484 | 56 | 57 | 113 |
| 2003–2004 | 135494 | 15 प्रतिशत | 115169 | 2879 | 197 | 198 | 395 |
| 2004–2005 | 138529 | 05 प्रतिशत | 131602 | 3290 | 205 | 206 | 411 |
| 2005–2006 | 141632 | -- | 141632 | 3540 | 125 | 125 | 250 |
| 2006–2007 | 144804 | -- | 144804 | 3620 | 40 | 40 | 80 |
| 2007–2008 | 148047 | -- | 148047 | 3701 | 40 | 41 | 81 |
| 2008–2009 | 151363 | -- | 3784 | 3784 | 41 | 42 | 83 |
| 2009–2010 | 154753 | -- | 154753 | 3868 | 42 | 42 | 84 |
| योग | | | | | 746 | 751 | 1497 |

**विद्यालय मरम्मत**

जनपद में **50** प्राथमिक विद्यालय तथा **20** उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग है जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। **20** प्राथमिक विद्यालय तथा **15** उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70,000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजन समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

*(स) शौचालय*

जनपद हाथरस में कुल परिषदीय 689 प्राथमिक विद्यालयों में से 244 शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय हैं इसी प्रकार कुल परिषदीय 150 उच्च प्रा0 विद्यालयों में से 53 शौचालय विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं चूकि विद्यालयों में सहशिक्षा दी जाती है अतः शौचालय न होने के कारण बालिकाओं को असुविधा होती है। इस कारण से बालिका का ठहराव कम हो जाता है। अतः कुल शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाये जायेंगे।

*(द) हैण्डपम्प*

जनपद में कुल परिषदीय 15 प्राथमिक विद्यालय तथा 6 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैण्डपम्प विहीन है जिनकी सूची यू0 पी0 एग्रो को भेजी जा चुकी है। तथा उन विद्यालयों में हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य चल रहा है। अतिरिक्त नवीन हैण्ड पम्पों की आवश्यकता नहीं है।

*(य) चहारदीवारी*

जनपद में अधिकांश विद्यालय वाउण्ड्री वाल विहीन है जिसके कारण विद्यालय प्रांगण में सफाई, वृक्षारोपण तथा भवन एवं छात्रों की सुरक्षा का अभावरहता है जिससे विद्यालय आकर्षक नहीं हो पाते है। जिससे छात्रों के ठहराव में प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है अतः बाउण्ड्री वाल विहीन विद्यालयों में वाउण्ड्री वाल निर्माण की आवश्कता है।

जनपद में कुल 467 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 103 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाउण्ड्री वाल विहीन हैं अतः इन विद्यालयों में वाउण्ड्री वाल का निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, हैण्डपम्प तथा वाउण्ड्री वाल के निर्माण का विवरण सारणी 8.3 के अनुसार है।

**सारणी 8.3**
**विद्यालयों हेतु वांछित भौतिक आवश्यकताओं का विवरण**

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य | निर्माण हेतु संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | प्रा0 विद्यालय | उच्च प्रा0 विद्यालय |
| 1 | पुर्न निर्माण | 38 | 10 |
| 2 | अतिरिक्त कक्षा कक्ष | 1233 | 79 |
| 3 | शौचालय | 244 | 53 |
| 4 | हैडपंम्प | – | – |
| 5 | चाहरदीवारी | 454 | 103 |

श्रोत – विभागीय सर्वेक्षण

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था स्थानीय/निजी समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

*8.2 अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र*

विद्यालयों में बच्चों का ठहराव कम होनें का कारण छात्र अनुपात में अध्यापकों की अनुपलब्धता है। अतः जनपद में 40 : 1 कें अनुपात से शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 747 सहायक अध्यापक तथा 745 शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

*8.3 विद्यालय सुविधाओं हेतु व्यवस्था*

क–विद्यालय मरम्मत/रखरखाव हेतु अनुदान

विद्यालयों कें रखरखाव, साज सज्जा तथा विद्यालयों को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों को सुविधा देना आवश्यक है। वर्तमान में जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 689 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 150 है। असेवित क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और खुल जाने से कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 813 तथा उच्च प्रा0 वि0 की संख्या 203 हो जायेगी। अतः इन विद्यालयों के मरम्मत के रख रखाव, साज सज्जा तथा विद्यालयों की आकर्षक बनाने के लिये 5000 रुपये प्रति विद्यालय तथा प्रति वर्ष की दर से मरम्मत हेतु धन 2000 रुपया प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से स्कूल अनुदान दिया जायेगा।

जनपद में 50 प्राथमिक विद्यालय तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 20 प्राथमिक विद्यालय तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं, उनकी मरम्मत हेतु रु 70000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

ख– विद्यालय विकास अनुदान

विद्यालयों की रंगाई पुताई, आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं लघु कार्य कराने हेतु 2000 रुपये प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जायेगा।

*8.4 कार्यानुभव बालकों के लिए*

जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर कराये गये समूह चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ–साथ ऐसी शिक्षा भी प्रदान की जाय कि बच्चे छोटे–मोटे काम धन्धे भी सीख लें जिससे बच्चों को नौकरी न मिलने पर वे व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर सकें। अतः सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव की कक्षाऐं संचालित की जाएगी। जिससे अभिभावकों की शिक्षा की उपयोगिता समझ में आयेगी तथा बच्चों का ठहराव बढ़ेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा कार्यानुभव से सम्बन्धित कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु प्रति विद्यालय की दर से धन की आवश्यकता होगी।

*8.5 बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम*

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों को साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है।

## 8.5 बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों को साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है। जनपद हाथरस में महिला साक्षरता राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है। महिला साक्षरता दर 26.8 प्रतिशत है। जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सभी वर्गो में अपेक्षित जागरुकता की कमी है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तद्नुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गये।

इस विवरण में यह बात स्पष्ट रुप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाए गये विभिन्न अभियानों और गाँव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई है जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बैसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये है। इनमें 3–6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथनिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणाम स्वरुप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्वि हुई क्योंकि बालिकाएं अक्सर इस वय वर्ग के अपने छोटे भाईबहिनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्याअनुभव के अन्तर्गत प्रयोग के रूप में कार्यानुभव कक्षाओं की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्वि हुई एवं Drop Out दर में कमी आयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ –

# बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

## समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

**माता शिक्षक संघ**– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

**महिला प्रेरक दल**–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर सनुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर प्रति विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

## कार्यक्रम–

### (अ) जनजागरण अभियान –

जनपद हाथरस में 5629 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जाएगें विशेषकर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ ऐसा है जहाँ पर बालिकाऐं घरों पर काम करती है या अल्प संख्यक है अपेक्षा कृत पिछड़ी हुई है इनके माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जाएगा इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियाँ जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

### (ब) बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन :–

1. समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदन शील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाएगें।

2. महिला प्रेरक समूहों, MTA का गठन एवं प्रशिक्षण

3. जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण

### (स) बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियाँ –

जनपद के अत्यन्त पिछडे एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों, विकास खण्डों, न्याय पंचायतों, ग्राम सभाओं मे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर, माडल ग्राम सभा, विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें।

### 1 माडल व्लास्टर डवेलपमेन्ट एप्रोच–

न्याय पंचायत को माडलक्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इन क्लस्टर के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालित किए जायेगें ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्रम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिका का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों मे बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने उनके नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरों, किशोरी संघों के गठन आदि आयोजित होंगे। धीरे–धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्वि की जाएगी।

2 विशेष नामांकन अभियान –

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेटरी रूरल एप्रेजल विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा प्राप्त आकड़ों के आधार पर सिकन्दराराऊ में नामांकन अभियान चलाया जाएगा।

सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक समप्राप्ति में वृद्वि हो इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर घर तक पहुँचना आवश्यक है इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जाएगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जाऐगें ।

अ – मीना कैम्पेन :– इसके माध्यम से प्रत्येक गाँव स्तर पर गोष्ठीयों का आयोजन किया जाएगा, फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, नारे, पोंस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।

ब – माँ बेटी मेला आयोजन :– ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा इसका उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।

3 ग्राम शिक्षा समितियों की न्यायपंचायत स्तर पर कार्यशालाए/प्रशिक्षण खोलना :– प्रत्येक स्तर पर सुझाव की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिए MTA, PTA, VEC, महिला प्रेरक समूह व्लाक तथा NPRC केन्द्रों के समन्वयक के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें।

4 ग्राम शिक्षा समितियों, MTA, महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण :–

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्वि हेतु VEC, MTA, WMG को संवेदनशील बनाना, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गति विधियों में उनका योगदान सुनिशिचित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस हेतु सूची जि0 प्रा0 शि0 कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग की जाएगी।

5 सेवारत अध्यापक BRC, NPRC समन्वयकों का प्रशिक्षण –

समस्त अध्यापकों एवं BRC, NPRC कोर्डिनेटर को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रक्रियायों को गति हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

## (द) ग्रीष्म कालीन शिविर :–

1. ड्राप आउठ बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने हेतु 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामांकित कराया जाएगा। यह शिविर प्राथमिक एवं उ0 प्रा0 वि0 दोनों के लिए चलाये जाएगें क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

2. विशेष कोंचिग हेतु – जिन लड़कियों का उपलब्धीकरण कम है उनको इन शिविरों के माध्यम से अतिरिक्त ोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।

3. बालिकाएं विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के पढ़ने वाली बालिकाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय में नियमित उपस्थिति न रह पाने के कारण बहुधा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे–2 हीन भावना एवं कक्षा में अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। ऐसी वालिकाओं को चिन्हित कर ब्लाक स्तर पर 40–50 वालिकाओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिन का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे शिविरों में पूर्व में चिन्हित कठिन स्थलों यथा विज्ञान, गणित अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षक के साथ–साथ चलेगा, मार्शल आर्ट, लाईफ स्कील तथा कम्यूनिटी के अनुभव का भी लाभ मिल सकेगा।

अन्य चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार वालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। ऐसा शिविर सादाबाद विकास खण्ड में प्रस्तावित है। इस शिविर में 3 माह का ब्रिजकोर्स आयोजित कर शालात्यागी वालिकाओं को कंडेस कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।

## (य) उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम–

कार्यानुभव करके सीखने की शिक्षा विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड पर आधुनिक तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला चित्रण, बुनाई सिलाई, कढाई, की शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर मिट्टी के खिलौने बनाना कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तकला, धातुकला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जाएगा इस वर्ष विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभव योजना प्राप्त है। अगले वर्षो में इसका विस्तार किया जायेगा। आदर्श रूप मे दो विद्यालयों में-कम्प्यूटर शिक्षा को सामान्य ज्ञान देने हेतु प्रस्ताव है।

**(र) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण –**

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का छात्र नामांकन एवं उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के समस्त बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक देने का प्रस्ताव है।

**(ल) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृणीकरण –**

बालिकाओं में शिक्षा के सार्वभोगीकरण के लिए ECCE एक प्रमुख कार्यक्रम है। जनपद हाथरस में 3–6 मय वर्ग के बच्चों के लिए बालवाड़ी आंगन वाडी, आई सी डी एस, ई सी सी ई केन्द्र चल रहे है। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक मानसिक इन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

1. छोटे भाईबहिनों की देखरेख में लगी सभी बालिकाओं एवं बालकों को मुक्त कर विद्यालयों तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. छोटे बच्चे प्रथम वार स्कूल जाने में हिचकते हैं क्योंकि वे स्कूल के वातावरण से परिचित नही होते और उनके मन में एक अज्ञान भय सा बना रहता है अतः छोटे बच्चों को स्कूल के वातावरण से परिचित कराने तथा उनके अज्ञान भय को दूर करकें स्कूल जाने योग्य तैयार करना ECCE केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे।

**(व) ICDS के साथ समन्वय –**

समन्वयक वालिका शिक्षा, कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी NGO आदि को मिलाकर DRG और BRG का गठन किया जाएगा और निम्न क्षेत्रों में ICDS के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

(अ) आंगनवाडी केन्द्रों का समय स्कूल समय के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(ब) आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण या विद्यालय के निकट में ही कराया जाएगा।

(स) आंगनवाडी केन्द्रों को TLM सामग्रियां उपलबध करायी जायेंगी।

(द) ECCE ICDS केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमता का विकास किया जाएगा।

**(श) नवीन केन्द्रों की स्थापना :–**

जिन विकास खण्डों में आंगनवाडी केन्द्र संचालित नहीं है उन व्लाकों में NGO'S के सहयोग से ECCE केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

3–5 वय वर्ग वच्चों को स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और वहाँ के पाठ्यक्रम में कुछ अध्याय पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जोड़े जाएगें प्रयोग के तौर पर।

**पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता**

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, के अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। इन प्रस्ताव को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

*8.6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण*

आर्थिक विपन्नता के कारण बहुत से बच्चे पाठ्य पुस्तकें क्रय नही कर पाते हैं इस कारण से उनकी शिक्षा की गुणवत्ता तथा ठहराव पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इस समस्या के निराकरण हतु, अनुसूचित जाति के बच्चों तथा समस्त वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस जनपद में विकास खण्ड वार तथा कक्षावार अनुसूचित जाति के वालक तथा समस्त वर्ग की वालिकाओं की संख्या सारणी 8.4 के अनुसार है।

सारणी 8.4

# निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु ब्लाक वार एवं कक्षा वार बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की सूची

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

| | कक्षा 1 | | | | | कक्षा 2 | | | | | कक्षा 3 | | | | | कक्षा 4 | | | | | कक्षा 6 | | | | | कुल योग | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनु. जाति | | | बालिका | कुल | अनु. जाति | | | बालिका | कुल | अनु. जाति | | | बालिका | कुल | अनु. जाति | | | बालिका | कुल | अनु. जाति | | | बालिका | कुल | अनु. जाति | | | बालिका | कुल |
| | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्यवर्ग | योग |
| हाथरस | 1225 | 1083 | 2308 | 871 | 3179 | 1072 | 979 | 2051 | 763 | 2814 | 921 | 834 | 1755 | 703 | 2458 | 763 | 754 | 1517 | 538 | 2055 | 544 | 462 | 1006 | 397 | 1403 | 4525 | 4112 | 8637 | 3272 | 11909 |
| मुरसान | 897 | 805 | 1702 | 1016 | 2718 | 1097 | 920 | 2017 | 1055 | 3072 | 924 | 849 | 1773 | 1090 | 2863 | 835 | 719 | 1554 | 970 | 2524 | 568 | 520 | 1088 | 724 | 1812 | 4321 | 3813 | 8134 | 4855 | 12989 |
| सासनी | 1228 | 1143 | 2371 | 1280 | 3651 | 1346 | 1151 | 2497 | 1127 | 3624 | 1105 | 949 | 2054 | 1002 | 3056 | 956 | 824 | 1780 | 841 | 2621 | 717 | 636 | 1263 | 746 | 1999 | 5362 | 4607 | 9969 | 4997 | 14951 |
| सिकन्दराराऊ | 538 | 528 | 1066 | 1096 | 2160 | 832 | 702 | 1534 | 1501 | 3035 | 621 | 539 | 1160 | 1129 | 2289 | 599 | 452 | 1051 | 846 | 1897 | 466 | 436 | 902 | 581 | 1483 | 3045 | 2657 | 5702 | 5152 | 10854 |
| हसायन | 815 | 462 | 1277 | 1380 | 2657 | 787 | 716 | 1503 | 1338 | 2841 | 995 | 813 | 1808 | 1269 | 3077 | 941 | 834 | 1775 | 1305 | 3080 | 776 | 667 | 1443 | 1043 | 2486 | 4314 | 3492 | 7806 | 6335 | 14141 |
| सहपऊ | 889 | 802 | 1691 | 1104 | 2795 | 775 | 609 | 1384 | 978 | 2362 | 615 | 518 | 1133 | 700 | 1833 | 536 | 299 | 835 | 585 | 1420 | 290 | 150 | 440 | 410 | 850 | 3105 | 2378 | 5483 | 3777 | 9260 |
| सादाबाद | 1024 | 896 | 1920 | 1710 | 3630 | 966 | 815 | 1781 | 1784 | 3565 | 899 | 818 | 1717 | 1632 | 3349 | 751 | 671 | 1422 | 1410 | 2832 | 599 | 419 | 1018 | 1100 | 2118 | 4239 | 3619 | 7858 | 7636 | 15494 |
| योग | 6605 | 5719 | 12324 | 8456 | 20780 | 6876 | 5891 | 12767 | 8546 | 21313 | 6080 | 5320 | 11400 | 7525 | 18925 | 5381 | 4553 | 9934 | 6495 | 16429 | 3960 | 3190 | 7150 | 6001 | 12151 | 29522 | 25212 | 54734 | 36126 | 90860 |
| नगर क्षेत्र सि० राऊ | 137 | 137 | 274 | 155 | 429 | 95 | 95 | 190 | 134 | 324 | 65 | 65 | 130 | 85 | 215 | 35 | 35 | 70 | 57 | 127 | 15 | 23 | 38 | 33 | 71 | 347 | 355 | 702 | 464 | 1166 |
| नगर क्षेत्र हाथरस | 250 | 274 | 524 | 298 | 822 | 198 | 171 | 369 | 193 | 562 | 148 | 138 | 286 | 157 | 443 | 128 | 107 | 235 | 105 | 340 | 88 | 79 | 167 | 97 | 264 | 812 | 769 | 1581 | 840 | 2421 |
| योग नगर क्षेत्र | 387 | 411 | 798 | 453 | 1251 | 293 | 266 | 559 | 327 | 886 | 213 | 203 | 416 | 242 | 658 | 263 | 142 | 405 | 162 | 567 | 103 | 102 | 205 | 120 | 326 | 1159 | 1124 | 2283 | 1304 | 3587 |
| महायोग जनपद | 6992 | 6130 | 13122 | 8909 | 22031 | 7168 | 6158 | 13326 | 8873 | 22199 | 6293 | 5523 | 11816 | 7767 | 19583 | 5644 | 4695 | 10339 | 6657 | 16996 | 4063 | 3292 | 7355 | 5121 | 12476 | 30681 | 26336 | 57017 | 37430 | 94447 |

स्रोत : विद्यालयों से प्राप्त आंकड़े

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

| | कक्षा 6 | | | | | कक्षा 7 | | | | | कक्षा 8 | | | | | कुल योग | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनु जाति | | | बालिका | कुल | अनु जाति | | | बालिका | कुल | अनु जाति | | | बालिका | कुल | अनु जाति | | | बालिका | कुल |
| | बालक | बालिका | योग | अन्य वर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्य वर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्य वर्ग | योग | बालक | बालिका | योग | अन्य वर्ग | योग |
| हाथरस | 249 | 145 | 394 | 190 | 584 | 187 | 112 | 299 | 79 | 378 | 146 | 97 | 243 | 86 | 329 | 582 | 354 | 936 | 355 | 1291 |
| मुरसान | 273 | 72 | 345 | 289 | 634 | 233 | 141 | 374 | 254 | 628 | 198 | 121 | 319 | 240 | 559 | 704 | 334 | 1038 | 783 | 1821 |
| सासनी | 358 | 240 | 598 | 354 | 952 | 273 | 134 | 407 | 826 | 1233 | 261 | 115 | 376 | 250 | 626 | 892 | 489 | 1381 | 1430 | 2811 |
| सिकन्दराराऊ | 235 | 70 | 305 | 204 | 509 | 217 | 65 | 282 | 195 | 477 | 158 | 47 | 205 | 145 | 350 | 610 | 182 | 792 | 544 | 1336 |
| हसायन | 605 | 756 | 1361 | 825 | 2186 | 559 | 437 | 996 | 778 | 1774 | 243 | 114 | 357 | 214 | 571 | 1407 | 1307 | 2714 | 1817 | 4531 |
| सहपऊ | 134 | 57 | 191 | 130 | 321 | 131 | 47 | 178 | 103 | 281 | 118 | 21 | 139 | 63 | 202 | 383 | 125 | 508 | 296 | 804 |
| सादाबाद | 96 | 235 | 331 | 596 | 927 | 73 | 205 | 278 | 534 | 812 | 64 | 198 | 262 | 652 | 914 | 233 | 638 | 871 | 1782 | 2653 |
| योग | 1950 | 1575 | 3525 | 2588 | 6113 | 1673 | 1141 | 2814 | 2769 | 5583 | 1188 | 713 | 1901 | 1650 | 3551 | 4811 | 3429 | 8240 | 7007 | 15247 |
| नगर क्षेत्र सि0 राऊ | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | – | 6 | 9 | 13 | 22 | 20 | 42 |
| नगर क्षेत्र हाथरस | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| योग नगर क्षेत्र | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | – | 6 | 9 | 13 | 22 | 20 | 42 |
| महायोग जनपद | 1954 | 1581 | 3535 | 2600 | 6135 | 1676 | 1144 | 2820 | 2777 | 5597 | 1190 | 717 | 1907 | 1650 | 3557 | 4820 | 3442 | 8262 | 7027 | 15289 |

तालिका के अनुसार कक्षावार अनुसूचित जाति के छात्रों तथा समस्त वर्ग की छात्राओं की संख्या दर्शायी गयी है जिनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 50–50 सैट प्रति विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 25–25 सैट प्रति विद्यालय की दर से गरीब सामान्य वर्ग के बालकों के लिए उपलब्ध कराये जायेंगें जिससे लगभग सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

## *8.7 समेकित एवम् सम्मिलित शिक्षा*

जनपद में बहुत से बच्चे विकलांग है जिसमे उनको घर से विद्यालय तक आने में अथवा विद्यालय में शिक्षण कार्य करने में कठिनाई होती है उदाहरण के लिये जो बच्चे पैरों से विकलाग है उनको विद्यालय तक आने में कठिनाई होती है इसी प्रकार जो बच्चे कानों से वहीं सुन सकते उनको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन विभिन्न कारणों से या तो ऐसे बच्चे विद्यालय ही नहीं आते अथवा विद्यालय कभी–कभी आते हैं। जनपद हाथरस में ऐसे विकलांग बच्चों का अध्यापकों द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है जिसके आधार पर कुल 1343 बच्चे विकलांग की श्रेणी में आये हैं। इसके पश्चात इन बच्चों की विकलांगता के प्रकार तथा सीमा का अभिज्ञान एक एक्सपर्ट टीम द्वारा किया जाएगा और इसी के अनुसार उनकी शिक्षा के लिए नियोजन किया जाएगा।

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहॉ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जाती है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार :–

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता

5. अधिगम मन्दता

## विकलांगता / अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलांगतायें / अक्षमता जन्म से होती है, तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है, कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है, बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1. बौद्विक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मंदगति
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगो की विकृति, माँस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें
5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं जैसे –

* माता पिता के स्नेह में कमी
* बच्चों को हीनभावना से देखना
* सीखने के समान अवसर न मिलना
* शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना
* शिक्षक का बच्चों के कम लगाव होना
* सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना

## अक्षमता के परिणाम –

1. बच्चों में –
   * आत्म निर्भरता में कमी
   * चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित

2. परिवार में –
   * अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
   * आर्थिक बोझ अधिक

3. समाज में –

* अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
* उत्पादन में कमी
* समाज में एकीकरण में कमी

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

4. संवेदीकरण –

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न संवेदीकरण आवश्यक है –

* समुदाय का संवेदीकरण
* परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन
* अध्यापकों का संवेदीकरण

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला विन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं, उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर –

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोमेडिस्ट, एक इ0 एन0 टी0 डॉक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जाता है, फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान वांद्रा, बम्बई।
3. एलिम्को जी0 टी0 रोड, कानपुर 208016
4. अमर ज्योति रिहैविलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर कर्कर डूमा, विकास कार्य दिल्ली
5. भारतसरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेंट सेंटर।

6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग स ान, मनोविकास नगर, सिकन्दरावाद।

7. नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, एजू0 डिपार्टमेन्ट सेंटर।

8 मंगलम ए–445 इंदिरा नगर, लखनऊ

9. यू0 पी0 विकलांग केन्द्र 13 लूकर गंज, इलाहाबाद।

## 6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का विन्दु विशेष रुप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधि पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति वि0 खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली अमर ज्योति रिहैविलिटेशन एण्ड रिसर्च सेण्टर कर्करडूमा विकास मार्ग दिल्ली एवं उ0 प्र0 विकलांग केन्द्र सरल रिसर्च सोसाइटी 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

## 7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास –

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पाँच विकलांगताओं दृष्टि, द्रव्य, अधिगम अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये है। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए "आप क्या कर सकते है" फोल्डर विकसित किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ में सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय की शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित माडयूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है।

(अ) विकलांगता वाले बच्चों का कार्यालय आंकलन।

(ब) विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

(स) इन बच्चों के सभी समूहों के लिए िक्षण रणनीति विकसित करना।

(ड) कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्याकंन।

(ई) इन बच्चों इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।

(एफ) विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना।

**विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

## *8.8 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण*

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये अच्छे स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। अतः सभी प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का

स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड विद्यालयों में उपलब्ध है। इन्हीं कार्डो का उपयोग किया जायेगा। इस कार्य के लिये डाक्टरों के भ्रमण हेतु वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

## *8.9 सामुदायिक गतिशीलता*

किसी कार्यक्रम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता की और भी अधिक आवश्यकता है। जब तक अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे सिर्फ अपने तात्कालिक लाभों को महत्व देते रहेगें तब तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य, सभी बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने की समस्या, अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा न उपलब्ध करा पाने की समस्या का सामाधन मिलना कठिन है सामुदायिक सहभागिता के इत्ती महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने PTA/MTA संगठनों एवं ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रम स्तर पर समुदाय की सहभागिता बढाने का प्रयास किया है। परन्तु ग्राम वासियों में इन PTA/MTA संगठनों एवं शिक्षा समितियों की बैठकें नियमित नही होती है अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

### सामुदायिक सहभागिता से लाभ –

अभिभावकों में यदि शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो जाए तथा वे विद्यालय को सरकारी विद्यालय न समझकर अपना विद्यालय समझने लगे तो अनेक जटिल समस्याओं का निराकरण सुगमता से किया जा सकता है। जैसे –

1. *विद्यालय की भवन की सुरक्षा एवं अवैध कब्जों की समस्या* – ग्रामीण स्तर पर विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं अवैध कब्जे की जटिल समस्या को अक्सर यह शिकायते प्राप्त होती रहती है कि गाँव के लोग विद्यालय की खिडकी दरवाजे उखाड ले गये या ताला तोड़कर सामाना चोरी चला गया अथवा विद्यालय प्रांगण में लोगों ने अवैद्य कब्जा कर लिया है इन शिकायतों से स्वतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीण लोगों का विद्यालय से कोई लगाव नहीं है इस समस्या का एक मात्र निराकरण विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित कर ग्रामीण लोगों को इस बात का एहसास कराना होगा कि यह विद्यालय उनका है और उनके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए अनिवार्य है।

2. *शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या* – शिक्षकों की विद्यालयों से अनुपस्थिति एक दूसरी समस्या है निरीक्षक वर्ग प्रतिदिन किसी विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर सकता है अतः अध्यापकों कीउपस्थिति सुनिश्चित करने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रभावी भूमिका निभा सकते है ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या संबधित अधिकारियों को भेजे तो इस समस्या का समाधान अच्छे ढंग से किया जा सकता है।

3. *नामांकन की समस्या* – अशिक्षित एवं गरीब अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजकर मजदूरी अथवा गृहकार्य में लगा देते है बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता और भी अधिक है स्कूल जाने योग्य बालिकाओं को अभिभावक अपने छोटे भाई बहिनों को खिलाने में लगा देते है क्योंकि इससे उन्हें तात्कालिक लाभ होता है और शिक्षा के दूरगामी लाभ की उन्हेंसमझ नही होती है उन्हें इस बात का एहसास कराना होगा कि यह दुष्चक्र है। गरीबी के कारण आप अपने बच्चों को पढ़ाएगें नहीं तो आपके बच्चे भी गरीबर रहेंगे आप इस दुष्चक्र को तोडना होगा। जब हम अभिभावकों को इस बात का ज्ञान करा देंगे। तो वे स्वतः अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने लगेंगें और नामांकन की समस्या हल हो जाएगी।

4. *बच्चों के विद्यालय में ठहराव की समस्या* – वीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या का समाधान भी सामुदायिक सहभागिता से ही हो सकता है यदि अभिभावक अपने बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखें तथा प्रतिदिन विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें तो ड्राप आउठ की समस्या हल हो सकती है क्योंकि यदि कोई बच्चा 4–5 दिन विद्यालय नहीं जाता तो अगले दिन वह विद्यालय जाने में हिचकता है और धीरे–धीरे वह विद्यालय ही छोड़ देता है।

5. *शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या* – अक्सर यह शिकायते प्राप्त होती है कि शिक्षक विद्यालयों में जाकर भी शिक्षण कार्य नही करते है इस समस्या का भी समाधान अभिभावकों की सजगता पर निर्भर है यदि अभिभावक प्रतिदिन विद्यालय में क्या पढाया गाय है इस बात की जानकारी बच्चे से प्राप्त करे और अध्यापक से सभी सम्पर्क स्थापित करें तो निश्चित रूप से शिक्षकों को पढाने के लिए मजवूर किया जा सकता है।

*सामुदायिक सहभागिता के लिए कार्यक्रम* –

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाएगें।

1. PTA/MTA प्रशिक्षण – अभिभावकों को अपने वच्चे के प्रति उनके दायित्वों का वोध कराने तथा इन संगठनों को सक्रिय करने केलिए PTA/MTA का प्रशिक्षण प्रत्येक विद्यालय रतर पर कराया जाएगा और प्रत्येक माह मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा परिणामों से अभिभावकों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक माह PTA/MTA की बैठकें आयोजित की जाएगी।

2. कला जत्था – कला जत्था के माध्यम से जून माह में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। कला जत्था के माध्यम से रोचक ढ़ग से अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से परिचित कराकर उन्हें वच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रेरित किया जायेगा जिससे जुलाई माह में शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पाया जा सके। अतः जनपद की 64 न्याय पंचायतों के लिए 10 हजार रूपये प्रति न्याय पंचायत की दर से व्यवस्था की जाएगी।

3. जनजागरण सामग्री का विकास – जनजागरण अभियान चलाने हेतु होर्डिंग, पोस्टर, वैनर, स्टीकर, स्लाइड्स आदि की आवश्यकता होगी अतः जनजागरण सामग्री के विकास के लिए प्रति ब्लाक 5 हजार रूपये की दर से 7 ब्लाकों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

4. न्याय पंचायत स्तर पर बाल मेला – बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा रहने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से बाल मेला का आयेाजन किया जाएगा।इस मेले में वीडियो कैसेट, पोस्टर, वैनर, कहानी चित्रण के माध्यम से शिक्षा केमहत्व का संदेश दिया जायेगा। अतः प्रति न्याय पंचायत 5 हजार रूपये की व्यवस्था की जाएगी।

5. आडियो टेप – अच्छे कार्यक्रमों के आडियो टेप तैयार कर उन्हें अन्य जगहो पर सुनाया जाएगा जिससे अन्य जगह के लोग भी उसका लाभ उठा सकें। अतः 10 हजार रूपये प्रति वर्ष की दर से व्यवस्था की जाएगी।

6. वीडियो टेप – श्रेष्ठ कार्यक्रमों के वीडियो टेप तैयार कराकर उन्हें अनय जगहों पर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे दिखाया जाएगा अतः 10 हजार रूपये प्रति वर्ष की दर से व्यवस्था की जाएगी।

7. श्रेष्ठ ग्राम शिक्षा समिति पुरस्कारक – प्रत्येक विकास खण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली एक ग्राम शिक्षा समिति को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रेष्ठता का निर्धारण एक समिति गठित कर आंकलन के कुछ बिन्दु निर्धारित कर कराया जाएगा। इससे ग्राम शिक्षा समितियों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत होगी। अतः 7 विकास खण्डों की सात ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 7 हजार रूपये प्रति ग्राम शिक्षा समिति की दर से धन की व्यवस्था की जाएगी।

8. श्रेष्ठ शिक्षा मित्र पुरस्कार – शिक्षा मित्रों को अच्छा शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ शिक्षा मित्र को पुरस्कृत करने की योजना बनायी गयी है श्रेष्ठता का निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित चेक बिन्दुओं के आधार पर कराया जायेगा, चूंकि वर्ष 2001–2002 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो रही है अतः पूरे वर्ष का शिक्षण कार्य देखने के उपरान्त वर्ष 2002–2003 में पुरस्कृत किया जाएगा। इस कारण से वर्ष 2001–2002 में इस मद में व्यवस्था न कर शेष अगले वर्षो में व्यवस्था की गयी है।

## *8.10 नवाचार कार्यक्रम*

1. जनपद के प्रत्येक विद्यालय में मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाएगा। मासिक परीक्षा ब्लैक वोर्ड में प्रश्न लिख दिए जायेंगे और बच्चे अपनी लेखन पुस्तिका में उत्तर लिखेंगें। मासिक परीक्षाओं हेतु कोई धन की आवश्यकता नहीं होगी। अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करवाने एवं उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने हेतु प्रति छात्र लगभग प्राथमिक स्तर पर 5 रु0 तथा पूर्व

माध्यमिक स्तर पर 8 रु0 की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था विद्यालय अपने स्तर पर छात्रों से शुल्क लेकर स्वयं करेंगे। छात्रों/अभिभावकों को मासिक परीक्षाओं के परिणामों से अवगत कराने हेतु प्रगति पत्र (Project Card) तैयार करवाये जायेंगे। Project Card छपवाने हेतु प्रति छात्र प्रतिवर्ष 1.00 रु0 की आवश्यकता होगी।

2. ग्राम सभा कूपा ब्लाक सादाबाद के लगभग 150 ग्राम वासियों जिसमें BSA, ABSA ने स्वयं प्रतिभाग किया था Four Groupdiscussion से यह बात निकल कर आयी थी कि अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या तथा विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु ढंग से संचालन विद्यालय सम्पत्ति सुरक्षा ग्राम शिक्षा समितियों के प्रतिशत वाले पद से जनपद के 1/2 गावों में N.G.O. के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा आधे गाँवों में के N.R.P.C. समन्वयक के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा और दोनों का तुलनात्मक अध्यन किसी अन्य संस्था से प्रत्येक न्याय पंचायत के कम से कम एक गाँव का सर्वे कराकर किया जायेगा अतः ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के तुलनात्मक अध्ययन हेतु 1000 रुपये प्रतिगाँव की दर से धन की आवश्यकता होगी।

3. प्रत्येक विद्यालय की वाहरी दीवार में Display Board तैयार कराये जायेंगे जिसमें प्रतिदिन अध्यापक एवं छात्र उपस्थिति का विवरण लिख जायेगा। Display Board बनवाने हेतु प्रति विद्यालय लगभग 500रु0 की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था विद्यालय अपने स्त्रोंतों से करेंगे इसके लिए किसी अन्य धन की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

4. प्रत्येक न्याय पंचायत के निकट के विद्यालय में बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले, फिसलनपट्टी आदि की व्यवस्था हेतु रु0 15000/- प्रति विद्यालय की दर से 64 विद्यालयों में वर्ष 2001 व 2002 में स्थापित किये जायेंगे उनके परिणामों को देखकर अगले वर्षो के लिए प्रस्तावित किए जायेंगे।

## समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

# अध्याय – 9
# गुणवत्ता के लिए नियोजन

हाथरस जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 07 बी.आर.सी. तथा 64 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

## शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

जनपद में शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों के सहयोग व समर्थन की व्यवस्था है। विद्यालय, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 स्तर पर फीड बैंक के अनुसार आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस हेतु डायट स्तर पर विद्यालयों, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 6 फेरों में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में दोनों जनपद (हाथरस तथा अलीगढ़) विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एस0 डी0 आई0, समन्वयक, सह समन्वयक व समस्त संकुल प्रभारियों के अतिरिक्त डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में विभिन्न प्रशिक्षणों के मूलभूत पैरामीटर्स व इंडीकेटर्स, सहायक सामग्री निर्माण, शैक्षिक भ्रमण के चैक बिन्दु, विद्यालय भ्रमण प्रपत्र पर चर्चा व आदर्श पाठ की तैयारी तथा उसका प्रस्तुतीकरण भी किया गया। ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा संस्थान को भेजे जाने वाले प्रत्यावेदन प्रारूप पर भी चर्चा हुई। बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी के लिये तीन माह की कार्ययोजना तथा विद्यालय की मासिक बैठक हेतु 3 एजेण्डा भी कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता अनुसार फीड बैक के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट के द्वारा सेवारत अध्यापकों के स्तर, शैली व क्लासरूम वातावरण में सकारात्मक सुधार की व्यवस्था की गई हैं।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों

का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। डायट, बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर जनपद के विद्यालयों की स्थिति परिशिष्ट 1 पर दी गई है।

विद्यालयों/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के उच्च स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रेडिंग की व्यवस्था समस्त प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। इस हेतु प्रत्येक ब्लाक प्रभारी डायट प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता तथा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों द्वारा विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, बाह्य वातावरण व कक्षीय वातावरण के आधार पर ग्रेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई।

इस हेतु डायट स्तर पर निरीक्षण फारमेट तैयार किया गया है। निरन्तर शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण का परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष के अन्तराल में मथुरा से सम्मिलित सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्डों में एक भी विद्यालय डी श्रेणी का नहीं है।

डायट स्तर से सहयोग व समर्थन हेतु प्रत्येक माह ब्लाक समन्वयक व प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें शैक्षिक बिन्दुओं, समस्याओं तथा नावी कार्ययोजनाओं पर चर्चा कर अग्रिम रणनीति व आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जाता है। उपरोक्त बैठक में प्राप्त समस्याओं/सूचनाओं तथा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह एकेडिमिक कोर टीम की बैठक की जाती है जिसमें निरिक्षण आख्याओं के आधार पर उन स्थलों का चयन किया जाता है जहां–जहां शैक्षिक सपोर्ट की आवश्यकता हैं। कोर टीम की बैठक के निष्कर्षों के आधार पर एकेडिमिक कोर ग्रुप की बैठक में समस्या निदान एवं क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार कर उसे कार्य रूप दिया जाता है।

एकेडिमिक कोर टीम में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता है। जबकि एकेडिमिक रिसोर्स ग्रुप में जनपद के बी0एस0ए0 सहित बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, शिक्षाविद व एन0जी0ओ0 सदस्य भी हैं।

यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

डायट द्वारा अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर किये अध्ययन के आधार पर यह

तथ्य संज्ञान में आया कि दक्षताओं सम्बन्धी प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को देने से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के गैप को दूर करने में सहायता मिलेगी।[1]

सहायक शिक्षण सामग्री के संदर्भ में प्रायः अध्यापकों में रूचि व शिक्षण हेतु अपेक्षित मनोवृत्ति की कमी देखी गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राथमिक स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री के स्तर में कोई विशेष अन्तर अन्तर नहीं देखा जा रहा है।[2]

इसी प्रकार अध्यापको से यह भी पता चलता है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि न होने से अध्यापकों की क्षमता प्रभावित हुई है। पर्यावरणीय अध्ययन के साथ शिक्षण अधिगम सामग्री बनाये जाने की आवश्यकता अध्यापकों द्वारा महसूस की जा रही है।[3]

## 2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 65 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयको को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों की प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

---

1. डायट हाथरस के अध्ययन – "असेस्मेंट आफ टीचर्स ट्रेनिंग नीड्स – 2000"
2. शैक्षिक भ्रमण के निष्कर्ष।
3. अध्यापको के साथ फोकस ग्रुप डिसकशन फरवरी, 3–6–2001

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

## ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति मे विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद हाथरस में डायट के नेतृत्व में 430 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा-ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है. स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में

सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को कोई सहयोग भी नहीं दे पाते।

## शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

## बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

**प्राथमिक स्तर** – बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणों की नियमित व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्तर पर सभी प्रधान/सहा0 अध्यापकों को पांच चक्रों का प्रशिक्षण निम्नवत् दिया गया।

**प्रथम चक्र** — प्रथम चक्र का प्रशिक्षण न्यूनतम अधिगम स्तर, दक्षताओं प्रेरणा, बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण का कक्षाओं में क्रियान्वन कैसे किया जाये, से सम्बन्धित था। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को कक्षा 5 तक के सभी विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन) के न्यूनतम अधिगम स्तर तथा इनसे सम्बन्धित दक्षताओं का ज्ञान कराना था। इसके साथ–साथ इसका उद्देश्य यह भी था कि प्रत्येक विद्यालय

में 6–11 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन, धारण व सम्प्राप्ति को ध्यान में रखा जाये। शिक्षक सीखने – सिखाने के प्रति अपना रूझान केन्द्रित करें तथा शिक्षण बाल केन्द्रित हों।

शिक्षण विधा प्रशिक्षण के अनुरूप हो तथा शिक्षण स्व निर्मित सहायक सामग्री की सहायता से किया जाय। सहायक सामग्री विषयानुकूल, सस्ती, सुलभ व आकर्षक हो।

एकल विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण पर भी बल दिया गया। शिक्षण अधिगम की जांच हेतु सतत व व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा की गयी।

समुदाय की सहभागिता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षक–अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी समय–समय पर किया जाने पर बल दिया गया।

भाषा व गणित शिक्षण को दक्षता एवं गतिविधियों पर आधारित करने, विज्ञान व गणित शिक्षण के समय किटों का प्रदर्शन कमजोर छात्रों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधानाध्यापक में योग्यता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शता एवं नेतृत्व गुणों का भी विकास करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया।

## द्वितीय चक्र :

द्वितीय चक्र के प्रशिक्षण में भाषा दक्षता प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों में उनके स्तरानुकूल भाषा ज्ञान को विकसित करना, उनके सस्वर पाठ, सस्वर वाचन एवं स्वपपठन की क्षमताओं को विकसित करना था।

अध्यापकों को यह भी बताया गया कि भाषा शिक्षण के समय क्षेत्रीय भाषा, बच्चों की भाषा के प्रयोग पर बल दें तथा दिया गया ज्ञान सरल सुलभ व बोधगम्य हो। अध्यापक भाषा की पुस्तकों में निहित कठिनाइयों को विभिन्न विधाओं जैसे शब्दार्थ, विलोम शब्द, तत्सम शब्द एवं समानार्थी शब्दों एवं वाक्य प्रयोगों को माध्यम बना कर स्पष्ट करें। भाषा की दक्षताओं के स्तरानुकूल पाठों के रूचिकर एवं बोधगम्य बनाने के साथ–साथ प्रकरण से सम्बन्धित स्वनिर्मित सामग्री के निर्माण में छात्रों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करें। छात्र प्रगति पंजिका विषयवार तैयार की जाय जिससे छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति विषयवार मापन की जा सके।

## तृतीय चक्र :

तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में अनुपूरक अध्ययन सामग्री (भाषा) का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों में भाषा के प्रति रूचि एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु उनको कहानी, कविता, नाटक, वाद–विवाद, तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं को हाव भाव के साथ कराने पर बल देने, मुखौटे व अन्य शिक्षण सामग्री को शिक्षण के समय प्रयोग करने, सहायक शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखने के लिये प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कोर्नर का निर्माण करने, कविता, कहानी, लेखन प्रतियोगिता का विद्यालय, संकुल व बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजन कराने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा कक्षा में बच्चों के लिए अनुपूरक पुस्तक इन्द्रधनुष के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया।

## चतुर्थ चक्र :

चतुर्थ चक्र प्रशिक्षण में गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में गणित जैसे नीरस विषय को रोचकता के साथ–साथ सरल और बोधगम्य बनाना था। शिक्षण में स्वनिर्मित सरल, सुबोध, सुगम्य एवं परिवेश से प्राप्त सहायक सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सामग्री निर्माण में बच्चों की सहभागिता को प्रमुखता दी गई। प्रशिक्षण के दौरान इन बिंदुओं पर बल दिया गया: गणित शिक्षण के समय गणित किट का प्रयोग प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रकरण व स्तर के अनुसार किया जाये। सहायता व सहारा के माध्यम से छात्र/अध्यापक सक्रिय रहे। अधिगम को स्थायी व प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक अभ्यास कार्य पर बल दें। गणित शिक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग पर बल दिया जाये। गणित के प्रत्येक तथ्य तथा सिद्धान्त को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुये उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया जाये। करके सीखना और सीख कर करना विधा का गणित शिक्षा में प्रयोग किया जाये। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण बच्चों द्वारा कागज या गत्ते से कराया जाये जिससे वह उन आकृतियों के उपयोग व महत्व से परिचित हो सके। गणित में विभिन्न स्तरों पर पिछड़े बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये। छात्रों को समूह में कार्य करने की विधि पर बल दिया जाये जिससे उनके अन्दर नैतिक गुणों व मूल्यों का विकास सम्भव हो सके।

## पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

## बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

**गणित प्रशिक्षण :** गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सकें।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।

4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

## विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

## प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद हाथरस में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर. सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

### समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
    - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
    - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
    - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
    - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
    - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
    - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।

- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

## एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

### टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गईं इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

## इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। कक्षा में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता व स्तर में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं उनके ठहराव में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। कक्षा में बच्चों की सोच व कल्पना में भी इसकी परिणिति परिलक्षित होती है। गणित जैसे नीरस विषय के प्रति भी बच्चों की रोचकता व जिज्ञासा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। गणित के मुख्य तथ्य व सिद्धान्तों का वे कहीं किन्ही स्थलों पर दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते है। वहीं भाषा में भी सभी स्तरों पर बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। बच्चे गणितीय उपकरणों (किट) आदि में भी रूचि रखते है। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 9.2 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने

से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

पूर्व प्रशिक्षणों में कमी यह रही है कि ज्ञान को अलग–अलग करके देखा गया है उदाहरण के लिये पहले भाषा का प्रशिक्षण दिया गया, अगले वर्ष अनुपूरक सहायक सामग्री को उपयोग करने का जबकि यदि दोंनो को साथ–साथ दिया जाता तो यह अधिक उपयोगी होता। इसी प्रकार विभिन्न अकादमिक योग्यता वाले अध्यापकों को एक ही मानसिक स्तर पर रखते हुये प्रशिक्षण दे दिया गया जबकि उनकी योग्यता अनुभव एवं आवश्यकता अनुसार लक्ष्य परक व आवश्यकता परक प्रशिक्षण होना चाहियें।

कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु पाठ योजना तैयार करने में 20–30 वर्ष पुराने अध्यापक स्वयं को असमर्थ पा रहे है। रूचि का अभाव है। प्रायः यह भी देखा गया है कि अध्यापक कक्षा 1 को पढाने में ज्यादा उत्सुक है बजाय अन्य कक्षाओं के जहॉ गम्भीर विषय जैसे पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान आदि है। इन विषयों को पढ़ाने में अध्यापक झिझक महसूस करते है।[4]

**शिक्षकों का पदस्थापन :**

जनपद हाथरस में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षिकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

**सारणी – 1**

| | एकल शिक्षक विद्यालयों की सख्या | दो शिक्षक विद्यालयों की सख्या | तीन शिक्षक विद्यालयों की सख्या | चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय | 33 | 259 | 226 | 123 |
| उच्च प्राथमिक | 02 | 12 | 40 | 53 |

स्रोत : बी० एस० ए०, हाथरस।

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 4.5 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभ 35.9 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

## प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत

4: स्रोत : ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस इन इ०एफ०ए० सपोर्टेड एण्ड नान ई०एफ०ए० डिस्ट्रिक्ट आफ यू०पी० (१९९८–९९) सीमेट, इलाहाबाद।

अनुसूचित जाति क बालका तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.94 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथनिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

## शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया, जिसकी उपलब्धि निम्न तालिकाओं में दर्शायी गयी है।

### सारणी 2

| | बी0ए0एस0 | | एफ0ए0एस | |
|---|---|---|---|---|
| | भाषा | गणित | भाषा | गणित |
| कक्षा 2 | 61.00 | 81.48 प्रति. | 43.64 | 81.17 प्रति. |
| कक्षा 5 | 47.07 | 80.90 प्रति. | 39.09 | 79.98 प्रति |

स्रोत : बी0ए0एस0 तथा एफ0 ए0 एस0 रिपोर्ट, 2000

कक्षा 2 में बैसलाइन एसैसमेण्ट स्टडी में जहाँ भाषा का औसत सम्प्राप्ति 61.00 था वहीं एफ0ए0एस0 में यही औसत सम्प्राप्ति बढ़ कर 81.48 हो गयी तथा गणित में भी बी0ए0एस0 में औसतन सम्प्राप्ति 43.64 से बढ़कर एफ0ए0एस0 मेंऔसतन सम्प्राप्ति 81.17 हो गयी ।इसी प्रकार बालक और बालिकाओं के औसत सम्प्राप्ति बी0ए0एस0 में बालकों का 45.57 से बढ़कर एफ0ए0एस0 में 82.40 हो गया तथा बालिकाओं को शैक्षिक सम्प्राप्ति बी0ए0एस0 में 41.92 से एफ0ए0एस0 में बढ़कर 79.80 हो गया । इसी प्रकार एस0सी0 तथा ग्रामीण व नगरक्षेत्र की सम्प्राप्ति में प्रगति हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है –

## सारिणी – 3

### कक्षा 2 बी0ए0एस0 व एफ0ए0एस0 रिपोर्ट के आधार पर

भाषा एवं गणित विषय का तुलनात्मक अध्ययन –

| क0सं0 | कक्षा 2 | | बी0ए0एस0 | एफ0ए0एस0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भाषा औसत सम्प्राप्ति | | 61.00 | 81.48 |
| | गणित औसत सम्प्राप्ति | | 43.64 | 81.17 |
| 2. | बालक सम्प्राप्ति | | 45.57 | 82.40 |
| | बालिका सम्प्राप्ति | | 41.92 | 79.80 |
| 3. | ग्रामीण सम्प्राप्ति | भाषा | 60.20 | 81.90 |
| | | गणित | 41.71 | 81.20 |
| | शहरी सम्प्राप्ति | भाषा | 61.80 | 79.40 |
| | | गणित | 57.85 | 80.80 |
| 4. | अनु0जाति एस0सी0 / एस0टी0 | | 57.00 | 80.30 |
| 5. | अन्य | | 63.25 | 82.30 |

स्रोत : बी०ए०एस० तथा एफ० ए० एस० रिपोर्ट, २०००

कक्षा पॉच में भी भाषा में बी0ए0एस0 के अनुसार औसत सम्प्राप्ति 47.07 से बढ़कर एफ0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 80.90 हो गयी । गणित विषय में बी0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 39.09 से बढ.कर एफ0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 79.98 तक वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी प्रकार बालक / बालिका, एस0सी0 / एस0टी0 / अन्य तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है ।

## सारिणी – 4

### कक्षा 5 भाषा एवं गणित विषय का तुलनात्मक अध्ययन –

| क0सं0 | कक्षा 5 | | बी0ए0एस0 | एफ0ए0एस0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भाषा औसत सम्प्राप्ति | | 45.07 | 80.90 |
| | गणित औसत सम्प्राप्ति | | 39.09 | 79.98 |
| 2. | बालक सम्प्राप्ति | भाषा | 45.21 | 44.79 |
| | | गणित | 40.5 | 80.3 |
| | बालिका सम्प्राप्ति | भाषा | 41.48 | 39.95 |
| | | गणित | 38.7 | 79.6 |
| 3. | ग्रामीण सम्प्राप्ति | भाषा | 46.26 | 82.7 |
| | | गणित | 40.25 | 79.7 |
| | शहरी सम्प्राप्ति भाषा | | 44.95 | 80.7 |
| | | गणित | 36.52 | 83.6 |
| 4. | अनु0जाति | भाषा | 42.79 | 81.2 |
| | एस0सी0 / एस0टी0 | गणित | 32.22 | 79.9 |
| 5. | अन्य | भाषा | 46.59 | 82.1 |
| | | गणित | 33.55 | 79.3 |

स्रोत : बी०ए०एस० तथा एफ० ए० एस० रिपोर्ट

उपरोक्त विवरण से प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले बालकों में अच्छा विकास प्रदर्शित होता है परन्तु अब भी अनेक स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। क्लासरूम औब्जर्वेशन स्टडी से स्प ट है कि अध्यापकों की दक्षता में अभी भी सुधार अपेक्षित है।

## सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.ए.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है।

## 'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष

प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण के द्वारा गुणवत्ता, टी. एल. एम. के उपयोग में सुधार देखा जा रहा है जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है –

**सारणी – 5**

| | अध्यापक स्दर्शिका | भाब्दकोश | किताब | नक्सा | ग्लोब | चार्ट | फ्लैश कार्ड | विज्ञान किट | गणेत किट | श्रृव्य दृश्य | अन्य | अनुपूरक स0सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS | 27.3 | 34.9 | 45.9 | 41.3 | 50.0 | 40.1 | 35.3 | 40.1 | 50.6 | - | 23.8 | - |
| FAS | 82.2 | 71.11 | 94.1 | 83.7 | 83.7 | 100.0 | 93.4 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 27.4 | 45.00 |

स्रोत :- ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस इन इ0एफ0ए0 सपोर्टेड एण्ड नान-ई0एफ0ए0 डिस्ट्रिक्ट आफ यू0पी0 (1998-99) - सीमेट, इलाहाबाद''

एफ0ए0एस0 तथा क्लासरूम आब्जर्वेशन इन स्कूल्स आफ यू0पी0 बी0ई0पी0 डिस्ट्रिक्ट्स

### जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे है और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है तथा बैकरी उद्योग में कार्य कर रहे हैं।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम

होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते है अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से **शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं** ज्ञात हुई–

लंम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

यद्यपि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पूर्व की अपेक्षा सुधार हुआ है **परन्तु अभी भी इसमें सुधार की व्यापक आवश्यकता है।** एफ.ए.एस. की रिपोर्ट के आधार पर **डाइट द्वारा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले तथा पिछड़े विकास खंडों का चयन किया गया।** इस विकास खंडों में भी 5–5 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले बच्चे देखे गए थे। उन प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के गणित एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन टैस्ट पेपर के आधार पर किया गया। **टैस्ट पेपर के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकला कि वहां के अध्यापकों का विषयवस्तु का ज्ञान 30 –50 प्रतिशत के मध्य है। साथ ही इनमें 50 प्रतिशत अध्यापकों में आत्मविश्वास की भी कमी देखी गई** इसके विपरीत उन विद्यालयों में जहां **बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति अच्छी देखी गई। वहां के अध्यापकों को उन्हीं टैस्ट पेपर के आधार पर मूल्यांकन करने पर उनका विषय वस्तु का ज्ञान 75–87.5 प्रतिशत तक पाया गया** तथा यह भी देखा गया कि वी.ई.सी. का इन अध्यापकों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।[5] इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों की शैक्षिक सम्प्राप्ति अध्यापक के विषय ज्ञान पर निर्भर है। इसी प्रकार डायट द्वारा एफ.ए.एस. सर्वे के दौरान पाए गए **एक ही विकास खंड के सबसे अच्छे एवं सबसे खराब विद्यालय की केस स्टडी**[6] डाइट के चार प्रवक्ताओं द्वारा की गई, जिसमें बी.ई.सी. के सदस्य, समुदाय, अभिभावक, अध्यापक के साथ अलग–अलग साक्षात्कार, एफ. जी.डी. तथा टैस्ट पेपर के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि अभी भी हमें अपने अध्यापकों के विषय ज्ञान, भाषा शैली, समुदाय के प्रति इनकी अवधारणा में सुधार करना है।

---

५– डायट हाथरस द्वारा किया गया अध्ययन – "संक्षिप्त दृष्टि से कमजोर बच्चो की न्यूनतम शैक्षिक सम्प्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका।"
६– "ए केस स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल विदिरिज (गुड स्कूल) एण्ड प्राइमरी स्कूल जदार (बेड स्कूल) – २००१"

## एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद हाथरस में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ वी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग

आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

**प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–**

**प्रथम वर्ष** में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 35 लाख प्रस्तावित है।

**द्वितीय वर्ष** में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित है। तथा रू0 35 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किय जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 37 लाख प्रस्तावित है।

**चतुर्थ वर्ष** में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 37 लाख प्रस्तावित है।

**पाँचवे वर्ष** में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण

प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

## उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

**प्रथम वर्ष** में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

**द्वितीय वर्ष** में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर

गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों

क अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका वितरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

## जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु वी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

## नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

## अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 112 शिक्षामित्रों तथा 108 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आध

ारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 270 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.

समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों की और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों

के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

**शिक्षण समय को बढ़ाना :**

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 10 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 179 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

## सारणी – 6

| | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर |
|---|---|---|
| कुल कार्य दिवस | 220 | 220 |
| परीक्षा | 08 छमाही सालाना परीक्षा | 12 |
| अन्य कार्य | 15 | 05 |
| नष्ट हो जाने वाले दिन | 10 डी.एम. के विशेष आदेश पर | 10 |
| समुदाय से सम्पर्क | 08 | 08 |
| शिक्षण दिवस | 179 | 185 |

स्रोत – डायट, हाथरस

## सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

| | प्राथमिक स्तर वादन /समय | उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय |
|---|---|---|
| भाषा–1 हिन्दी | 9 वादन 6 घण्ट | 6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट |
| भाषा–2 अंग्रेजी | 5 वादन/3 घण्टे 20 मि. | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| भाषा–3 संस्कृत | 5 वादन/3 घण्टे 20 मि. | 4 वादन/3 घं. |
| विज्ञान | 6 वादन / 4 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| गणित | 9 वादन / 6 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| सामाजिक विषय | 6 वादन / 4 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| समाजोपयोगी कार्य | 3 वादन 2 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| कला शिक्षण | 5 वादन / 3 धण्टे 20 मि. | 8 वादन/6 धं. |

स्रोत – डायट, हाथरस

उपर्युक्त सारिणी–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय का अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

**पठ्य सामग्री –**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.10 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 50 लाख रु० व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संसाधनों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा।

इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 60 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 55 लाख व्यय होगी।

**किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों नें उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

## 7— गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

**अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –**

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

**क्षमता विकास करना –**

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए. बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

**अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :**

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने,

गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

**गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

**एक्शन रिसर्च :–**

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव हैं ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

**कम्प्यूटर प्रशिक्षण –**

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण

हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कलस्टर विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

डी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मैटेरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की समीक्षा।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

**शोध एवं मूल्यांकन –**

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

**ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रस्तावित विषय :**

1- Main Causes of Drop Outs
2. जहॉ बच्चों का शैक्षिक स्तर कम है उसके क्या कारण है।
3. विधालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
4. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
5. Causes of negative verbal behaviour of teachers & students (warning & accepting, amplifying, eliciting & responding behaviour, correcting behaviour, cooling behaviour) & its remedy
6. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
7. श्यामपट कार्य न कराने का छात्रों की सम्प्राप्ति पर प्रभाव
8. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।
9. शिक्षा में अभ्यास का महत्व।
10. अध्यापकों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग न करने के कारणों का पता लगाना ।

**ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –**

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गॉव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में

अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूर करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

## मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्नियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

| क्र.सं. | कार्यक्रम | प्रतिभागी | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | विजनिंग कार्यशाला | डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक | 04 दिन |
| 2. | शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | चुने हुए प्रशिक्षक | 10 दिन |
| 3. | शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण | शिक्षामित्र, आचार्यजी | |
| | 1. आधारभूत प्रशिक्षण | | 30 दिन |
| | 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | | 15 दिन |
| 4. | वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण | अनुदेशक | |
| | 1. आधारभूत प्रशिक्षण | | 15 दिन |
| | 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | | 10 दिन |
| 5. | वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 03 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण | ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं | 07 दिन |
| 7. | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 07 दिन |
| 8. | ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण | ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. | 05 दिन |
| 9. | ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण | बी.आर.जी. के सदस्य | 03 दिन |
| 10. | कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक | 01 माह |
| 11. | अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण | चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण | 05 दिन |
| 12. | उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण | उर्दू शिक्षक | 05 दिन |
| 13. | सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण | नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय | 10 दिन |
| 14. | नेतृत्व प्रशिक्षण | प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक | 05 दिन |
| 15. | एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक | 05 दिन |
| 16. | मेटीरियल मेला | चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 17. | सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 18. | अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 03 दिन |
| 19. | कार्यानुभव प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक | 05 दिन |
| 20. | अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला | चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं | 03 दिन |
| 21. | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 22. | गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 23. | अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला | अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य | 05 दिन |
| 24. | कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला | बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक | 02 दिन |
| 25. | बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला | चुने हुए शिक्षक | 05 दिन |
| 26. | वास्तविक शिक्षण समय को बढाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 02 दिन |
| 27. | संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला | डायट के संकाय सदस्य | 03 दिन |

## अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

**बी.आर.सी. की भूमिका :**

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

**एन.पी.आर.सी. की भूमिका–**

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

## 12. नवाचार कार्यक्रम –

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार ( Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारण की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/ कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

## उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिए, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं नव्य शिक्षकों का चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

## गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे, इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

## डायट में स्टाफ की स्थिति

| | पदों का विवरण | 1.1.2001 के आधार पर | |
|---|---|---|---|
| | सृजित | कार्यरत | रिक्त |
| 1. प्राचार्य | 01 | 01 | 00 |
| 2. उप प्राचार्य | 01 | 00 | 01 |
| 3. व0प्रवक्ता | 06 | 04 | 02 |
| 4. प्रवक्ता | 17 | 11 | 06 |
| 5. कार्यानुभव शिक्षक | 01 | 01 | 00 |
| 6. सांख्यिकीकार | 01 | 01 | 00 |
| 7. प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा0विद्यालय के अध्या– पकों की संख्या | – | 01 | – |
| 8. अन्य (तकनीक सहायक) | 01 | 01 | – |

डायट द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु वाहन के लिए **डाईवर का पद स्वीकृत करना** आवश्यक है।

इसी प्रकार डायट मे एक **कम्प्यूटर आपरेटर का पद स्वीकृत किया जाए ।**

प्लानिंग प्रोसेस–

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत दस वर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान बनाने से पूर्व डायट द्वारा विभिन्न स्तरों पर एफ0जी0डी0, अध्ययन, शैक्षिक सपोर्ट, अनुभव, एन0पी0आर0सी0 व विद्यालयों से प्राप्त फीड बैक आदि तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए शोधों/रिसर्च के आधार पर कराई गई स्टडी का आधार लिया गया है।

इस हेतु सर्वप्रथम डायट के समक्ष संकाय सदस्यों के साथ दिनांक 3–2–2001 को एफ0जी0डी0 की गई, जिसमें डायट स्टाफ बी0आर0सी0सी0, एन0पी0आर0सी0सी0 तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिभावकों की क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास हेतु भिन्न–भिन्न प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। उक्त एफ0जी0डी0 के निष्कर्षों–मुद्दे प्लान के एनग्जर में संलग्न हैं।

इसके उपरांत एन0सी0ई0आर0टी0 की स्टेटस स्टडी 1998 सेम एस्पेक्ट्स आफ अपर प्राइमरी स्टेज आफ एजुकेशन इन इंडिया, ए स्टेटस स्टडी 1998 बाई अर्जुन देव एंड अदर के आधार पर परिषदीय उच्च प्राथमिक अध्यापकों तथा माध्यमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तरको पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ दिनांक 4–2–2001 को एफ0जी0डी0 के आधार पर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 के बच्चों की संप्राप्ति स्तर, बच्चों को पढ़ाए गए कठिन कंसेप्ट तथा उच्च प्राथमिकी स्तरीय अध्यापकों की प्रशिक्षण अपेक्षाएं/आवश्यकताएं आदि मुद्दों पर डिसकशन तथा तदानुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित किए गए।

इसी प्रकार दिनांक 5–2–2001 को समस्त डायट स्टाफ बी0एस0ए0, ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, समस्त बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के साथ एफ0जी0डी0 उनकी प्रशिक्षण नीड्स के साथ–साथ नामांकन, ठहराव व संप्राप्ति जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। इसी एफ0जी0डी0 में यह निष्कर्ष भी निकलकर आया कि अध्यापकों को डिमोंस्ट्रेशन स्किल की आवश्यकता है। वह स्वयं को डिमोंस्ट्रेशन करने में शैक्षिक भ्रमण करने के दौरान अक्षम मान रहे हैं।

दिनांक 6–2–2001 को अन्यों के साथ–साथ बी0आर0सी0 समन्वय लोधा समस्त एन0पी0आर0सी0, समन्वयक, उस ब्लाक के समस्त अध्यापकों के अतिरिक्त जन–समुदाय, अभिभावकों से भी एफ0जी0डी0 की, जिसमें अभिभावकों द्वारा विद्यालयों में फर्नीचर की मांग की तथा शिक्षा के स्तर से सुधार को स्वीकार किया। ग्राम एलमपुर जो एस0सी0 बाहुल्य ग्राम है, मे अभिभावकों द्वारा लड़कियों के लिए कार्यानुभव पर बल दिया। तभी वे विद्यालय भेजी जाएंगी। अनियमित उपस्थिति के विषय में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए बच्चों को नियमित भेजने का संकल्प लिया। साथ ही बहुत ही गरीब बच्चों के लिए यूनिफार्म की भी मांग की गई।

दिनांक 7–2–2001 को अलीगढ के अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, परियोजनाधिकारी, एस0डी0आई0एस0/ए0बी0एस0ए0एस, बी0एस0ए0 ने बैठक में प्रतिभाग कर नामांकन, ठहराव व संप्राप्ति, प्रशिक्षण आदि मुद्दों के साथ वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत खोले जाने वाले केंद्रों पर भी विचार हुआ।

दिनांक 17–2–2001 को अलीगढ़ में डी0एम0, सी0डी0ओ0 व जन–प्रतिनिधियों में (24–2–2001 को हाथरस में) जन–प्रतिनिधियों, डी0एम0/सी0डी0ओ0/अधिकारियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान पर विचार–विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त एफ0ए0एस0 व बेस लाइन स्टडी के आधार पर व पृथक् से भी डायट द्वारा कुछ स्टडीज डायट स्टाफ व बी0टी0सी0 छात्रों द्वारा की गई।

1. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रोल आफ विलेज एजुकेशन कमेटी।
2. शैक्षिक दृष्टि कमजोर बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक संप्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका।
3. विकास खंड में एफ0ए0एस0 के दौरान पाए गए एक बढ़िया संप्राप्ति व खराब संप्राप्ति के प्राथमिक विद्यालयों की केस स्टडी कराई गई– ए कंप्रेटिव स्टडी आफ पीएस विदिरिका एंड पी0एस0 ज्वार आफ इगलास ब्लाक (2001)
4. असेसमेंट आफ टीचर्स ट्रेनिंग नीड–2000

इसके अतिरिक्त सी0ई0आर0टी0 की स्टेट स्टडी सम एस्पेक्ट्स आफ अपर प्राइमरी स्टेज आफ एजुकेशन इन इंडिया बाई अर्जुनदेव एंड अदर, के निष्कर्षों के आधार पर विद्यालय में वास्तविक रूप से पढाए जाने वाला, विद्यालय के वास्तव में खुलने के दिन का अध्ययन बी0टी0सी0 छात्रों के माध्यम से कराया तथा ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में टाइम टेबिल नहीं है तथा अध्यापन समय भी 220 दिनों से कम पाया गया।

इसके अतिरिक्त एस0आई0ई0एम0ए0टी0 द्वारा कृत स्टडी– "ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेस इन ई0एफ0ए0 सपोर्टेड एंड नन–ई0एफ0ए0 डिस्ट्रिक आफ यू0पी0 (1988–99)", एफ0ए0एस0 रिपोर्ट बेसलाइन स्टडी रिपोर्ट, ई0एम0आई0एस0 डाटा, स्टडी "अचीवमेंट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एज ए फंक्शन आफ लर्निंग आर्गनाईजेशन आफ कंपीटेंसीज इन मैथनेटिक्स एट प्राइमरी स्टेजेस" बाई मिस्टर के0के0 वशिष्ठ, कृष्णकुमार मदन, गाइडलाइंस फोर इंप्लीमेंटेशन आफ दि सोप्ट स्कीम ड्यूरिंग 9 प्लान पीरियड (अप टू मार्च, 2002)

इन स्टडीज रिसर्चेज एंड डायट फाइंडिन्स के अतिरिक्त अधिकारियों, अभिभावकों, जन–प्रतिनिधियों, ग्राम शिक्षा समितियों, जन–समुदाय, अध्यापकों (प्रा0 व उ0प्रा0 दोनों) के संकुल प्रभारियों बी0आर0सी0 समन्वयकों, डायट–स्टाफ के साथ एफ0जी0डी0 के साथ–साथ विभिन्न प्रशिक्षणों में प्राप्त फीड बैक, शैक्षिक सपोर्ट आख्या, निरीक्षण से प्राप्त फीड बैक, अध्यापकों के कमजोर स्थलों आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान किया गया है।

## परिशिष्ट 1

## अकादमिक पर्यवेक्षण और श्रेणीकरण

| | | जिनका निरीक्षण हुआ श्रेणी | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ए | बी | सी | डी |
| विकास खण्डवार | स्कूलों की संख्या | | | | |
| 1. वि0ख0 हाथरस | 118 | 47 | 70 | 01 | 00 |
| 2. वि0ख0 सासनी | 101 | 58 | 41 | 02 | 00 |
| 3. वि0ख0 मुरसान | 98 | 76 | 21 | 01 | 00 |
| 4. वि0ख0 हसायन | 124 | 17 | 100 | 07 | 00 |
| 5. वि0ख0 सिकन्दराराउ | 97 | 09 | 86 | 02 | 00 |

## जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

| | | अनुमानित लागत (रू०लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण | 40.00 |
| 2. | एक सभाकक्ष का निर्माण | 8.00 |
| 3. | एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण | 2.00 |
| | **योग** | **50.00 लाख** |

उपकरण/साज सज्जा

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस. | 6.00 |
| 2. | फोटोकापियर | 1.50 |
| 3. | पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज | 1.00 |
| 4. | जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन | 1.50 |
| | **योग** | **10.00 लाख** |

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्रियात्मक शोध/अध्ययन | 2.00 |
| 2. | कार्यशालाएं/सेमीनार | 2.00 |
| 3. | प्रकाशन एवं मुद्रण | 4.00 |
| 4. | कंटिन्जेसी | 1.00 |
| 5. | वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल. | 0.50 |
| | **योग** | **10.00 लाख** |

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

# अध्याय-10

## परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियें के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससें सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

### प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

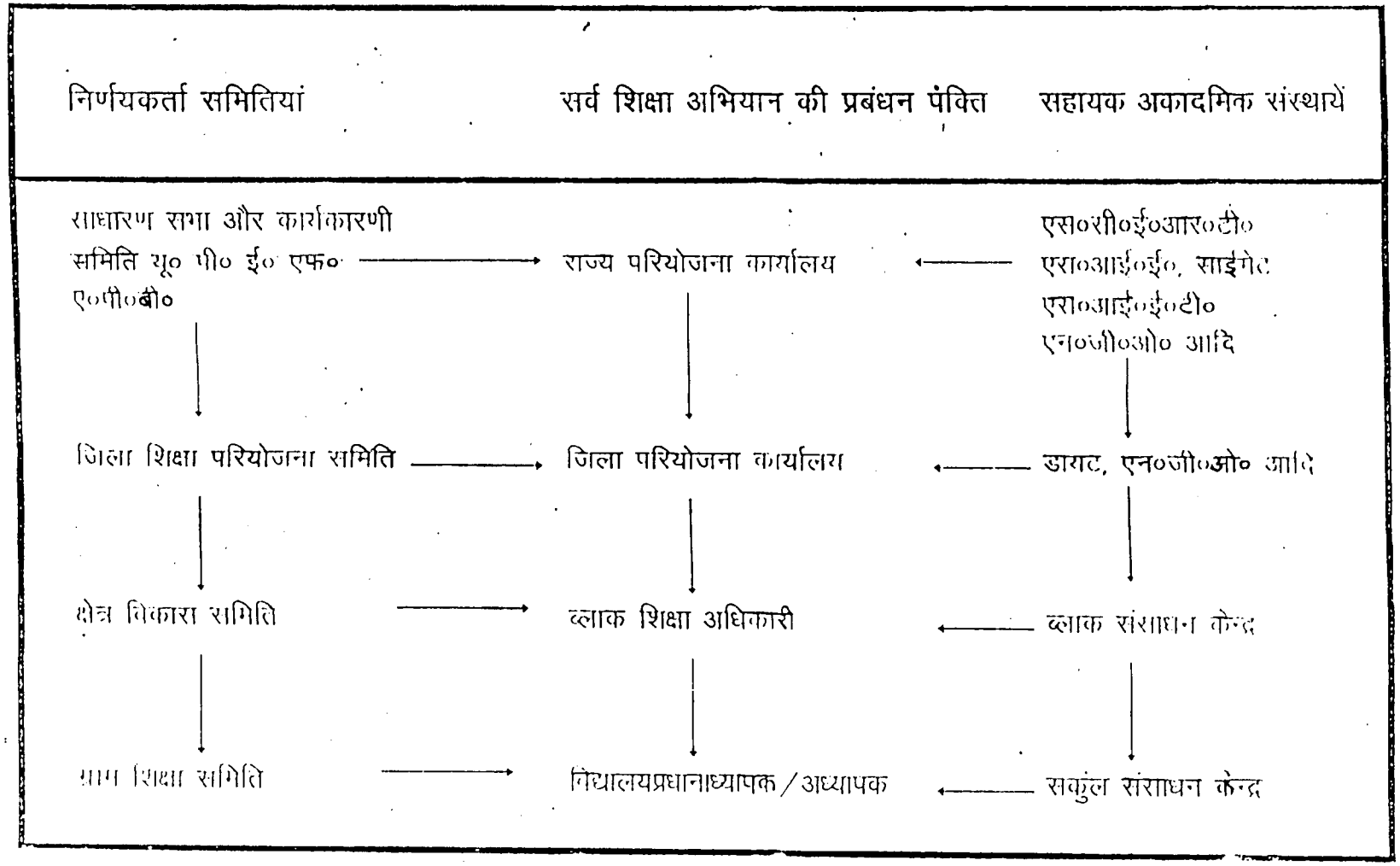

| निर्णयकर्ता समितियां | सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति | सहायक अकादमिक संस्थायें |
| --- | --- | --- |
| साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी० → | राज्य परियोजना कार्यालय | ← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि |
| जिला शिक्षा परियोजना समिति → | जिला परियोजना कार्यालय | ← डायट, एन०जी०ओ० आदि |
| क्षेत्र विकास समिति → | ब्लाक शिक्षा अधिकारी | ← ब्लाक संसाधन केन्द्र |
| ग्राम शिक्षा समिति → | विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक | ← संकुल संसाधन केन्द्र |

## संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

### ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

**समिति का स्वरूप निम्नवत है :-**

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

### अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

## न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

## कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

## क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ब्लाक प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2. | सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य - सचिव |

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

**अधिकार एवं दायित्व :**

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

**प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :**

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलव्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को वनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य में एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

## ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

**कार्य एंव दायित्व :**

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निर्रीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यक्ताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यक्ताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एंवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

**जनपद स्तरीय समितिः-**

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

## जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये सस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

**जिला बेसिक शिक्षा समिति :**

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला पंचायत अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य - सचिव |
| 3. | अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) | पदेन सदस्य |
| 4. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | पदेन सदस्य |
| 5. | जिला विद्यालय निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 6. | अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 7. | तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। | सदस्य |
| 8. | विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा। | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

**प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :**

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | पदेन | जिला परियोजना अधिकारी |
| 2. | उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0) | 1 | प्रतिनियुक्ति पर |
| 3. | समन्वयक | 4 | प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर |
| 4. | सलाहकार | 2 | रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 5. | ई.एम.आई.एस अधिकारी | 1 | रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 6. | कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक | 3 | रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 7. | सहायक लेखाधिकारी | 1 | प्रतिनियुक्ति पर |
| 8. | लिपिक | 1 | नियत मानदेय के आधार पर |
| 9. | परिचारक | 1 | नियत मानदेय के आधार पर |

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

**निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-**

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

## एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

## ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

**प्रशिक्षणः-**

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

**4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)**

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

**आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-**

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

**आंकडों का उपयोगः-**

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

इ0एम0आइ0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

**कोहॉर्ट स्टडीः-**

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

**प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-**

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंघन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

**जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :**

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थाापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करनें हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

## निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजा जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

## फन्ड फ्लो डॉयग्राम

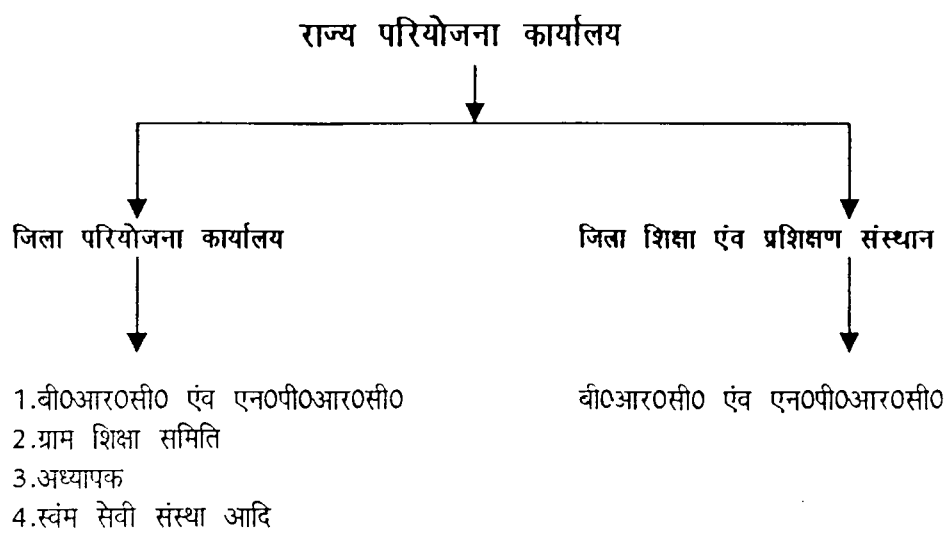


### सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

**मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-**

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अध्याय - 11

## PROJECT COST
## SERVE SHIKSHA ABHIYAN
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| (A) | ACCESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1. | New Primary SchoolsUnserved | 259 (191+10+18+40) | 24 | 6216 | 50 | 12950 | 50 | 12950 | | | | | | | | | | | | | 124 | 32116 |
| 1 | New Upper Primary Schools | 338 (270+10+18+40) | 8 | 2704 | 25 | 8450 | 20 | 6760 | | | | | | | | | | | | | 53 | 17914 |
| 2 | Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 1 Reg. + 1 SM | 9.2x12 | 24 | 1325 | 74 | 8170 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 124 | 13690 | 966 | 105325 |
| 3 | Salary of Teacher in UPS (4No ) in new school | 7 | 32 | 1344 | 132 | 11088 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 212 | 17808 | 1648 | 137088 |
| 4 | HT of New UPS 1 HT/UPS | 7.5x12 | 8 | 360 | 33 | 2970 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 53 | 4770 | 412 | 36720 |
| 5 | Furniture / Fixture & Equipment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PS | 15 | | | 74 | 1110 | 50 | 750 | | | | | | | | | | | | | 124 | 1860 |
| | UPS | 50 | | | 33 | 1650 | 20 | 1000 | | | | | | | | | | | | | 53 | 2650 |
| | Assessment of New UPS | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 9 | 1800 |
| | Cohort Study | 200 | | | 1 | 200 | | | | | 1 | 200 | | | | | 1 | 200 | | | 3 | 600 |
| | Total | | 97 | 12149 | 423 | 46788 | 530 | 57928 | 390 | 36468 | 391 | 36668 | 390 | 36468 | 390 | 36468 | 391 | 36668 | 390 | 36468 | 3392 | 336073 |
| A2 | Upgradation of Egs (TLE) to PS | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Interventions for out of school children | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | Alternative School (EGS + AIE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROJECT COST
# SERVE SHIKSHA ABHIYAN
# HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Primary including all models of DPEP | 0.705 per child | 900 | 634 | 2100 | 1481 | 2370 | 1671 | 1470 | 1036 | 870 | 613 | 450 | 317 | | | | | | | 8160 | 5752 |
| | Upper Primary | 1.0 per child | 300 | 300 | 870 | 870 | 870 | 870 | 570 | 570 | 240 | 240 | 150 | 150 | | | | | | | 3000 | 3000 |
| | Total | | 1200 | 934 | 2970 | 2351 | 3240 | 2541 | 2040 | 1606 | 1110 | 853 | 600 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 8752 |
| A4 | Back to school campaign | 1.5 per child | 750 | 1125 | 750 | 1125 | 600 | 900 | 500 | 750 | 250 | 375 | | | | | | | | | 2850 | 4275 |
| | Innovation of EGS | 50 | | | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| A5 | Bridge/Remedial courses | 1.5 per child | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | | | | | | | | | | | | | 300 | 450 |
| | Updation of Micro Planning Data | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9 | 450 |
| A6 | Strengthening Maqtab/Madarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SubTotal (A) | | 2147 | 14358 | 4243 | 50414 | 4470 | 61519 | 2930 | 38824 | 1751 | 37896 | 990 | 36935 | 390 | 36468 | 391 | 36668 | 390 | 36468 | 17702 | 349550 |
| (R) | RETENTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Additional Classrooms | 70 | 150 | 10500 | 200 | 14000 | 156 | 10920 | | | | | | | | | | | | | 506 | 35420 |
| | Additional Teachers Primary School (PS) | 5.5+2.2 | | | 57 | 5267 | 255 | 23562 | 461 | 42596 | 586 | 54164 | 626 | 57842 | 667 | 61631 | 709 | 65512 | 751 | 69392 | 4112 | 379966 |
| | Additional Teachers Upper Primary School | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | Toilets (PS + UPS) | 10 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 97 | 970 | | | | | | | | | | | | | 297 | 2970 |
| | Rec. of Old PS | 191 | | | 20 | 3820 | 17 | 3247 | | | | | | | | | | | | | 37 | 7067 |
| | Rec. of Old UPS | 270 | 2 | 540 | 5 | 1350 | 3 | 810 | | | | | | | | | | | | | 10 | 2700 |
| R2 | Drinking Water (PS + UPS) | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Repairs (PS+UPS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minor | 20 | | | 70 | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1400 |
| | Major | 70 | | | 35 | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 2450 |

135

# PROJECT COST
# SERVE SHIKSHA ABHIYAN
# HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| R3 | Repair and Maintenance of School | 5PA/per schools | 882 | 4410 | 882 | 4410 | 957 | 4785 | 1027 | 5135 | 1059 | 5295 | 1059 | 5295 | 1059 | 5295 | 1059 | 5295 | 1059 | 5295 | 9043 | 45215 |
| R3 | Boundary Walls (PS+UPS) Girls School | 40 | | | 200 | 8000 | 200 | 8000 | 174 | 6960 | | | | | | | | | | | 574 | 22960 |
| R4 | School Improvement Grant (PS) | 2 pa per school | | | 50 | 100 | 100 | 200 | 124 | 248 | 124 | 248 | 124 | 248 | 124 | 248 | 124 | 248 | 124 | 248 | 894 | 1788 |
| | School Improvement Grant (UPS) | 2 pa per school | | | 25 | 50 | 45 | 90 | 53 | 106 | 53 | 106 | 53 | 106 | 53 | 106 | 53 | 106 | 53 | 106 | 388 | 776 |
| R5 | Innovative Programmes upto max Rs. 50 lacs | 5000 per district | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promoting Girls Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summer Camps | 10 per camp | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 10 | 100 | 10 | 100 | | | | | | | | | 80 | 800 |
| R6 | MCDA including | 75 per cluster | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 1 | 75 | | | | | | | | | | | 7 | 525 |
| | Gender Sensitization | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7 | SUPW for girls | 25 per school | 100 | 2500 | 150 | 3750 | 200 | 5000 | 150 | 3750 | 100 | 2500 | 100 | 2500 | 75 | 1875 | 75 | 1875 | 50 | 1250 | 1000 | 25000 |
| R9 | Opening of ECCE centre in nonICDs block | 18 per centre | 30 | 540 | 60 | 1080 | 60 | 1080 | 60 | 1080 | 60 | 1080 | | | | | | | | | 270 | 4860 |
| 1 | Strengthening ICDs Centres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Development & Distribution of ECCE Materials | | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100 |
| 4 | Civil Works (one additional room) | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TLM | 5 per centre | 75 | 375 | 75 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 750 |
| 6 | Additional Honoranum (InstructorWorker) | 0.375 per centre | 75 | 338 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 150 | 675 | 1275 | 5738 |
| 7 | Contingency/Recurrent grant | 1.5 per centre | | | 75 | 113 | 150 | 225 | 150 | 225 | 150 | 225 | 150 | 225 | 150 | 225 | 150 | 225 | 150 | 225 | 1125 | 1688 |

136

31.07.2001

# PROJECT COST
# SERVE SHIKSHA ABHIYAN
# HATHRAS

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 8 | Training of ECCE Instructor (at BRC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Induction | 3 | 75 | 225 | 75 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 450 |
| | Recurring | 1.2 | | | 75 | 90 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 1125 | 1350 |
| R10 | Community Mobolisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MTA/PTA training | 0.007 | 882 | 6 | | | 1027 | 7 | | | 1059 | 7 | | | 1059 | 7 | | | 1059 | 7 | 5086 | 34 |
| 2 | Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist Level) | 8 per NPRC | 64 | 512 | | | 64 | 512 | | | 64 | 512 | | | | | | | | | 192 | 1536 |
| 3 | Davelopment of Awareness Material | 5 per block | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | | | 7 | 35 | | | | | | | | | 28 | 140 |
| 4 | Bal Mela at NPRC | 5 pa/per NPRC | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 64 | 320 | 576 | 2880 |
| 5 | Production of Audio Tapes | 10 per district | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | | | | | | | 3 | 30 |
| 6 | Production of Video Tapes | 10 per district | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | | | | | 3 | 30 |
| 8 | Assistance to NGOs for Community Mobilisation | 50 per distnct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | Award of Best VEC (2 No.) | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 18 | 450 |
| R12 | Award of Best Shiksha Mitras | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 27 | 135 |
| R12a | Award to Best BRC | 10 per Bl. | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| R12b | Award to Best NPRC | 7 per Bl | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 7 | 49 | 63 | 441 |
| R12c | Award to Best Teacher | 5 per Bl | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 63 | 315 |
| R13 | Remedioal Teaching of SC/ST Education | 0.705 per child | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| R14 | Assistance ot NGOs, For SC/ST Education | 0.705 per child | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R15 | Provision For disabled children | 1.20 (per child) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 960 | 800 | 960 | 800 | 960 | 500 | 600 | 500 | 600 | 300 | 360 | | | 5700 | 6840 |

137

**PROJECT COST**
**SERVE SHIKSHA ABHIYAN**
**HATHRAS**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 1 | Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education | 1.20 (per child) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R16 | Computer Education for UPS composite school | 100 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | | | | | | | | | 50 | 5000 |
| | School Health Check Up (PS) | 0.500 per school | 882 | 441 | 957 | 479 | 1027 | 514 | 1059 | 530 | 1059 | 530 | 1059 | 530 | 1059 | 530 | 1059 | 530 | 1059 | 530 | 9220 | 4614 |
| | School Health Check Up (UPS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Book Bank & School Library PS+UPS | 5.0 per school | 882 | 4410 | | | 1027 | 5135 | | | 1059 | 5295 | | | 1059 | 5295 | | | 1059 | 5295 | 5086 | 25430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Sub Total (B) | | 5324 | 28971 | 4385 | 51708 | 6609 | 68746 | 4464 | 64109 | 6585 | 73401 | 4058 | 68690 | 6189 | 77146 | 3913 | 75485 | 5748 | 83682 | 47273 | 591938 |
| | (Q) Quality Improvement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Training Programmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days) | 0.07 per person per day | | | 57 | 120 | 197 | 414 | 206 | 433 | 125 | 263 | 40 | 84 | 41 | 86 | 41 | 88 | 42 | 88 | 749 | 1576 |
| 2 | Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days) | 0.07 per person per day | | | 56 | 23 | 196 | 82 | 205 | 86 | 125 | 53 | 40 | 17 | 41 | 17 | 42 | 18 | 42 | 18 | 747 | 314 |
| 3 | Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days) | 0.07 per person per day | | | 100 | 42 | 180 | 76 | | | | | | | | | | | | | 280 | 118 |
| 4 | Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days) | 0.07 per person per day | | | 25 | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | 53 | 23 |
| 5 | In service teachers training (10 Days) | 0.07 per person per day | 2351 | 1646 | 2407 | 1685 | 2603 | 1822 | 2808 | 1966 | 2933 | 2053 | 2973 | 2081 | 3014 | 2109 | 3056 | 2139 | 3098 | 2169 | 25243 | 17670 |

## PROJECT COST
## SERVE SHIKSHA ABHIYAN
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 6 | Inservice training of Shiksha Mitra (12 Days) | 0.07 per person per day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Induction training of EGS/AIE worker (30 Days) | 0.07 per person per day | 40 | 84 | 59 | 124 | 9 | 19 | | | | | | | | | | | | | 108 | 227 |
| 8 | Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days) | 0.07 per person per day | | | | | 57 | 60 | 254 | 267 | 460 | 483 | 585 | 614 | 625 | 656 | 666 | 699 | 702 | 737 | 3349 | 3516 |
| 9 | Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days) | 0.07 per person per day | | | 60 | 63 | 99 | 104 | 108 | 113 | 37 | 39 | 20 | 21 | | | | | | | 324 | 340 |
| 10 | Training for BRC Coordinator (10 days) | 0.07 per person per day | 14 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 10 |
| 11 | NPRC Coordinator's training (10 days) | 0.07 per person per day | 64 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 45 |
| 12 | Refresher Training for BRC Coordinator (5 days) | 0.07 per person per day | | | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 112 | 40 |
| 13 | Refresher training for NPRC Coordinators (5 days) | 0.07 per person per day | | | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 22 | 512 | 176 |
| 14 | Training of resources person at (DIET) (20 days) | 0.07 per person per day | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 180 | 252 |
| 15 | Staff Development training for DIETs (7 days) | 0.300 per person per day | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | | | 160 | 336 |
| 16 | BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days) | 0.300 per person per day | 71 | 107 | | | 71 | 107 | | | 71 | 107 | | | 71 | 107 | | | 71 | 107 | 355 | 535 |

## PROJECT COST
## SERVE SHIKSHA ABHIYAN
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 17 | ABSA/SDI Training (5 days) | 0.07 per person per day | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 126 | 45 |
| 18 | Training for AE & JE (5 days) | 0.07 person per day | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 5 |
| 19 | Teacher Training Computer (UPSY/DIETE Faculty (20 days) | 1.50 per person | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 |
| 20 | Orientation of VECs/Ward Committee (3 days) | 0.03 per person per day | 4650 | 419 | 4650 | 419 | 4650 | 419 | | | | | 4650 | 419 | 4650 | 419 | 4650 | 419 | | | 27900 | 2514 |
| 21 | Training of RCI (IED) | 70.00 (45 days) | 10 | 700 | 10 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 1400 |
| 22 | Teachers Orientation in IED (5 days) | 0.07 | 515 | 180 | 515 | 180 | 515 | 180 | 515 | 180 | | | | | | | | | | | 2060 | 720 |
| 23 | AWP8 Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days) | 0.500 per person per day | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 63 | 225 |
| 24 | Training on EMIF by SIEMAT (5 days) | 0.500 per person per day | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 72 | 180 |
| 25 | Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days) | 0.07 per participant per day | 2055 | 432 | 2055 | 432 | | | | | | | | | | | | | | | 4110 | 864 |
| | Total | | 9863 | 3763 | 10151 | 3961 | 8754 | 3453 | 4251 | 3196 | 3898 | 3145 | 8455 | 3383 | 8589 | 3541 | 8602 | 3510 | 4082 | 3224 | 66645 | 31176 |
| Q2 | Teaching Learning Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Teacher Grant (PT+SM) | 0.5 | 2351 | 1176 | 2485 | 1243 | 2879 | 1440 | 3290 | 1645 | 3540 | 1770 | 3620 | 1810 | 3701 | 1851 | 3784 | 1892 | 3868 | 1934 | 29518 | 14761 |
| 2 | Teacher Grant (UPS) | 0.5 | 730 | 365 | 855 | 428 | 995 | 498 | 995 | 498 | 995 | 498 | 995 | 498 | 995 | 498 | 995 | 498 | 995 | 498 | 8550 | 4279 |

146

31.07.2001

# PROJECT COST
# SERVE SHIKSHA ABHIYAN
# HATHRAS

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 3 | Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS) | 0.150 per | 150061 | 22509 | 158644 | 23796 | 162557 | 24383 | 165126 | 24768 | 167752 | 25162 | 170433 | 25565 | 173182 | 25977 | 175989 | 26398 | 178859 | 26828 | 1502603 | 225386 |
| | Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS) | Child per year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Supplementary Reading Material (PS) | 0.5 | 731 | 366 | 781 | 391 | 831 | 416 | 855 | 428 | 855 | 428 | 855 | 428 | 855 | 428 | 855 | 428 | 855 | 428 | 7473 | 3741 |
| 5 | Supplementary Reading Material (UPS) | 1 | 151 | 151 | 176 | 176 | 196 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1747 | 1747 |
| 6 | Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide | LS | 1 | 1000 | | | | | 1 | 1000 | | | | | 1 | 1000 | | | | | 3 | 3000 |
| 7 | Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 1440 |
| 8 | Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 1440 |
| 9 | Development Printing and Distribution of AS Training Modules | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | 3 | 30 |
| 10 | Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years) | 400 each | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | | | | | | | | | 2 | 800 |
| 11 | Children learning Evaluation (UPS) 3 times | 400 each | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | | | | | | | | | 2 | 800 |
| 12 | School Awards | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| | Total | | 154031 | 26722 | 162945 | 26389 | 167462 | 27288 | 170474 | 28868 | 173351 | 29207 | 176110 | 28850 | 178941 | 30303 | 181830 | 29765 | 184784 | 30237 | 1549928 | 257649 |
| | Subtotal (C) | | 163894 | 30485 | 173096 | 30350 | 176216 | 30741 | 174725 | 32084 | 177249 | 32352 | 184565 | 32233 | 187530 | 33844 | 190432 | 33275 | 188866 | 33461 | 1616573 | 288825 |
| C1 | DIET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Civil Work | 5000 | | | 1 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5000 |
| 1 | Furniture | 50 | | | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| 2 | Equipments (including Audio Visual) | 400 | | | 1 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 400 |
| 3 | Computers Work Station | 600 | | | 1 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 600 |
| 4 | Vehicle (where applicable) | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

# PROJECT COST
# SERVE SHIKSHA ABHIYAN
# HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 5 | Hiring | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 45 |
| 6 | POL | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 270 |
| 7 | Maintenance of Vehicle | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 9 | 135 |
| 8 | Research/Action Research | 200 | | | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 8 | 1600 |
| | Seminar & Workshop | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 9 | 1700 |
| 9 | Faculty Development | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 270 |
| | Publications | 400 | | | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 8 | 3200 |
| 10 | Exposure visits | 50 | 1 | 50 | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | 5 | 250 |
| 11 | Library | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | | 1 | 25 | 5 | 125 |
| 12 | Salary of Computer Operator | 7x12 | 1 | 42 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 9 | 714 |
| 13 | Salary of Driver (where applicable) | 4 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 9 | 408 |
| 14 | Consumable/Computer Stationary | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 0 | 90 |
| | Contingencies | 100 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 9 | 850 |
| | Total | | 10 | 381 | 14 | 7172 | 12 | 1197 | 10 | 1122 | 12 | 1197 | 10 | 1122 | 12 | 1197 | 10 | 1122 | 12 | 1197 | 102 | 15707 |
| C2 | Block Resource Centre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Civil Construction | 800 | 2 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1600 |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | 2 | 78 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 2 | 156 | 18 | 1326 |
| 3 | Asstt. Coordinator (2 No.) | 5.5+2 = 11 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 84 | 462 | 756 | 4158 |
| 4 | Chowkidar | 3+12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Equipment/Furniture | 100 | 2 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 200 |
| 6 | Travelling Allowance | 5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 63 | 315 |
| 7 | Maint of Equipment | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 63 |
| 8 | Maint of building | 6 | 5 | 30 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | 61 | 366 |
| 9 | Books | 10 | 7 | 70 | | | 7 | 70 | | | 7 | 70 | | | 7 | 70 | | | 7 | 70 | 35 | 350 |

142

## PROJECT COST
## SERVE SHIKSHA ABHIYAN
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 10 | Monitoring & Supervision | 0300 per school | 882 | 265 | 957 | 287 | 1027 | 308 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 9220 | 2768 |
| 11 | Consumables | 5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 63 | 315 |
| 12 | Contingency | 12 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 7 | 84 | 63 | 756 |
| 13 | Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators | 0 300 per meeting | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 84 | 25 | 756 | 225 |
| | Total | | 1096 | 2891 | 1162 | 1133 | 1239 | 1224 | 1264 | 1164 | 1271 | 1234 | 1264 | 1164 | 1271 | 1234 | 1264 | 1164 | 1271 | 1234 | 11102 | 12442 |
| C3 | School Complex (NPRC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | Construction | 70 | 15 | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 1050 |
| 2 | Salary Coordinator | 5.5 | 15 | 495 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 15 | 990 | 135 | 8415 |
| 3 | Equipment/Furniture | 10 | 15 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 150 |
| 4 | Books for Library/Book Bank | 5 | 64 | 320 | | | 64 | 320 | | | 64 | 320 | | | 64 | 320 | | | 64 | 320 | 320 | 1600 |
| 5 | Contingency | 2.5 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 64 | 160 | 576 | 1440 |
| 6 | Monthly Review meeting at CRC | 0 200 x12 per meeting | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 768 | 154 | 6912 | 1386 |
| 7 | Monitoring & Supervision (PS) | 0 200 per school | 882 | 176 | 957 | 191 | 1027 | 205 | 1059 | 212 | 1059 | 212 | 1059 | 212 | 1059 | 212 | 1059 | 212 | 1059 | 212 | 9220 | 1844 |
| | Monitoring & Supervision (UPS) | 0 200 per school | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Total | | 1823 | 2505 | 1804 | 1495 | 1938 | 1829 | 1906 | 1516 | 1970 | 1836 | 1906 | 1516 | 1970 | 1836 | 1906 | 1516 | 1970 | 1836 | 17193 | 15885 |

143

**PROJECT COST**
**SERVE SHIKSHA ABHIYAN**
**HATHRAS**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C4 | District Project Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Staffing Coordinators4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consultants2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Driver1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (if vehicle is purchases) | 71 | 12 | 426 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 12 | 852 | 108 | 7242 |
| | Furniture | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| | Equipment | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| | Books | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 |
| | Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Motorcycle | 50 | 11 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 550 |
| | Travelling Allowances | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 |
| | Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| | Telephone/fax | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 270 |
| | Vehicle Maintenance & POL | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9 | 450 |
| | Honorarium to AE/JE - For 3 Years | 6 Block | 84 | 504 | 84 | 504 | 84 | 504 | | | | | | | | | | | | | 252 | 1512 |
| | Maintenance of equipment | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| | Hiring of Vehicles | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 45 |

144

## PROJECT COST
## SERVE SHIKSHA ABHIYAN
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Supervision & Monitoring | 0.158 per school | 882 | 139 | 957 | 151 | 1027 | 162 | 1059 | 167 | 1059 | 167 | 1059 | 167 | 1059 | 167 | 1059 | 167 | 1059 | 167 | 9220 | 1454 |
| | Contingency | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| | Research & Evaluation | 0.300 per school | 882 | 265 | 957 | 287 | 1027 | 308 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 1059 | 318 | 9220 | 2768 |
| | Total | | 1881 | 2144 | 2017 | 1944 | 2157 | 1976 | 2137 | 1487 | 2137 | 1487 | 2137 | 1487 | 2137 | 1487 | 2137 | 1487 | 2137 | 1487 | 18877 | 14986 |
| C4 1 | MIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MIS Cell Furnishing | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| | Salary of MIS Officers | 10 | 6 | 60 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 102 | 1020 |
| 2 | Salary of Computer Operator (3 Nos.) | 7 p m *12 | 3 | 126 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 3 | 252 | 27 | 2142 |
| 3 | MIS Equipments (where applicable) | 460 | 1 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 460 |
| 4 | Printing & Distribution of Data Formats | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 |
| 5 | Maintenance of equipments | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 |
| 6 | Computer Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| | Total | | 14 | 761 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 18 | 437 | 158 | 4257 |
| | Sub Total (D) | | 4824 | 8682 | 5015 | 12181 | 5364 | 6663 | 5335 | 5726 | 5408 | 6191 | 5335 | 5726 | 5408 | 6191 | 5335 | 5726 | 5408 | 6191 | 47432 | 63277 |
| | Grand Total | | 176189 | 82496 | 186739 | 144653 | 192659 | 167669 | 187454 | 140743 | 190993 | 149840 | 194946 | 143584 | 199517 | 153649 | 200071 | 151154 | 200412 | 159802 | 1728980 | 1293590 |

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

145

## SUMMARY OF PROJECT COST – I
## HATHRAS

(Rs. in Thousands)

| YEAR | CIVIL WORK | MANAGEMENT COST | PROGRAMME | TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2001-2002 | | | | |
| Amount | 21080 | 2905 | 58511 | **82496.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2002-2003 | | | | |
| Amount | 62872 | 2381 | 79400 | **144653.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2003-2004 | | | | |
| Amount | 48484 | 2413 | 116772 | **167669.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2004-2005 | | | | |
| Amount | 21057 | 1924 | 117762 | **140743.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2005-2006 | | | | |
| Amount | 5337 | 1924 | 142579 | **149840.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2006-2007 | | | | |
| Amount | 5337 | 1924 | 136323 | **143584.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2007-2008 | | | | |
| Amount | 5337 | 1924 | 146388 | **153649.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2008-2009 | | | | |
| Amount | 5337 | 1924 | 143893 | **151154.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| 2009-2010 | | | | |
| Amount | 5337 | 1924 | 152541 | **159802.00** |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | **180178** | **19243** | **1094169** | **1293590** |
| | | | | |
| **As % of Total Cost** | **13.93** | **1.49** | **84.58** | **100.00** |

## SUMMARY OF PROJECT COST - II
## HATHRAS

(Rs. in Thousands)

| YEAR | ACCESS | RETENTION | QUALITY | CAP. BUILDING | TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 2001-2002 | | | | | |
| Amount | 14358.00 | 28971.00 | 30485.00 | 8682.00 | 82496.00 |
| As % of Total Project Cost | 17.40 | 35.12 | 36.95 | 10.52 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2002-2003 | | | | | |
| Amount | 50414.00 | 51708.00 | 30350.00 | 12181.00 | 144653.00 |
| As % of Total Project Cost | 34.85 | 35.75 | 20.98 | 8.42 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2003-2004 | | | | | |
| Amount | 61519.00 | 68746.00 | 30741.00 | 6663.00 | 167669.00 |
| As % of Total Project Cost | 36.69 | 41.00 | 18.33 | 3.97 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2004-2005 | | | | | |
| Amount | 38824.00 | 64109.00 | 32084.00 | 5726.00 | 140743.00 |
| As % of Total Project Cost | 27.59 | 45.55 | 22.80 | 4.07 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2005-2006 | | | | | |
| Amount | 37896.00 | 73401.00 | 32352.00 | 6191.00 | 149840.00 |
| As % of Total Project Cost | 25.29 | 48.99 | 21.59 | 4.13 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2006-2007 | | | | | |
| Amount | 36935.00 | 68690.00 | 32233.00 | 5726.00 | 143584.00 |
| As % of Total Project Cost | 25.72 | 47.84 | 22.45 | 3.99 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2007-2008 | | | | | |
| Amount | 36468.00 | 77146.00 | 33844.00 | 6191.00 | 153649.00 |
| As % of Total Project Cost | 23.73 | 50.21 | 22.03 | 4.03 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2008-2009 | | | | | |
| Amount | 36668.00 | 75485.00 | 33275.00 | 5726.00 | 151154.00 |
| As % of Total Project Cost | 24.26 | 49.94 | 22.01 | 3.79 | 100.00 |
| | | | | | |
| 2009-2010 | | | | | |
| Amount | 36468.00 | 83682.00 | 33461.00 | 6191.00 | 159802.00 |
| As % of Total Project Cost | 22.82 | 52.37 | 20.94 | 3.87 | 100.00 |
| | | | | | |
| GRAND TOTAL | 349550.00 | 591938.00 | 288825.00 | 63277.00 | 1293590.00 |
| As % of Total Cost | 27.02 | 45.76 | 22.33 | 4.89 | 100.00 |

अध्याय-12

## ANNUAL WORK PLAN BUDGET
## HATHRAS

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| (A) | ACCESS | | | | | |
| A1. | New Primary SchoolsUnserved | 259 (191+10+18+40) | 24 | 6216 | 24 | 6216 |
| 1 | New Upper Primary Schools | 338 (270+10+18+40) | 8 | 2704 | 8 | 2704 |
| 2 | Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 1 Reg. + 1 SM | 9.2x12 | 24 | 1325 | 24 | 1325 |
| 3 | Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school | 7 | 32 | 1344 | 32 | 1344 |
| 4 | HT of New UPS 1 HT/UPS | 7.5×12 | 8 | 360 | 8 | 360 |
| 5 | Furniture / Fixture & Equipment | | | | | |
| | PS | 15 | | | | |
| | UPS | 50 | | | | |
| | Assessment of New UPS | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| | Cohart Study | 200 | | | | |
| | **Total** | | **97** | **12149** | **97** | **12149** |
| A2 | Upgradatgion of Egs (TLE) to PS | 10 | | | | |
| | **Total** | | | | | |
| | Interventions for out of school children | | | | | |
| A3 | Alternative School (EGS + AIE) | | | | | |
| | EGS | | | | | |
| | Primary including all models of DPEP | 0.705 per child | 900 | 634 | 450 | 3[illegible] |
| | Upper Primary | 1.0 per child | 300 | 300 | 150 | 150 |
| | Total | | **1200** | 934 | **600** | 46[illegible] |
| A4 | Back to school campaign | 1.5 per child | 750 | 1125 | 375 | 563 |

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
HATHRAS

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Innovation of EGS | 50 | | | | |
| A5 | Bridge/Remedial courses | 1.5 per child | 100 | 150 | 50 | 75 |
| | Updation of Micro Planning Data | 50 | 1 | 50 | 1 | 25 |
| A6 | Strengthening Maqtab/Madarsa | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **SubTotal (A)** | | **2147** | **14358** | **1122** | **13254** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (R) | **RETENTION** | | | | | |
| | | | | | | |
| | Additional Classrooms | 70 | 150 | 10500 | 150 | 10500 |
| | | | | | | |
| | Additional Teachers Primary School (PS) | 5.5+2.2 | | | | |
| | | | | | | |
| | Additional Teachers Upper Primary School | 6.5 | | | | |
| | | | | | | |
| R1 | Toilets (PS + UPS) | 10 | 100 | 1000 | 100 | 1000 |
| | | | | | | |
| | Rec. of Old PS | 191 | | | | |
| | Rec. of Old UPS | 270 | 2 | 540 | 2 | 540 |
| | | | | | | |
| R2 | Drinking Water (PS + UPS) | 18 | | | | |
| | | | | | | |
| | Repairs (PS+UPS) | | | | | |
| | Minor | 20 | | | | |
| | Major | 70 | | | | |
| | | | | | | |
| R3 | Repair and Maintenance of School | 5PA/per schools | 882 | 4410 | 882 | 4410 |
| | | | | | | |
| R3 | Boundary Walls (PS+UPS) Girls School | 40 | | | | |
| | | | | | | |
| R4 | School Improvement Grant (PS) | 2 pa per school | | | | |
| | School Improvement Grant (UPS) | 2 pa per school | | | | |
| | | | | | | |
| R5 | Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs | 5000 per district | | | | |
| | Promoting Girls Education | | | | | |
| | | | | | | |
| | Summer Camps | 10 per camp | 20 | 200 | 10 | 100 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET**
**HATHRAS**

**31.07.2001** (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| R6 | MCDA including | 75 per cluster | 2 | 150 | 1 | 75 |
| | Gender Sensitization | | | | | |
| R7 | SUPW for girls | 25 per school | 100 | 2500 | 50 | 1250 |
| R9 | Opening of ECCE centre in nonICDs block | 18 per centre | 30 | 540 | 30 | 540 |
| 1 | Strengthening ICDs Centres | | | | | |
| 2 | Development & Distribution of ECCE Materials | | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 4 | Civil Works (one additional room) | 70 | | | | |
| 5 | TLM | 5 per centre | 75 | 375 | 75 | 375 |
| 6 | Additional Honorarium (InstructorWorker) | 0.375 per centre | 75 | 338 | 75 | 338 |
| 7 | Contingency/Recurrent grant | 1.5 per centre | | | | |
| 8 | Training of ECCE Instructor (at BRC) | | | | | |
| | Induction | 3 | 75 | 225 | 75 | 225 |
| | Recurring | 1.2 | | | | |
| R10 | Community Mobolisation | | | | | |
| 1 | MTA/PTA training | 0.007 | 882 | 6 | 882 | 6 |
| 2 | Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level) | 8 per NPRC | 64 | 512 | 32 | 256 |
| 3 | Development of Awareness Material | 5 per block | 7 | 35 | 4 | 18 |
| 4 | Bal Mela at NPRC | 5 pa/per NPRC | 64 | 320 | 32 | 160 |
| 5 | Production of Audio Tapes | 10 per district | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 6 | Production of Video Tapes | 10 per district | | | | |

150

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
HATHRAS

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 8 | Assistance to NGOs for Community Mobilisation | 50 per district | | | | |
| | | | | | | |
| R11 | Award of Best VEC (2 No.) | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| | | | | | | |
| R12 | Award of Best Shiksha Mitras | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| R12a | Award to Best BRC | 10 per Bl. | 1 | 10 | 1 | 10 |
| R12b | Award to Best NPRC | 7 per Bl. | 7 | 49 | 7 | 49 |
| R12c | Award to Best Teacher | 5 per Bl. | 7 | 35 | 7 | 35 |
| | | | | | | |
| R13 | Remedioai Teaching of SC/ST Education | 0.705 per child | | | | |
| | | | | | | |
| R14 | Assistance ot NGOs, For SC/ST Education | 0.705 per child | | | | |
| | | | | | | |
| R15 | Provision For disabled children | 1.20 (per child) | 1000 | 1200 | 500 | 600 |
| | | | | | | |
| 1 | Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education | 1.20 (per child) | | | | |
| | | | | | | |
| R16 | Computer Education for UPS composite school | 100 | 10 | 1000 | 5 | 500 |
| | | | | | | |
| | School Health Check Up (PS) | 0.500 per school | 882 | 441 | 441 | 221 |
| | School Health Check Up (UPS) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Book Bank & School Library PS+UPS | 5.0 per school | 882 | 4410 | 441 | 2205 |
| | | | | | | |
| | Sub Total (B) | | 5324 | 28971 | 3808 | 23582 |
| | | | | | | |
| | (Q) Quality Improvement | | | | | |
| | | | | | | |
| Q1 | Training Programmes | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days) | 0.07 per person per day | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days) | 0.07 per person per day | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days) | 0.07 per person per day | | | | |

151

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET**
**HATHRAS**

**31.07.2001** (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 4 | Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 5 | In service teachers training (10 Days) | 0.07 per person per day | 2351 | 1646 | 1176 | 823 |
| 6 | Inservice training of Shiksha Mitra (12 Days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 7 | Induction training of EGS/AIE worker (30 Days) | 0.07 per person per day | 40 | 84 | 20 | 42 |
| 8 | Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 9 | Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 10 | Training for BRC Coordinator (10 days) | 0.07 per person per day | 14 | 10 | 7 | 5 |
| 11 | NPRC Coordinator's training (10 days) | 0.07 per person per day | 64 | 45 | 32 | 23 |
| 12 | Refresher Training for BRC Coordinator (5 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 13 | Refresher training for NPRC Coordinators (5 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 14 | Training of resources person at (DIET) (20 days) | 0.07 per person per day | 20 | 28 | 10 | 14 |
| 15 | Staff Development training for DIETs (7 days) | 0.300 per person per day | 20 | 42 | 10 | 21 |
| 16 | BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days) | 0.300 per person per day | 71 | 107 | 36 | 54 |
| 17 | ABSA/SDI Training (5 days) | 0.07 per person per day | 14 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | Training for AE & JE (5 days) | 0.07 person per day | 14 | 5 | 7 | 3 |

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
HATHRAS

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 19 | Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days) | 1.50 per person | 10 | 15 | 5 | 8 |
| 20 | Orientation of VECs/Ward Committee (3 days) | 0.03 per person per day | 4650 | 419 | 2325 | 210 |
| 21 | Training of RCI (IED) | 70.00 (45 days) | 10 | 700 | 5 | 350 |
| 22 | Teachers Orientation in IED (5 days) | 0.07 | 515 | 180 | 258 | 90 |
| 23 | AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days) | 0.500 per person per day | 7 | 25 | 4 | 13 |
| 24 | Training on EMIF by SIEMAT (5 days) | 0.500 per person per da, | 8 | 20 | 4 | 10 |
| 25 | Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days) | 0.07 per participant per day | 2055 | 432 | 1028 | 216 |
| | **Total** | | **9863** | **3763** | **4932** | **1882** |
| Q2 | Teaching Learning Material | | | | | |
| 1 | Teacher Grant (PT+SM) | 0.5 | 2351 | 1176 | 2351 | 1176 |
| 2 | Teacher Grant (UPS) | 0.5 | 730 | 365 | 730 | 365 |
| 3 | Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS) | 0.150 per | 150061 | 22509 | 150061 | 22509 |
| | Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS) | Child per year | | | | |
| 4 | Supplementary Reading Material (PS) | 0.5 | 731 | 366 | 366 | 183 |
| 5 | Supplementary Reading Material (UPS) | 1 | 151 | 151 | 76 | 76 |
| 6 | Prlnting & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide | LS | 1 | 1000 | 1 | 500 |
| 7 | Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 80 |

153

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET**
**HATHRAS**

**31.07.2001** (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 8 | Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 80 |
| 9 | Development Printing and Distribution of AS Training Modules | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 10 | Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years) | 400 each | 1 | 400 | 1 | 200 |
| 11 | Children learning Evaluation (UPS) 3 times | 400 each | 1 | 400 | 1 | 200 |
| 12 | School Awards | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | **Total** | | **154031** | **26722** | **153587** | **25399** |
| | **Subtotal (C)** | | **163894** | **30485** | **158519** | **27280** |
| **C1** | **DIET** | | | | | |
| | Civil Work | 5000 | | | | |
| 1 | Furniture | 50 | | | | |
| 2 | Equipments (including Audio Visual) | 400 | | | | |
| 3 | Computers Work Station | 600 | | | | |
| 4 | Vehicle (where applicable) | 350 | | | | |
| 5 | Hiring | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | POL | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 |
| 7 | Maintenance of Vehicle | 15 | 1 | 15 | 1 | 8 |
| 8 | Research/Action Research | 200 | | | | |
| | Seminar & Workshop | 200 | 1 | 100 | 1 | 50 |
| 9 | Faculty Development | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 |
| | Publications | 400 | | | | |
| 10 | Exposure visits | 50 | 1 | 50 | 1 | 25 |
| 11 | Library | 25 | 1 | 25 | 1 | 13 |
| 12 | Salary of Computer Operator | 7x12 | 1 | 42 | 1 | 42 |

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
HATHRAS

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 13 | Salary of Driver (where applicable) | 4 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 14 | Consumable/Computer Stationary | 10 | | 10 | | 10 |
| | Contingencies | 100 | 1 | 50 | 1 | 25 |
| | **Total** | | **10** | **381** | **6** | **229** |
| C2 | Block Resource Centre | | | | | |
| 1 | Civil Construction | 800 | 2 | 1600 | 2 | 1600 |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | 2 | 78 | 2 | 78 |
| 3 | Asstt. Coordinator (2 No.) | 5.5×2 = 11 | 84 | 462 | 84 | 462 |
| 4 | Chowkidar | 3×12 | | | | |
| 5 | Equipment/Furniture | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 6 | Travelling Allowance | 5 | 7 | 35 | 4 | 18 |
| 7 | Maint of Equipment | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | Maint of building | 6 | 5 | 30 | 3 | 15 |
| 9 | Books | 10 | 7 | 70 | 4 | 35 |
| 10 | Monitoring & Supervision | 0300 per school | 882 | 265 | 441 | 133 |
| 11 | Consumables | 5 | 7 | 35 | 4 | 18 |
| 12 | Contingency | 12 | 7 | 84 | 4 | 42 |
| 13 | Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators | 0.300 per meeting | 84 | 25 | 42 | 13 |
| | **Total** | | **1096** | **2891** | **593** | **2616** |
| C3 | School Complex (NPRC) | | | | | |
| 1 | Construction | 70 | 15 | 1050 | 15 | 1050 |
| 2 | Salary Coordinator | 5.5 | 15 | 495 | 15 | 495 |
| 3 | Equipment/Furniture | 10 | 15 | 150 | 15 | 150 |

155

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET**
**HATHRAS**

**31.07.2001** (Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 4 | Books for Library/Book Bank | 5 | 64 | 320 | 64 | 320 |
| 5 | Contingency | 2.5 | 64 | 160 | 32 | 80 |
| 6 | Monthly Review meeting at CRC | 0.200 x12 per meeting | 768 | 154 | 384 | 77 |
| 7 | Monitoring & Supervision (PS) | 0.200 per school | 882 | 176 | 441 | 88 |
| | Monitoring & Supervision (UPS) | 0.200 per school | | | | |
| | **Total** | | **1823** | **2505** | **966** | **2260** |
| C4 | District Project Office | | | | | |
| | Staffing Coordinators4 | | | | | |
| | Consultants2 | | | | | |
| | AAO | | | | | |
| | Driver1 | | | | | |
| | (if vehicle is purchases) | 71 | 12 | 426 | 12 | 426 |
| | Furniture | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Equipment | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Books | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt. | 350 | | | | |
| | Motorcycle | 50 | 11 | 550 | 11 | 550 |
| | Travelling Allowances | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | Telephone/fax | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| | Vehicle Maintemance & POL | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Honorarium to AE/JE - For 3 Years | 6 Block | 84 | 504 | 84 | 504 |
| | Maintenance of equipment | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Hiring of Vehicles | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |

## ANNUAL WORK PLAN BUDGET
## HATHRAS

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per Perspective Plan | | Estimate for 1st Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Supervision & Monitoring | 0.158 per school | 882 | 139 | 882 | 139 |
| | | | | | | |
| | Contingency | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | | | | |
| | Research & Evaluation | 0.300 per scholl | 882 | 265 | 882 | 265 |
| | | | | | | |
| | **Total** | | **1881** | **2144** | **1881** | **2144** |
| | | | | | | |
| C4 1 | MIS | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | MIS Call Furnisning | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| | Salary of MIS Officers | 10 | 6 | 60 | 6 | 60 |
| | | | | | | |
| 2 | Salary of Computer Operator (3 Nos.) | 7 p.m. ×12 | 3 | 126 | 3 | 126 |
| | | | | | | |
| 3 | MIS Equipments (where applicable) | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 |
| | | | | | | |
| 4 | Printing & Distribution of Data Formats | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | | | | | | |
| 5 | Maintenance of equipments | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | | | | | | |
| 6 | Computer Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Total** | | **14** | **761** | **14** | **761** |
| | | | | | | |
| | **Sub Total (D)** | | **4824** | **8682** | **3460** | **8009** |
| | | | | | | |
| | **Grand Total** | | **176189** | **82496** | **166909** | **72125** |

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11492
DOC, No. 09-07-2002
Date

157

# परिशिष्ट

रजिस्ट्रेशन नम्बर—177

रजि० नं० एम०डब्लू०/एन०पी० 91

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) के पश्चात् पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ज) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर प्रवीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (9-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में" निर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ग) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या अभिलेखों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, तत्सम्बन्धी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

**नगरपालिकाओं के कृत्य**

10-क--यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

**गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य**

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय; लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" (अध्यारोही प्रभाव)

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1999 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1999

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

------

No. 1245 (2)/XVII-V-1— (KA)-2)-1999

*Dated Lucknow, May 5, 2000*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

# THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gaon Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) In clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) In clause (*f*) the words "and in particular, to accord any [illegible] management of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*;

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section ([illegible]) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (*1*).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect — Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी० 255 राजपत्र (हि०)—(463)—2000—597 (मे०)।

539
3|6|99

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग    लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

| | |
|---|---|
| 1-जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य |
| 3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य -सचिव |

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार वर्णित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (सा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0 लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग-1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा xxxx विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र [illegible])
विशेष सचिव।

ज्ञापनांक संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई, 1999 का संलग्नक।

## शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (i) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (i) शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(ii) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2....

(iii) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

**शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण**

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी०एस०पी०/डी०पी०ई०पी०योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे०) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

**आयु**

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

**शिक्षा मित्र का चयन**

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार (81) छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

**संविदा की अवधि**

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

**संविदा अवधि का मानदेय**

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह नियत मानदेय पर रखा जायेगा।

**संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया**

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

**शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति**

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

**प्रशिक्षण**

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

1।। प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1।।। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

**पर्यवेक्षण**

12- 1।। शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरनाम स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

....5..

किया जावेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जावेगा। यदि कोई समस्या होती है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जावेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे ।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।\v। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जावेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त करती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

निदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आहरण निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जावेगा तथा एक किस्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किस्त पूर्व स्वीकृत किस्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जावेगी। धनराशि दो समान किस्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।

14- प्रस्तर -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किस्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की निर्धारानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुतः यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. **शिक्षा मित्र की अर्हतायें:**

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. **शिक्षा मित्र का कार्यकाल:**

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. **शिक्षा मित्र का मानदेय:**

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. **शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:**

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रू0 2250/- के स्थान पर रू0 450/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 300/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

**प्रारूप-एक**

**शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।**

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

| | | |
|---|---|---|
| (क) हाई स्कूल | श्रेणी | प्राप्तांक |
| (ख) इण्टरमीडिएट | श्रेणी | प्राप्तांक |
| (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 | श्रेणी | प्राप्तांक |

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)

सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्पेशल आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(जी0 डी0 त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

## शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद में मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

# जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

**कार्यालय–ज्ञाप**

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रमुख सचिव, शिक्षा | अध्यक्ष |
| (2) | सचिव, बेसिक शिक्षा | उपाध्यक्ष |
| (3) | प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (4) | प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (5) | राज्य परियोजना निदेशक | सदस्य |
| (6) | निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा | सदस्य–सचिव |
| (7) | निदेशक, बेसिक शिक्षा | सदस्य |
| (8) | निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 | सदस्य |
| (9) | भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि | सदस्य |
| (10) | भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि | सदस्य |
| (11) | सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो | सदस्य |
| (12) | राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक | सदस्य |
| (13) | सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो | सदस्य |
| (14) | निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना | सदस्य |
| (15) | निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद | सदस्य |
| (16) | निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| (17) | निदेशक, महिला समाख्या | सदस्य – |
| (18) | सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो। | सदस्य |
| (19) | प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो। | सदस्य |

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

- शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
- इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
- यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी– "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
- योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
- राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
- स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
- समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि:-**

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

# जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in


पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

**कार्यालय-ज्ञाप**

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3. | अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| 5. | दो महिला ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| 6. | महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद् | सदस्य |
| 8. | शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य | सदस्य |
| 9. | एक शिक्षक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. | जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| 11. | जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | सदस्य |
| 12. | जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) | सदस्य |
| 13. | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 14. | लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |
| 14. | समन्वयक महिला समाख्या | सदस्य |
| 15. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य-सचिव |

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा स्वरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-2000/6--2-2000-2/13(91)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) | जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 | सदस्य |
| (3) | सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| (4) | सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 | सदस्य/सचिव |
| (5) | सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी | सदस्य |
| (6) | जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा | सदस्य |

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उनके इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रू0250/-

2- [illegible] रू0125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(ई0सी0सी0ई0पी0) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन होगा, वहाँ की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु05000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहाँ यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु05000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरित की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में आने वाले बच्चों का सही से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible], अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की खरीद करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी जगह के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में प्रचुर पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करें तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

| क्रमांक | जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | ग्रामों की संख्या | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | देवरिया | दरहृ | 35 | तलरही, दीता, मंझिल, सड़का भांव, वैत, रामपुर, यस्ताल, अयावार, करसहां, कटहवा, अररवार, हरकोटा, कोटवा, परसि, सलोहर, सोईं, सुलतपरास, छपरास उपाध्याय, तकरी गंगा, हरकही, गंगायर, करायतुर्ल, कहेसर, जयनगर, दरिजिया, कुरह, जिलपुर, सहुवाछपरा, हरोरी, महेश, मतियारा, पकोहा, देवपार, कोतमा, लाजिगा बुर्ज, इकरामोहा, जिलादुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तपस्ती। |
| | | हृड्डपुर | 18 | मइसा, पकिड़रिया, मतिहरपुर, सहुआगार, रामपाठ, कहौली, खैराट सिया, सरोसिया, कुकरिहा, मोछिया तिवारी, सकझल, लगवाफास, मझिवारी, सरांपुर, रामईपुर, शीतलगाछा, सारासरा, महुरहां। |
| | | सलेमपुर | 10 | वेराआआ, अवलपुर, गेतीपुर, देवरियाहड़ रामपुर, हरव्यहोर, अतरौली, बकरा गोहाई, सरियामिया, दिपडासमाली, मलकौली। |
| | | वैतालपुर | 12 | सुरजंदपुर, जगदीशपुर, पैलकरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपुर, करमैल बजरही, चतुर्भुजपुर, सराती परपारा, ओकहाजाल, बेहड़, इसवां, महराजगंज, ईटवा। |
| 2- | बोजपुर | घोरापल | 67 | रहटारी, परसौना, करसोता, इसवा, मचकाबोगई, स्याभा, देवगढ़, मणिकुन्डा, रियुड़ार, हडेउर, विसरेकी -1, छिलोली, पड़रौसिया, मरवहा, बुरेछ, महरौरा, मोरिसार, महोली, पिपरवार, घोरासत, जिलहरी -1, कलेठी -1, ज्यौली, खेवली-, सिरसाई, वतरेव, जोमिठी, रामगोहर, इरकही, मिलहार, इरमास -1, मिहोरी, मजरमा, गुरुलिया, कुलारी, [illegible], खेवरा, महुआ, पाण्डेय, कुरसिहर, सिलौली, ओवर, दरसोता, पिडरिया, सीतलहार, ओसिरिया, [illegible] -1, जुलवरया -1, पाण्डेय [illegible] [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दुद्धी | 44 | गोडर, रनबहु, दुम्हान, महुवरया, गुलाल सिंह. दधोरा, ब्रारोखला, कटौली, ब्रारोकुर्द, पिपराडी, गुरोली, रजु, महदेवा, बदगड, अजरी, टेहरा, दीहा, कमधां, अकवार, सिसिताडीह, पिपरडीह, गाबहुर, हरगरा, महली, दसरिहा, महोदेमर, सतैयाडीह, टरती, डोलदा, कुर्सेहवा, कोतिलहुवा, जाताजुरा, देवाल रज रनकहु-II, दुम्हान-II, हमाली, करला दधोर। अपला, कटौली, दधोरा, महुअरिया, कुमरडीहा, अंपर, दौदुम। डुमरडीहा। |
| 3- ललितपुर | मड़ावरा | 16 | रनगांव, गुरयाजा, पैरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गोजा, गोजा, रजपारा, कमोजा, बतंटर, पहाड़ीआला, टोलदा, चौरीलागर, बमराला, उलदजापुरी, डोगरा बालावेहट, कुसोरा, पटलेमरा, चौरी। |
| | बिरधा | 04 | |
| | बार | 25 | पारोल, टोड़ी, केलगवां, जरावली, गोगाव, बार, जार, देवराव, पिंगलोआ, नागपुर, डगराला, कारीटोरन, कैलोहीतोल, गैदोरा, क्लवारा, ललवा, मदनपुरा, भारोली, नगारा, हीरापुर, पिलला, करबई, खिरारा, दैलवारा, सावली। |
| | जखौरा | 03 | चितरा, सिवनीखुर्द, बमराजा। |
| | महरौनी | 03 | पठा, कम्हेड़ी, कैलवारा। |
| | तालबेहट | 24 | करेगा, बजगंवरवा, सिजरौठा। बोलाई, मयाँव, कड़ोटरा, उदयपुरा, बिजयपुरा, पुराकला, बुरायली, खुरेरा, कडेसराकलां, वेरवारा कला, सिजरौठा, बिहारीपुरा, राजीपुरा, भादौ, बड़ेवारा, हस्टोरा, फुटपुरी, रमपुरा, सुनौरी, हाँसा, रजपाल। |
| 4- बदायूं | वजीरगंज | 25 | रोठा, अगौलिया, मोई-मोठा, कलिया-रामपुर, सिसइया, पैगल, सरैल, आमी हरनाम्पुर, ईसापुर, सिहोली गंज, रहोड़िया, उरेला, हरनाम्पुर, धीरमपुर, रहुमा, मीरापुर, बिकपुरी, बावरपुर, कलोर, दबौटा, कुवारी, हारा, मलिक मोटिया, सिहरा, दकोला लक्ष्मणपुर। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | 25 | मुकन्दपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुरन्दर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] बनरपुर, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], उदयपुर, करिता[illegible], [illegible] । |
| 5- | महराजगंज | पनियरा | 11 | डोमरा, पनियरा-2, [illegible], मिठौरा, [illegible] बोल्दी, गोबरा, देवीपुर, मधुबना, बारहा, बोहरा तिवारी, हरलोरी । |
| | | महराजगंज | 15 | रमपुरवा, झलवारिया, भरवाटोला, [illegible], [illegible], मधुबना, [illegible], बेलौली, [illegible] तिवारी, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible], कुरहा, [illegible] । |
| | | निचलौल | 10 | [illegible], मधुबनवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], हरपुर |
| | | फरेन्दा | 40 | [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] बिरनाथनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] गणेशपुर, कुई, [illegible], फरेन्दा[illegible], [illegible] तिवारी, [illegible] पिपरा [illegible], [illegible] कुई, [illegible] [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसा[illegible], [illegible] [illegible], [illegible], परसिया, [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible] [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दा[illegible], रामनगर, [illegible] । |
| 6- | [illegible]पुर [illegible] | | 21 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible] [illegible] । |
| | | [illegible] | 21 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], देवरास, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible] । |

7- फिरोजाबाद शिकोहाबाद 49 दखिनारा, रुपसपुर, नगला, सिरसागंज, सहबाजपुर, अराँव, हटौली, जसराजपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, अमरी, परीछतपुर, हरगनपुर, अहमदपुर, दौलतपुर -कलां, हरिया, नगला, मुबारकपुर, नगला-भक्ता, -रसूलपुर, अतराय, नगला सिंघौली, दसुमई, गोहनी -पुर, औरहरा, रोहरा, मदनपालपुर, पितापती, उफपुरा मिरार, कुसियैपमई, पुरा परहरा, अलहा, नाहरपुर, धमरौली, खेमडा, कनाई, पहलपुर-कलां, बरतरा खुर्द, जाहीरपुर, नीम-गौरियाखो, कहती, मांगनी, नसीरपुर, नागपुर, बालतीपुर, मुजापतपुर, नगला, फरदपुरा, परतापुर, कल्याणपुर।

टूण्डला 41 मोहम्मदपुर, टूण्डला जगत, टूण्डला जगत, धाई, मोहम्मदाबाद, नगला मौहम्मदाबाद, टूण्डली, नग रसूल, नगरौली, धाई, हरधुआ, गोपपुरा, लोरपुरा, पारेपाई, ठारहोरा, कुसुपुर, नगलापती, नगई, नगला गोपाल, पुरस्थानी, पुरस्थानी, नांदीन्दी, कोटकी, देवखेड़ा, वाराटरी, पुर नगला, लोधर, नगली सुंगल, पुरासनगर, हेमरापुर, नानीय, प्रीयागढ़, नगला बोरी, नसरल, हिम्मतपुर, नगला, नगरद, नगला सिर्सा, गिरधिनपुर, नगलेवा, छिछा।

8- लखीमपुर खीरी निघासन 126 सरपतहा, सिरसापुरवा, मोहन सिंह पेड़, नसौरी, खैरेरा, खैरा, खैरा-2, बड परसोला, गोलीपुर, मोहीपुर, सिंगाही भादा, सिंगाही, धमरौला, परसोला, पुरवा परसोला, पुरवा परसोला, नारंगाबाद, रामनगर, मंगलपुरवा, सिंगाहीखुर्द, सिंगाही, सिंगाही, सिंगाह, अमलपुरवा, नगला पुरवा, रामपुरवा सिंगाही कलां।

मितौली 25 पतेका, मिश्रौली, नौरंगा, रामनगर, अमारा, खोलापुर, कठरिया, देवरिया, अलीगंज, रडा देवरिया, अवधपुरवा, मेहदी, गुलरिया, नौरेर-1, पुरवा, ...गांव, पोलंगा, ...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]<br>[illegible]री, [illegible], [illegible] । [illegible] |
| [illegible]- | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 15 | [illegible]हरपुर, [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible] । |
| | | पिलार्ई | 09 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]<br>[illegible], रामा [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] । |
| | | कुन्दरकी | 15 | [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible],<br>[illegible], [illegible] [illegible]पुर, [illegible], [illegible],<br>[illegible], [illegible]पुरा, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर,<br>[illegible]पुर, [illegible] । |
| 10- | गोण्डा | पडरीकृपाल | 25 | [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible]पुर[illegible], [illegible] द्वितीय,<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]री । |
| 11- | हरदोई | बण्डिला | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible], [illegible]पुर, [illegible]-II, [illegible],<br>[illegible]-I, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible]-I, [illegible], [illegible] [illegible],<br>[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible], [illegible] [illegible] । |
| | | [illegible] | 22 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],<br>[illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]<br>[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible]-<br>[illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12- बरेली | बरेली नगर | 124 | [illegible] नगर, [illegible], मिर्च [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], टोला, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, आटवपुरा-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, आटवपुरा-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-4, आटवपुरा-4, आटवपुरा-5, [illegible]-4 । |
| 13- पीलीभीत | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | [illegible]पुर | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], द्वेरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बारा, [illegible], [illegible] पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], रघुनाथपुर [illegible] । |
| | | [illegible]डा | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] मरौरी, [illegible] । |
| 14- | [illegible]नगर | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible]नगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] । |
| | | [illegible]गंज | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] । |
| | | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर । |
| 15- | [illegible]नगर | [illegible] | 22 | [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] । |

......

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मीरपुर | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], उमरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], दरेवा, हाँसा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], महदेवा, [illegible], [illegible], [illegible], पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रघुनाथपुर । |
| | | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] । |
| 14- | [illegible] | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] । |
| | | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] । |
| | | [illegible] | 25 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रजवापुर । |
| 15- | [illegible] | [illegible] | 22 | [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] । |

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/98

प्रेषक,

डा. जी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.श.अनु. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2000

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जो सी.ओ.आई.यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों को चिन्हित करना व उन्हें उपचार-पत्र देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तदनुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ इलाकों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | लाल संदर्भ कार्ड | गम्भीर रोगों के लिये |
| 2. | पीला संदर्भ कार्ड | कम गम्भीर रोगों के लिए |
| 3. | हरा संदर्भ कार्ड | साधारण रोगों के लिए |

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं इनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापकों को सहयोग करेंगी।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठक करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक लेवल में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक्स सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह के प्रारम्भ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा [illegible], लखनऊ को तथा इसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक:उपरोक्त

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(डा० बी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

........4

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कामिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

## उ0प्र0 राज्य के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

## जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी0पी0ई0पी0 जनपद]

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहाँपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

## डी०पी०ई०पी० (तृतीय) जनपदों की सूची

| क्रमांक | जनपद का नाम |
|---|---|
| 1. | उन्नाव |
| 2. | रायबरेली |
| 3. | कानपुर देहात |
| 4. | फर्रुखाबाद |
| 5. | कन्नौज |
| 6. | मैनपुरी |
| 7. | एटा |
| 8. | आगरा |
| 9. | मथुरा |
| 10. | मेरठ |
| 11. | बागपत |
| 12. | बुलन्दशहर |
| 13. | गाजियाबाद |
| 14. | गौतमबुद्ध नगर |
| 15. | कुशीनगर |
| 16. | झांसी |
| 16. | जालौन |
| 18. | फैजाबाद |
| 19. | अम्बेडकर नगर |
| 20. | सुल्तानपुर |
| 21. | आजमगढ़ |
| 22. | बलिया |
| 23. | मऊ |
| 24. | जौनपुर |
| 25. | गाजीपुर |
| 26. | मिर्जापुर |
| 27. | प्रतापगढ़ |
| 28. | फतेहपुर |
| 29. | हमीरपुर |
| 30. | महोबा |
| 31. | मुजफ्फरनगर |
| 32. | हरिद्वार |
| 33. | बिजनौर |
| 34. | बागेश्वर |
| 35. | पिथौरागढ़ |
| 36. | चम्पावत |
| 37. | उत्तरकाशी |
| 38. | टिहरी |
| 39. | रामपुर |
| 40. | बाराबंकी |
| 41. | बहराइच |
| 42. | श्रावस्ती |
| 43. | बलरामपुर |

<u>विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट</u>

जिले का नाम:............ रिपोर्टिंग माह ...........

| क्र0 सं0 | प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम | विद्यालय का नाम | स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि | कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया | छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया | छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया | | | सामु0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों की परीक्षण तिथि | प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या | | | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | गंभीर | कम गंभीर | साधारण | | मूक | श्रव्य दोष | दृष्टिदोष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

# विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

# चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

# विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

## भाग – एक

कुल अंक – 9

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई | 1 | . वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल--कूद का सामान तथा अन्य कार्य |
| 2 | शौचालय का रखरखाव / प्रयोग | 1 | . क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है?<br>. क्या शौचालय स्वच्छ हैं? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 3 | पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव | 1 | • क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है?<br>• हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है?<br>• उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है? |
| 4 | विद्यालय अभिलेख का रखरखाव | 1 | • बालगणना पंजिका<br>• उपस्थिति पंजिका<br>• पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका<br>• अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण<br>• ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति<br>• स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति<br>• छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति<br>• ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका<br>• माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 5 | विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा | 1 | • सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका<br>• शैक्षिक मानचित्रण<br>• विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान)<br>• विद्यालय सूचना पट्ट<br>• खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर) |
| 6 | कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता | 1 | • क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं?<br>• छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 7 | कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना | 1 | • शिक्षण अधिगम सामग्री<br>• अनुपूरक शिक्षण सामग्री<br>• मानचित्र / ग्लोब इत्यादि |
| 8 | छात्रों के बैठने की व्यवस्था | 1 | • पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं<br>• बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था<br>• क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं?<br>• क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है?<br>• पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं? |
| 9 | बच्चों की स्वच्छता | 1 | • क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं?<br>• क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं? |

# शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

## भाग – दो

**कुल अंक – 29**

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 9 | शिक्षक का व्यक्तित्व | 1 | . वेशभूषा, साफ सुथरी<br>. संयत एवं मुस्कुराहट<br>. प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, सगयबद्धता<br>. शिष्ट एवं अनुशासित आचरण |
| 10 | शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता | 3 | . स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है।<br>. शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है।<br>. उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है।<br>. बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 11 | अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण | 1 | • मित्रवत् – स्नेहपूर्ण<br>• सकारात्मक<br>• बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो।<br>• अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है।<br>• बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं। |
| 12 | सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं? | 1 | • शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं।<br>• बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं।<br>• अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 13 | विद्यालय अनुशासन | 1 | • क्या विद्यालय समय से खुलता है?<br>• बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है?<br>• बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं? |
| 14 | • कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता<br>• पाठ्यक्रत की उपलब्धता<br>• समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं? | 3 | • समय सारिणी का अनुपालन करना<br>• समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं।<br>• पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं। |
| 15 | शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं। | 3 | • नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 16 | क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं। | 2 | • क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है?<br>• स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है? |
| 17 | क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं? | 1 | • बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है?<br>• क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं? |
| 18 | क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है। | 3 | • क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है।<br>• कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 19 | कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं? | 3 | • क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है?<br>• क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं?<br>• क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं?<br>• क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं।<br>• क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं?<br>• क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं?<br>• क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं?<br>• क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 20 | पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं। | 3 | • पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है?<br>• प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन<br>• कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 21 | क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है? | 1 | • पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं?<br>• क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं?<br>• ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया?<br>• खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है?<br>• स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई?<br>• पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 22 | क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है। | 1 | • क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है?<br>• क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि) |
| 23 | अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य | 2 | |

# छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

## भाग – तीन

कुल अंक – 12

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 24 | पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं? | 1 | • इकाई आधारित |
| 25 | शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है? | 1 | |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 26 | छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति | 3 | पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास करा के जाँच करें। |
| 27 | क्या अध्यापक बच्चों का परिवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है? | 1 | |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 28 | मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं। | 3 | • कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास<br>• (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना। |
| 29 | क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। | 1 | प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड |
| 30 | क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है? | 2 | • छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है? |

कुल अंक : 50

श्रेणीकरण :

| अंक | श्रेणी |
|---|---|
| 41-50 | अ (A) |
| 26-40 | ब (B) |
| 16-25 | स (C) |
| 0-15 | द (D) |

# Month wise categories provided to the school

| | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPRC-C | | | | | | | | | | | |
| BRC-C | | | | | | | | | | | |
| SDI, ABSA | | | | | | | | | | | |
| BSA | | | | | | | | | | | |
| DIET | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

NIEPA DC
D11492

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
D-11493
09-07-2002.